कुरुक्षेत्र

केरल में प्रौढ़ शिक्षा का परीक्षण

एम० ए० कुरुविल्ला

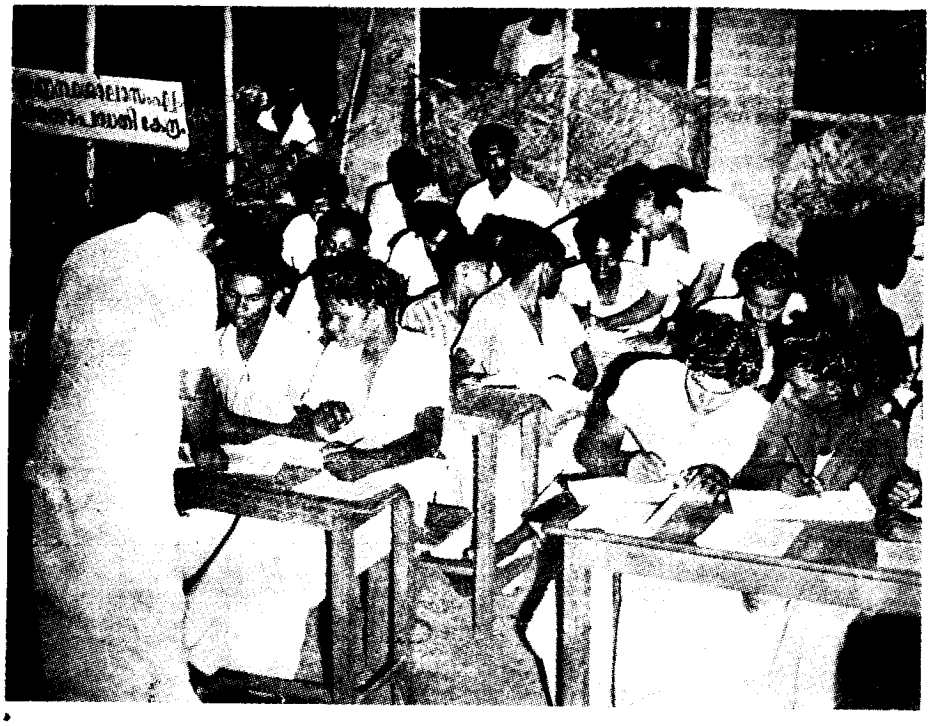

हालांकि केरल में शिक्षितों का प्रतिशत देश भर में सबसे अधिक है, तो भी यहां 40 प्रतिशत जनसंख्या अपढ़ (निरक्षर) लोगों की है। यह 40 प्रतिशत भी कुल राज्य का औसत है। पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों और सामूहिक क्षेत्रों में तो यह प्रतिशत लगभग दुगुना है।

विभिन्न सामाजिक और आर्थिक तत्वों के कारण जनसंचार के प्रसार के बावजूद ग्रामीण निरक्षरता में कोई कमी नहीं आ पाई है। यह प्रतिशत अन्य राज्यों के मुकाबले तो निश्चय ही कम है, पर, 1974 की गणना के अनुसार 5 में से 2 व्यक्ति निरक्षर हैं।

कामगारों और मजदूरों के लिए दिन भर की कमरतोड़ मेहनत के बाद प्रौढ़ शिक्षा की रात्रि कक्षाओं के लिए समय निकालना वास्तव में बहुत मुश्किल है। प्रौढ़ों में इन कक्षाओं के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इस प्रशिक्षण को रोजमर्रा की जिन्दगी के साथ सम्बद्ध करना चाहिए। 8 सितम्बर, 1965 को तेहरान में हुए 89 देशों के एक सम्मेलन में यह तय किया गया कि ऐसे प्रौढ़ों के लिए जिनमें रुचि का अभाव है, कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता उचित रहेगा। इसमें शक नहीं कि कार्यात्मक साक्षरता से धन्धों सम्बन्धी जानकारी का विकास होगा और रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठेगा। एक कामगार की कार्यदक्षता और बातों के अलावा उसकी शैक्षिक योग्यता पर भी काफी निर्भर होती है। भारत जैसे विकासशील देशों में, जहां उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने पर जोर दिया जाता है, कामगारों के शिक्षित होने पर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः देश में विकास की योजना बनाते समय कार्यात्मक साक्षरता अभियान चलाना भी जरूरी है।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यात्मक होनी चाहिए और इसका मुख्य उद्देश्य प्रौढ़ निरक्षरों को उत्पादन के नए तरीकों विशेषकर कृषि, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन आदि ग्रामीण धन्धों के सम्बन्ध में शिक्षित कराना होना चाहिए। जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक व्यक्तियों को साक्षर बनाने का उद्देश्य जब यही होगा तो प्रयास प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बन जाएगा। केरल में चलाई गई प्रायोगिक परियोजना का असल ध्येय यही है।

पिछड़े क्षेत्रों में चुने हुए विकास खण्डों के लिए शिक्षा और समाजकल्याण मन्त्रालय ने एक प्रायोगिक परियोजना की स्वीकृति दी है। चुने गए पहले दो खण्ड थे त्रिवेन्द्रम जिले का अथियन्नूर खण्ड, जहां मुख्यतया मछुआ रहते हैं तथा मलप्पुरम जिले का मलप्पुरम खण्ड जो गरीब किसानों की बस्ती है।

केरल में यह योजना केरल ग्रन्थशाला संगम द्वारा पुस्तकालय आन्दोलन के रूप में पूरे राज्य में लगभग 4,000 पुस्तकालयों के माध्यम से लागू की गई है। इस आन्दोलन का नेतृत्व अच्छा है और भारी संख्या में निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं जो स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। शुरू में प्रत्येक खण्ड में 10 केन्द्र खोले गए थे जो ग्रामीण पुस्तकालयों से सम्बद्ध थे। केन्द्रों का चुनाव करने के लिए पहले स्थानीय जरूरतों के आधार पर एक सर्वेक्षण किया गया था। एक केन्द्र में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के 40 विद्यार्थियों को भर्ती किया गया था। इस कार्यक्रम की अवधि पहले 6 महीने रखी गई थी जो बाद में बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई थी। सप्ताह में चार दिन 2½ घण्टे की कक्षा लगाई जाती है। प्रत्येक केन्द्र में चार अध्यापकों का एक दल है जो पहल, सेवा, रुचि और रुझान के आधार पर स्वेच्छा से

[शेष आवरण पृष्ठ IV पर]

कुरुक्षेत्र

वर्ष 19 माघ 1895 अंक 4

इस अंक में

	पृष्ठ
केरल में प्रौढ़ शिक्षा का परीक्षण (आवरण पृष्ठ II)	
एम० ए० कुरुविल्ला	
पांचवीं योजना : दुर्बल वर्ग की आशा	2
डा० शिवेन्द्रमोहन अग्रवाल	
खेतिहर मजदूरों की समस्याएं	5
गंगाशरण सैनी	
गोबर गैस से ईंधन समस्या का समाधान	7
शिशुपाल सिंह 'त्यागी'	
शिक्षा का समाजवादी रूप	9
जीवन मेहता	
बढ़ते हुए मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं का महत्व	11
मदन लाल शर्मा	
सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास अभिकरण भीलवाड़ा	14
महावीर सिंहल	
पांचवीं योजना में कृषि	16
एस० एस० पुरी	
गांवों में जन-सम्पर्क की नई चुनौतियां	18
श्री एम० वी० देसाई	
ग्रामीण दस्तकारी योजना	20
के० एस० गलुण्डिया	
लहराता श्रमराज (कविता)	20
शिवनाथ राघव	
गांवों में चिकित्सा सुविधाएं	21
डा० बी० लाल	
गांव वालों की सुविधा के लिए देवनागरी में तार	23
श्री जगन्नाथ	
हर्र लगे न फिटकरी रंग चोखो आवै	24
बटुकेश्वर दत्त सिंह 'बटुक'	
बगिनगेरे गांव का कायाकल्प	26
पहला सुख निरोगी काया	27
डा० युद्धवीर सिंह	
समय की आवाज (कहानी)	28
जगदीश कौशिक	
जाति-बिरादरी (रूपक)	30
शीतांशु भारद्वाज	
पाठकों की राय	32
चुन्नीलाल सलूजा	
साहित्य समीक्षा	34
देवेन्द्र आर्य, भगवान सिंह	
केन्द्र के समाचार	35

दूरभाष 382406

एक प्रति 50 पैसे : वार्षिक चन्दा 5 रुपए

सम्पादक : पी० श्रीनिवासन

सह० सम्पादक : [illegible] सिंह

विघटन की प्रवृत्ति को रोका जाए

अभी हाल में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जनता को सावधान किया है कि वह विघटनकारी प्रवृत्तियों का शिकार न बने। यह बड़े दुःख का विषय है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जहां हमें अपने तन मन धन से देश के चहुंमुखी विकास के लिए जीतोड़ प्रयास करने चाहिए थे वहां हम आज अपने क्षुद्र स्वार्थों को लेकर विघटनकारी प्रवृत्तियों का शिकार होते जा रहे हैं। लोग जान बूझकर हिंसा, तोड़फोड़, उपद्रव, हुल्लड़ तथा साम्प्रदायिक तनातनी का वातावरण पैदा करने में लगे हैं। क्या यह स्थिति विकास की प्रक्रिया में बाधक नहीं है ? वस्तुतः छोटे ओछे संकीर्ण जातिवाद या क्षेत्रवाद तथा सम्प्रदायवाद की निष्ठाएं उभारना न सिर्फ जनतन्त्र के ही लिए बल्कि राष्ट्र की एकता के लिए घोर अभिशाप है। क्या हम भूल गए जब पश्चिम से मकरान के रास्ते सिन्ध पर आक्रमण हुआ तो राजा दाहिर ने बड़ी वीरता से शत्रु का मुकाबला किया था। पर ये विघटनकारी प्रवृत्तियां ही थीं जिनके कारण उसे मुंह की खानी पड़ी। मध्य काल में पश्चिमोत्तर के आक्रमणकारियों को अनेकबार पराजित करने के बावजूद हम अन्त में आपसी फुट और इन विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण ही उनसे पराजित हुए। इसका हमें जो कवाड़ु फल चखना पड़ा उसे कौन नहीं जानता।

दूसरी ओर देश की एकता के सबसे बड़े शत्रु वे हैं जो अपने नीच स्वार्थों के लिए चोर-बाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि निकृष्ठ धन्धों में लगे हुए हैं। ये लोग कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा कर जहां एक ओर जन असन्तोष को बढ़ावा देते हैं वहां दूसरी ओर देश के अर्थचक्र को तहस-नहस कर डालना चाहते हैं।

यह ठीक है कि देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अभाव, अशिक्षा, असमानता आदि बुराइयां विद्यमान हैं पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि अशान्ति और अव्यवस्था का वातारण फैला कर लोगों को कुमार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। सरकार इन बुराइयों से बेखबर नहीं है और आजादी पाने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं उनसे देश समृद्धि के पथ पर अग्रसर हुआ है। इसमें शक नहीं कि पिछली योजनाओं के लागू करने के दौरान धन के विनियोजन से सबल वर्ग के लोगों को ही अधिक लाभ पहुंचा था पर अब सामाजिक न्याय पर विशेष जोर दिया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से रोजगार योजना तथा किसान-मजदूर एजेन्सियों के माध्यम से जो कदम उठाए गए हैं वे इस बात के सूचक हैं कि अब समाज के निर्बलवर्ग के उत्थान पर विशेष जोर दिया जाएगा। तात्पर्य यह है कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जहां जीतोड़ प्रयास कर रही है वहां प्रतिक्रियावादी तत्व अपने क्षुद्र स्वार्थों को लेकर समस्याओं के समाधान में बाधक और राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बनकर आगे आ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार अपने हाथ मजबूत करे और देश के इन शत्रुओं को सख्ती से दबाए।

पांचवीं योजना : देहाती और दुर्बल वर्ग की आशा

डा० शिवेन्द्र मोहन अग्रवाल

आर्थिक विकास एक अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणाम-स्वरूप किसी दिए गए समय में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।" आयोजन की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है। भारत में चार पंचवर्षीय योजनाएं तथा तीन वार्षिक योजनाएं पूरी हो चुकी हैं परन्तु योजनाओं की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, न कभी होगी। अब पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-75 से प्रारम्भ होगी और 1978-79 तक चलेगी। देश को एक बड़ी मंजिल तय करनी है, भिन्न-भिन्न वर्गों के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कुछ उद्देश्यों की पूर्ति होती है और एक योजना के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के बाद दूसरी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक योजना में थोड़ी सी मञ्जिल तय करने के बाद दूसरी मञ्जिल को पाने के लिए चेष्टा करने लगते हैं। पांचवीं योजना भी विकास प्रक्रिया का एक नया चरण है। पिछली योजनाओं के कारण देश विकास के मार्ग पर काफी आगे बढ़ा है किन्तु अभी इसे और भी अधिक मार्ग तय करना है; यह पांचवी योजना इस विकास यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।

योजनाओं के कारण देश में चहुंमुखी प्रगति दिखाई देने लगी है परन्तु इसका लाभ निर्धन वर्ग, पिछड़ा वर्ग पिछड़े क्षेत्र को जितना मिलना चाहिए था उससे भी बहुत कम मिल पाया। इसका परिणाम यह हुआ कि विकास की गति अवरुद्ध होने लगी, देश में आर्थिक व सामाजिक असमानता बढ़ने लगी, कृषि उत्पादन सूखे से कुप्रभावित हुआ तथा मूल्य वृद्धि का चक्र ऊपर की ओर उठने लगा। ऐसी दशा होने के कारण यह है कि अधिकांश जनता आज भी गरीबी के दुष्चक्र से पीड़ित है। अतः पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित प्रारूप में दो महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं—गरीबी हटाना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना। चूंकि गरीबी का दूषित चक्र ग्रामीण क्षेत्र में गतिमान रहता है अतः हम यह देखेंगे कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्र, सीमान्त कृषक, पिछड़े क्षेत्र आदि के विकास हेतु कौन-कौन से प्रमुख कार्यक्रम अपनाने पर बल दिया है।

भारत एक कृषि प्रधान ग्रामीण देश है। पिछले कटु अनुभव जताते हैं कि देश का विकास कृषि विकास पर निर्भर करता है। पांचवीं योजना में कृषि कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है; पांचवी योजना में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में 4,841,76 करोड़ रु० खर्च करने की व्यवस्था की गई है, जबकि चौथी योजना में इसके लिए 2,714, 86 करोड़ रुपए निर्धारित किए थे। पांचवीं योजना में अनाजों की उपज में वार्षिक वृद्धिदर 4.2 प्रतिशत रखी गई है, जो चौथी योजना की दर से 5.6% अर्थात् काफी कम है। फसलों की उपज के मुख्य लक्ष्य पूरे पांच वर्षों के लिए निर्धारित किए गए हैं। आज तक की योजनाओं में ऐसा नहीं किया गया था। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लगभग 1.1 करोड़ हैक्टर अतिरिक्त इलाके में खेती शुरू की जाएगी; 1973-74 में कुल मिलाकर लगभग 16.9 करोड़ हैक्टर में खेती की जा रही थी जो 1978-79 में बढ़कर 18 करोड़ हैक्टर हो जाएगी। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अग्रलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 1. किन्हीं विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान में वृद्धि; 2. कृषि विस्तार और प्रशासन को मजबूत बनाना; 3. प्रमाणित बीजों की उपज बढ़ाना तथा इन्हें और अधिक किसानों को देना; 4. रासायनिक खाद की अधिक मात्रा में और भली-भांति प्रयोग; 5. पानी का प्रबन्ध; 6. वित्त संस्थाओं द्वारा ऋण देने की सुविधाओं में वृद्धि 7. कटाई के बाद फसल रखने आदि की सुविधाएं बढ़ाना तथा इसकी बिक्री का प्रबन्ध करना तथा 8. फसल रखने के लिए पर्याप्त गोदामों की व्यवस्था करना। यदि यह कार्यक्रम सुचारु रूप से चल जाए तो अनाज का उत्पादन चौथी योजना के पांच वर्षों की संभावित उपज 5.200,00 लाख टन से बढ़कर पांचवी योजना के पांच वर्षों के लक्ष्य 6,450,00 लाख टन हो जाएगा। इस लक्ष्य के पूरे हो जाने पर देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा तथा सुरक्षित भण्डार के लिए भी अन्न बच रहेगा।

ग्राम विकास

अब की बार पांचवी योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक देहातों के रहने वाले सबसे गरीब 30 प्रतिशत लोगों की मासिक खर्च करने की प्रति व्यक्ति सामर्थ्य बढ़ाना है अर्थात् लगभग ढाई करोड़ परिवारों की आमदनी में काफी वृद्धि करनी होगी। यह कार्य निम्न दिशाओं में यत्न कर पूरा किया जाएगा (1) छोटे तथा सीमान्त किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर दुधारू-पशु पालने का कार्यक्रम; पशुपालन तथा मत्स्य पालन के कार्यक्रमों में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे ताकि इनसे कुल उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों की आर्थिक अवस्था भी सुधरे। (2) पांचवीं योजना में चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकसित किए जाएंगे तथा देश के जिन इलाकों

में प्रायः सूखा पड़ता है उनकी हालत सुधारने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा; (3) कृषि अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों की हालत सुधारने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों को गति देना।

चौथी योजना काल में छोटे किसानों के लिए 46 परियोजनाओं पर तथा सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की 41 परियोजनाओं पर अमल किया गया जिस पर 115 करोड़ रु० व्यय करना था। यद्यपि परियोजनाओं वाले क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त कृषकों को अधिक रुपया उधार मिला है किन्तु यह राशि आशानुकूल न थी। सहकारी वर्ष 1972-73 की अवधि में छोटे किसानों के क्षेत्रों में 17.26 करोड़ रु० दिए गए; सहकारी संस्थाओं ने मध्यावधि और दीर्घकालीन अवधि के लिए पूंजी निवेश ऋणों में 28.62 करोड़ रु० दिए तथा व्यावसायिक बैंकों ने ऐसे किसानों को लगभग दो करोड़ 31 लाख रु० ऋण में दिए।

पांचवीं योजना में ऐसी 160 परियोजनाओं पर काम किया जाएगा जिन पर दो अरब रु० व्यय करने की व्यवस्था है; नई परियोजनाएं ऐसे क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी जहां छोटे और सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर काफी संख्या में रहते हैं और इनका लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास दो हैक्टर तक जमीन है।

सूखे वाले इलाके

देश का लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र सूखे वाला है जिसमें लगभग 12 प्रतिशत देशवासी रहते हैं। छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या लगभग 35 लाख है। हर तीन वर्ष बाद सूखे इलाकों के लगभग बीस लाख लोगों को अपने पशुओं सहित घरबार छोड़ना पड़ता है। प्रादेशिक असमानताओं को बढ़ाने में इन क्षेत्रों का विशेष योग रहता है। इन क्षेत्रों की कुल पैदावार काफी कम रहती है। पांचवीं योजना के दौरान इन इलाकों में ऐसे विकास कार्यक्रम शुरू करने की व्यवस्था है जिनसे छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को विशेष रूप से लाभ होगा। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने पर जोर दिया गया है—(1) सिंचाई के साधनों का विकास और प्रबन्ध, (2) उर्वर भूमि तथा नमी को सुरक्षित रखना तथा फिर जंगल लगाना, (3) चरागाहों का विकास तथा फसलों के क्रम में परिवर्तन करना, (4) खेती के तरीकों में परिवर्तन, (5) पशुपालन तथा (6) छोटे और सीमान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की हालत सुधारना।

विकास की सफलता के लिए विभिन्न सुविधाएं अपरिहार्य होती हैं। कृषि विकास के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा रीढ़ होती है। सिंचाई आयोग के अनुसार इन दिनों सूखे वाले इलाकों के लगभग 13 प्रतिशत खेतों में सिंचाई का प्रबन्ध है। इन दिनों जिन सिंचाई योजनाओं पर अमल किया जा रहा है, उनके पूरा हो जाने पर लगभग 19 प्रतिशत खेतों में सिंचाई का प्रबन्ध हो जाएगा। इसके उपरान्त भी 81 प्रतिशत इलाके में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। पांचवीं योजना के दौरान सिंचाई के वर्तमान साधनों में सुधार करने के अतिरिक्त सूखे वाले इलाकों में निर्माणाधीन विभिन्न सिंचाई योजनाएं पूरी करनी होंगी। सूखे वाले इलाकों में सीमित मात्रा में उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग करना होगा, अतः इन इलाकों में अधिक पानी चाहने वाली गन्ने और धान जैसी फसलें न बोकर चारे की फसलों तथा चरागाहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त योजना के अधीन देहाती क्षेत्रों में सड़क बनाने का भी कार्यक्रम शामिल किया गया है जिस पर 5 अरब रु० खर्च किए जाएंगे। इसी प्रकार देहाती इलाकों में पीने के पानी की व्यवस्था करने पर भी 5 अरब रु० खर्च किए जाएंगे। पांचवीं योजना में गावों में बिजली लगाने के लिए 1,098 करोड़ रु० रखे गए हैं जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित 272.33 करोड़ रु० शामिल हैं। इस बिजली से 15,00,000 पम्प सैटों का चलाना संभव होगा तथा 1,10,000 अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों को बिजली की सुविधाएं मिलने लगेंगी।

बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रामोद्योग और लघु उद्योग का योगदान अद्वितीय रहेगा। अतः पांचवीं योजना में गरीबी और उपभोग में असमानता कम करने की दिशा में लघु व ग्रामोद्योगों को पर्याप्त महत्व दिया गया है। इस योजना में लघु उद्योगों के विकास के लिए 611 करोड़ रु० खर्च करने का प्रस्ताव है जबकि चौथी योजना में केवल 250 करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है। यह परिव्यय पिछड़े, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े उद्योगों सहित औद्योगिक क्षेत्रों की योजना के लिए निर्धारित राशि के अतिरिक्त है। लगभग 1,050 करोड़ रु० का निवेश निजी क्षेत्र से होगा जिसमें बैंक और वित्तीय संस्थाएं भी सम्मिलित हैं। चौथी योजना में इन स्रोतों से केवल 560 करोड़ रु० के निवेश का अनुमान है। इस प्रकार पांचवी योजना में लघु उद्योगों के लिए कुल मिलाकर लगभग 1,660 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित है। आधुनिक लघु उद्योगों के सहायक के रूप में और विस्तार किया जाएगा। केन्द्र, राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों के सम्मिलित विकास कार्यक्रमों के जरिए 15-16 लाख लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था किए जाने का अनुमान है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों में कुल मिलाकर 11.5 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था होगी।

पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,500 या इससे अधिक की आबादी वाले सब गांवों को हर मौसम में काम देने वाली सड़कों से जोड़ दिया जाएगा और ऐसी जोड़ने वाली सड़कों पर 500 करोड़ रु० व्यय करने की व्यवस्था की गई है।

सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए प्राथमिक और प्रौढ शिक्षा पर

काफी जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समाज के दुर्बल वर्गों के बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में स्कूल जाने और बीच में पढ़ाई न छोड़ने को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाएगा। छात्र वृत्तियों, निःशुल्क शिक्षा, सुविधा से वञ्चित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अनुसूचित आदिम जाति के लिए आश्रम स्कूल, देहातों और गन्दी बस्तियों के स्कूलों के सुधार और जो लोग शिक्षा पूरी किए बिना जल्दी ही किसी काम धन्धे में लग गए हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि वे अपना भविष्य सुधार सकें। शिक्षा व रोजगार में निकट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए पाठ्यक्रम में ऐसे सुधार किए जाएंगे जिनसे विद्यार्थियों में रोजगार के अनुकूल प्रवृत्ति पैदा हो और वे हुनर सीख कर काम पर लग सकें।

आवास व्यवस्था

पाँचवीं योजना से भूमिहीन किसान भी लाभान्वित होंगे। इस काल में भूमिहीन कृषि मजदूरों को मकान स्थल देने की व्यवस्था के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों की योजना में 108.16 करोड़ रु० द्वारा 40 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था की गई है जिसमें स्थल प्रदान किए जाएंगे। इस समय 1.2 करोड़ भूमिहीन किसानों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। देहात में 1.8 करोड़ मकान गिराऊ और खस्ता हालत में हैं। इस प्रकार पांचवीं योजना में लगभग एक तिहाई भूमिहीन कृषक मकान के मालिक बन जाएंगे।

यदि मनुष्य को स्वस्थ वातावरण में रखना है तो उसके लिए अमृत समान जल की व्यवस्था करनी होगी तथा गन्दगी को साफ करना होगा। पांचवीं योजना में 1.16 लाख समस्या ग्रस्त गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी; जिन इलाकों में सीवर व्यवस्था नहीं है वहां आम शौचालयों की जगह सफाई वाले शौचालय बनाए जाएंगे तथा कूड़ा इकट्ठा करने तथा इसको फेंकने के आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभी तक देश के लगभग 1.16 लाख गांवों में पीने के पानी की प्रारम्भिक सुविधा नहीं हो पाई है, अर्थात् लगभग 6.1 लोगों के लिए साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। भारत के सारे देहातों में सीवर की व्यवस्था नहीं है।

पांचवीं योजना में पिछड़ी जातियों की समस्याओं पर सीधा और प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाया गया है जैसा कि गरीबी हटाने के सम्बन्ध में अपनाया गया है। इस योजना काल में पिछड़ी जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए 255 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं। चौथी योजना में यह 141.34 करोड़ रु० था। इस योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप पिछड़ी जातियों के लोगों का जीवन उन्नयन होगा और पिछड़े वर्गों और आम लोगों के बीच विकास का अन्तर कम होगा।

पांचवीं योजना में विकास और समाज कल्याण का सामञ्जस्य किया जाएगा। इस योजना काल में समाज के कल्याण के लिए कुल परिव्यय 229 करोड़ रु० रखा गया है जबकि चौथी योजना में संभावित व्यय 75.80 करोड़ रुपए होने की आशा है। विशेषकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिए जिसमें पूरक पोषाहार, बीमारियों के टीके लगाना, स्वास्थ्य की समय-समय पर परीक्षा, पोषाहार सम्बन्धी शिक्षा और रोग दिखाई पड़ने पर अस्पतालों में भेजकर चिकित्सा कराने का प्रबन्ध किया जाएगा। समाज के दुर्बल वर्गों की गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं की विशेष रूप से सेवा की जाएगी।

पांचवीं योजना के प्रारूप का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि अब की बार योजना में ग्रामीण विकास, निर्धन वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े क्षेत्र के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाए हैं तथा पुरानी नीतियों में अनेक परिवर्तन किए हैं। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय कृषि आयोग के सुझावों के अनुसार अब यह नीति अपनाई गई है कि अलग-अलग कार्यों के बजाय 'समूचे गांव' के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं ताकि सभी ग्रामवासियों को उनका लाभ पहुंचे।

परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत जैसे विशाल देश में गरीबी एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या है जिसे एक पंचवर्षीय योजना में समाप्त नहीं किया जा सकता। पांचवीं योजना में इसे समाप्त करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी और भविष्य में इस गति को बनाए रखने का प्रयत्न किया जाएगा। साथ ही जनता का यह परम कर्तव्य है कि वह भी इसकी सफलता के लिए निस्संकोच पूर्ण सहयोग प्रदान करे क्योंकि कष्ट सहकर ही लाभों की प्राप्ति हो सकती है। इन योजनाओं के माध्यम से ही विकास प्रक्रिया को निरन्तर जारी रख कर क्रान्तिकारी आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाए जा सकते है जिनसे जनसाधारण को अधिकांश रूप में लाभों की प्राप्ति हो।

एफ 9, नवीन शाहदरा
दिल्ली-33

खेतिहर मजदूरों की समस्याएं और उनका निवारण

गंगाशरण सैनी

हमारी अर्थ व्यवस्था में कृषि के महत्व का अनुमान इस बात से सरलता से लगाया जा सकता है कि अधिकांश भारतीय जनता की जीविका का एक मात्र साधन यही है। दूसरी ओर हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत कृषि से ही उपलब्ध होता है। सत्य तो यह है कि कृषि न केवल हमारी जीविका का साधन मात्र है, बल्कि हमारे जीवनयापन का ढंग है, यही कारण है कि हजारों वर्षों से हमारे देश की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से इसका अटूट सम्बन्ध रहा है। कृषि का इतना महत्व होते हुए भी उसके कर्णाधार अर्थात् खेतिहर मजदूरों व सीमान्त कृषकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। इस वर्ग के उत्थान के लिए हमारी प्रादेशिक सरकारों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 26.33 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। इनके अतिरिक्त 2.38 प्रतिशत लोग पशु-पालन, वन, मत्स्यपालन, उद्यानों तथा अन्य कार्यों में लगे हैं। खेतिहर मजदूरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि के कई कारण हैं जिनमें जनसंख्या में वृद्धि, ग्रामीण व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, कृषि जोतों का अधिकाधिक विभाजन एवं उपखण्डन, लगान भोगियों की संख्या में वृद्धि, कुटीर उद्योग धन्धों का विनाश तथा खेतिहर मजदूरों की ऋणग्रस्तता प्रमुख है।

समस्याएं

खेतिहर मजदूरों की विभिन्न समस्याएं है, जिनमें शिक्षा का अभाव, बेकारी, अकुशलता, ऋणग्रस्तता, खेतिहर दासता, कृषि कार्यों के अनियमित घण्टे, सहायक कुटीर उद्योग धन्धों का अभाव, सामाजिक कुप्रथाएं, निम्न आर्थिक स्थिति, पेयजल का अभाव आदि प्रमुख हैं।

उपरोक्त समस्याओं के निवारण के हेतु हमारी प्रादेशिक सरकारों को निम्न ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि इस कृषि के उपेक्षित वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हो तथा दूसरी ओर उन्हें शहरों में आने से रोका जा सके।

शिक्षा का प्रबन्ध

खेतिहर मजदूरों के पिछड़ेपन में अशिक्षा का प्रमुख स्थान है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रादेशिक सरकारों को चाहिए कि सुविधानुसार ग्रामीण स्तर पर रात्री पाठशालाओं का आयोजन करें। शिक्षा के द्वारा एक अकुशल खेतिहर मजदूर कुशल मजदूर बनकर कार्य को अधिक ढंग से कर सकता है। इसके अतिरिक्त, खेतिहर मजदूरों, कृषि उपकरणों, मशीनों, ट्रैक्टरों आदि का प्रशिक्षण लेकर अधिक आमदनी करके अपना जीवन स्तर ऊंचा कर सकते हैं। इसके साथ खेतिहर महिला मजदूरों को लघु उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण का आयोजन करना नितान्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य है।

शोषण

भारतीय संविधान के अर्न्तगत किसी भी प्रकार की दासता को अपराध माना गया है, परन्तु कुछ प्रदेशों में खेतिहर मजदूर अभी भी दासता के कुचक्र में बुरी तरह फंसे हुए हैं। इन लोगों से बेगार में कार्य लिया जाता है, जिसके लिए उन्हें कोई धन नहीं दिया जाता। केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारों को चाहिए कि इस बेगार प्रथा को समूल नष्ट कर दें, ताकि खेतिहर मजदूर एक अच्छे नागरिक की भांति रह सकें। इस कार्य के लिए पंच वर्षीय योजना में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।

कम सूद पर ऋण

खेतिहर मजदूर कम समय तक कार्य मिलने, सामाजिक कुप्रथाओं तथा कई अन्य कारणों के कारण महाजनों तथा बड़े भूमि पतियों के ऋणी बने रहते हैं जिसके कारण उनकी सौदा करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यह ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने, व ऋण दाताओं से छुटकारा दिलाने के लिए कम सूद पर ऋण की सुविधा होनी चाहिए। यह कार्य राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए। कुछ प्रदेशों में खेतिहर मजदूरों के उत्थान के लिए इस प्रकार के ऋण देने की विधि को अपनाया जा चुका है। इस ऋण से इस वर्ग के लोग पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन तथा अन्य लघु उद्योग धन्धे स्थापित करके अपनी आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। ऋण सम्बन्धी शर्तों में अधिक उदारता लाने की आवश्यकता को अनुभव किया जा है। केरल में सर्व प्रथम मजदूर तथा विकास बैंक की स्थापना की गई है जो मजदूरों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी।

न्यूनतम मजदूरी

औद्योगिक तथा राजकीय फार्मों पर कार्य करने वाले मजदूरों की भांति खेतिहर मजदूरी निश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे देश में औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी खेतिहर मजदूरों

से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, उन्हें 8.33 प्रतिशत बोनस भी मिलता है जबकि खेतिहर मजदूरों को कोई बोनस नहीं मिलता। आज कल मंहगाई तीव्र गति से बढ़ रही है जिसका प्रभाव ग्राम जनता पर अधिक पड़ता है। वर्तमान समय में जो मजदूरी खेतिहर मजदूर पाते हैं, उससे वे पेट भर भोजन भी नहीं खा सकते हैं। उनकी दशा में यथासम्भव सुधार लाने के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण अनिवार्य हो जाता है जिसकी ओर प्रादेशिक सरकारों को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। चूंकि प्रादेशिक जलवायु तथा कृषि कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है, अतः इसे तथा मजदूरों की अकुशलता और कुशलता और मजदूरों की किस्म (महिलाएं, पुरुष, बालक) कार्यों के घण्टे आदि को ध्यान में रखकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए।

बेकार भूमि

केन्द्रीय लवणीयता अनुसंधान संस्थान करनाल (हरियाणा) के अनुमान के अनुसार हमारे देश में 69 लाख हैक्टेयर भूमि लवणीय एवं क्षारीय भूमि है जिसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। केन्द्रीय लवणीयता अनुसंधान संस्थान ने एक 'व्यापक कार्यक्रम' बनाया है। इसके अतिरिक्त, हमारे देश में 70 लाख हैक्टेयर भूमि अम्लीय है जिसके सुधार के लिए पांचवीं योजना में 15 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इन दोनों प्रोग्रामों के पूर्ण होने पर खेतिहर मजदूरों को कार्य मिलेगा। साथ ही देश की उपज में भी वृद्धि होगी। उपरोक्त दोनों प्रकार की भूमियों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की बेकार भूमियां भी हैं जिनके सुधार के लिए भू एव जल संरक्षण कार्य, वृक्षारोपण तथा चरागाह विकास आदि कार्य अपनाए जा सकते हैं।

ग्राम उद्योग

ग्राम उद्योगों के विकास के लिए उनका संगठन किया जाना एक अत्यन्त आवश्यक कार्य है, ताकि खेतिहर मजदूरों को सहायक एवं पूर्ण रोजगार मिल सके। मुर्गी एवं बत्तख पालन, सूअर पालन, भेड़ बकरी पालन, मधु मक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, पशु पालन, धान की कटाई, रस्सी व टोकरी बनाना, गुड़ व खांड़ बनाना, साबुन बनाना, कृषि मशीनरी तथा उपकरणों की टूट फूट को ठीक करने सम्बन्धी उद्योगों की स्थापना प्रादेशिक सरकार उन्हें ऋण देकर करा सकती है। यदि खेतिहर मजदूरों को अपने ग्रामों में रोजगार मिल जाएगा तो वे शहरों की ओर आकर्षित न होंगे।

संगठन

अन्य मजदूर वर्ग की भांति खेतिहर मजदूरों के संगठन की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि उनकी सौदा करने की शक्ति में वृद्धि हो सके। यह तब ही सम्भव है जब कि उन्हें साक्षर बनाया जाए। केन्द्रीय खेतिहर मजदूर संगठन का गठन किया जाना चाहिए जिसका उद्देश्य इस वर्ग के लोगों के संगठनों के कार्यों का समन्वय करना होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रचार कर्मचारी मजदूर सहकारिताओं के गठन में अपना सहयोग दे सकते हैं। प्रत्येक विकास खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत एक खेतिहर श्रम सहकारी यूनियन का गठन होना चाहिए और खण्ड की सभी खेतिहर मजदूर समितियां यूनियन की सदस्य होनी चाहिए।

मण्डलों की स्थापना

योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि खेतिहर मजदूरों के पुनर्वास की योजनाओं पर तथा समय-समय पर उनकी प्रगति का निरीक्षण करने के हेतु राष्ट्र एवं राज्य स्तरों पर परामर्श मंडलों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें गैर सरकारी लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इस वर्ग के मजदूरों के कल्याण के लिए परामर्श मण्डलों की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए।

कृषि विधियां

जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, उन क्षेत्रों में 'बहुफसलीय कार्यक्रम' अपनाना चाहिए, ऐसा करने से कृषि उपज अधिक मिलेगी, साथ ही खेतिहर मजदूरों को अधिक दिनों तक कार्य मिल सकेगा। शहरों के निकट वाली भूमियों में सब्जियों की खेती को और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि इससे भी उन्हें रोजगार मिल सकेगा।

बारानी क्षेत्रों में प्रादेशिक सरकारों द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत समोच्च बंध, सोपान वेदिका, वृक्षारोपण, चरागाह विकास, भूमि संरक्षण यांत्रिकी कार्य, लघु सिंचाई आदि कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिए।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत खेतिहर मजदूरों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिनमें कम मजदूरी वाले क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना, भूमिहीन मजदूरों को मकान के लिए भूमि देना, श्रम सहकारी समितियों का गठन करना, आदि। द्वितीय योजना में सामाजिक न्याय तथा खेतिहर मजदूरों को पूर्ण रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया गया था। कुछ राज्य सरकारों ने हरिजन तथा खेतिहर मजदूरों के लिए भवन निर्माण के लिए भूमि दी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पेय जल की व्यवस्था, खेतिहर मजदूरों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। इसी प्रकार के कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में भी चलाए जा रहे हैं और पांचवीं योजना में चलेंगे। खेती के कार्यों में सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण, भूमि सुधार, वृक्षारोपण, चरागाहों का विकास, भू एवं जल संरक्षण, सड़कों का विकास आदि योजनाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि खेतिहर मजदूरों के जीवन स्तर में इच्छित सुधार हो सके।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग
1061 टाइप 5, एन० एच०
फरीदाबाद-121001

गोबर गैस से ईंधन समस्या का समाधान

शिशुपाल सिंह 'त्यागी'

विश्व आज ऊर्जा संकट से संत्रस्त है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि आगामी शताब्दि में वायुयान, मोटर कार, जलयान सभी तीव्र गति वाले वाहन क्रियाहीन हो जायेंगे, तेल के अभाव में। यह चिन्ता निर्मूल नहीं है, किन्तु उसका ठोस कारण है। आखिर संसार में तेल के कितने भी अक्षय भण्डार हो, कोयला अपार हो, किन्तु फिर भी इनकी एक सीमा तो है। जिस तीव्र गति से आज विश्व में लकड़ी, तेल, कोयला और गैस का उपभोग बढ़ रहा है, उससे संकट के अधिकतम निकट आने की सम्भावनाएं बढ़ती जा रही हैं।

एक अनुमान के अनुसार 1970 के दशक में विश्व में तेल की खपत दोगुना से भी अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है। आज अमरीका कुल तेल का एक तिहाई भाग फूंक देता है। आधुनिक अर्थ में जिसे 'सभ्यता' कहा जाता है, उसके विकास के साथ ऊर्जा का उपभोग बढ़ता जा रहा है। कहना चाहिए कि सभ्यता के विकास और ऊर्जा का आपस में गहरा सम्बन्ध है।

प्रसिद्ध परमाणु शास्त्री डा० भाभा के अनुसार मानव जाति ने पिछले 2000 वर्षों में जितनी ऊर्जा का व्यय किया, उसका आधा भाग विश्व ने केवल पिछली आधी शती में समाप्त कर दिया है। ऐसी आशंका भी व्यक्त की गई है कि हमारे तेल के भण्डार 40 से लेकर 100 वर्षों से अधिक नहीं चल पायेंगे। उसके बाद क्या? यह एक नया प्रश्न है, जो आज संसार के सभी देशों को उद्वेलित किए हुए हैं।

संसार के अनेक देशों ने इस संकट से पार पाने के लिए विभिन्न उपायों पर कार्य आरम्भ कर दिया है, जैसे पानी व गैस से कार चलाने पर प्रयोग, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग आदि। किन्तु वे अभी विमागी कसरत ही सिद्ध हो रहे हैं, इन पर सफलता पाना अभी शेष है।

भारत में ईंधन के मुख्य साधन हैं लकड़ी, कोयला, तेल, गैस और गोबर (उपले)। भारत में कोयले के अक्षय भण्डार हैं, किन्तु अभी तक हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाये हैं, कारण है साधनों का अभाव।

भारत गावों में बसता है और गांवों में आज भी ईन्धन का मुख्य स्रोत लकड़ी और गोबर (उपले) हैं। अभी तक हम गांवों में कोयला पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए ग्रामवासी लकड़ी और गोबर पर ही निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं। इस समय तो नगरों में भी कोयले का अकाल है।

लकड़ी और कोयले

"एनर्जी सर्वे आफ इण्डिया कमेटी" (1965) ने अनुमान लगाया है कि देश में 1962-63 में कुल 1700 लाख टन ऊर्जा का उपयोग हुआ था, जिसमें 970 लाख टन घरेलू क्षेत्र में खर्च हुई थी। ग्रामीण खपत 790 लाख टन और शहरी खपत 180 लाख टन, जिसमें 910 लाख टन गैर-व्यापारिक थी (280 लाख टन सूखे उपले, और 630 लाख टन लकड़ी, लकड़ी का कोयला, डण्ठल आदि और खपच्चियां)। गैर-व्यापारिक ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ईन्धन की 90 प्रतिशत आवश्यकता, नगरों की 30-32 प्रतिशत और अन्य शहरी इलाकों की कम से कम 80 प्रतिशत आवश्यकता पूरी करती है।

श्री *'पुतनम' के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत का 73 प्रतिशत भाग गोबर से मिलता है। डा० भामा के अनुसार ईन्धन के रूप में 2240 लाख टन गोबर इस्तेमाल होता था। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अनुसार भारत में प्राप्त गोबर का 40 प्रतिशत ईन्धन के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि खाद्य और कृषि मन्त्रालय के अनुसार 50 प्रतिशत प्रयुक्त होता है।

गैस गोबर से लाभ

गोबर गैस संयन्त्र को वर्तमान रूप देने में डा० एस० पी० देसाई, प्रो० एन० वी० जोशी और श्री जशभाई पटेल का नाम अग्रगण्य है। श्री जशभाई पटेल ने गोबर गैस संयन्त्र में काफी सुधार किए हैं। घरेलू ईन्धन की आवश्यकता की पूर्ति करने में यह एक नवीन आविष्कार है और अत्यन्त उपयोगी भी। आज हम गोबर को ईन्धन के रूप में जलाकर अपार राष्ट्रीय सम्पत्ति का विनाश कर रहे हैं। गोबर गैस संयन्त्र से उत्तम खाद प्राप्त करने के साथ-साथ ईन्धन की प्राप्ति भी होती है। उत्तम खाद का उपयोग कर देश में खाद्यान्नों की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और साथ ही धूम्र-हीन ईन्धन गैस के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। देश में रासायनिक खादों की आज बहुत कमी है, इससे उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, हम लकड़ी जलाकर अपने बागानों और वनों को समाप्त करते जा रहे हैं। इससे देश की बड़ी हानि हो रही है। वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही भूमि का कटाव भी बढ़ रहा है। यदि हम सारे गोबर का इस्तेमाल गैस के रूप में करलें, तो बागानों व वनों की सुरक्षा की जा सकती है।

भारत में लगभग 23 करोड़ पशु हैं। वर्ष में इनसे करीब 120 करोड़ टन

गोबर प्राप्त होता है, जिसमें से करीब 40 करोड़ टन उपले के रूप में जला दिया जाता है। यदि इसका उपयोग खाद बनाने में किया जा सके, तो इससे लगभग एक करोड़ टन खाद्यान्न की बढ़ोतरी होगी।

साधारणतः गोबर के जलाने से खाद नष्ट हो जाती है, और खाद बनाने में ईन्धन की प्राप्ति नहीं होती और खाद भी अच्छे किस्म का नहीं होता। गोबर गैस संयन्त्र से दोनों वस्तुएं प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, इस विधि से उत्तम खाद बनती है, जो उपज बढ़ाने में सहायता देती है। गोबर का गैस के रूप में उपयोग करने से 20 प्रतिशत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः गोबर गैस संयन्त्र द्वारा 43 प्रतिशत अधिक खाद और 20 प्रतिशत अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इससे घरों व आसपास के क्षेत्र को साफ-सुथरा रखने में सहायता मिलती है तथा घरों को धूम्र की कालिमा से मुक्त रखा जा सकेगा।

गैस संयन्त्र के साथ शौचालय जोड़ कर और अधिक गैस तथा अधिक उत्तम खाद प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में गोबर गैस संयन्त्र हमारे किसानों के लिए एक वरदान है।

ग्रामोद्योग कमीशन

देश में गोबर गैस संयन्त्र का कार्य खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है। इस कार्य को सफली-भूत और लोकप्रय बनाने की दिशा में कमीशन द्वारा सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक कमीशन द्वारा करीब 7000 गोबर गैस संयन्त्रों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 6000 शौचालय भी संयन्त्रों के साथ जोड़े गए हैं। यह कार्यक्रम सुचारू गति से आगे बढ़ रहा है।

गोबर गैस संयन्त्र विभिन्न क्षमता वाले बनाए जाते हैं। उसी अनुपात से उन पर व्यय भी आता है। अभी तक कमीशन द्वारा 60 घन फीट से 5000 घन फीट क्षमता वाले संयन्त्र लगाए जा रहे हैं। 60 घन फीट गैस क्षमता वाले संयन्त्र पर 1600 रुपए और 5000 घन फीट पर लगभग 40000 रुपये व्यय आते हैं।

संयन्त्र के लिए गोबर (पानी मिलाकर) कच्चा माल है, साथ ही लैटरीन जोड़कर उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

यह आशंका व्यक्त की गयी है कि यह संयन्त्र उत्तरी भारत के उन क्षेत्रों में कार्यक्षम नहीं है, जहां कड़ाके की सरदी पड़ती है। यह बात सच है कि सरदी में गैस का निर्माण मन्द गति से होने लगता है, किन्तु फिर भी प्रत्यक्ष अनुभव से यह देखा गया है कि केवल 2 माह के लिए 30 से 50 प्रतिशत (सरदी की अधिकता व कमी के अनुसार) तक कम गैस का उत्पादन होता है, अन्यथा यह संयन्त्र इन क्षेत्रों में साल के 10 माह पूर्ण क्षमता से कार्य करता है। इस दिशा में कुछ तकनीकी सुधार किए जा सकते हैं। खादी ग्रामोद्योग कमीशन इस ओर सतर्क है और आशा की जाती है कि आज जो त्रुटियां गोबर गैस संयन्त्र में पायी जाती हैं, उनको यथा सम्भव ठीक कर लिया जायगा।

उज्ज्वल भविष्य

भारत में गोबर गैस संयन्त्र का भविष्य उज्ज्वल है। वास्तव में गोबर गैस संयन्त्र द्वारा भारत में ग्रामीण आर्थिक क्रान्ति लाई जा सकती है। नगरों में सार्वजनिक शौचालय बनाकर उनको गोबर गैस संयन्त्र के साथ जोड़ कर काफी गैस प्राप्त की जा सकती है, जो सरकारी कालोनियों में दी जा सकती है। साथ ही इससे नदियों के पानी को गन्दा होने से बचाया जा सकता है और करोड़ों रुपये का धन खाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

यदि यह योजना बड़े पैमाने पर चालू की जाए, तो इससे गांवों की काया-पलट होने के साथ साथ, हमारे प्रशिक्षित इन्जीनियरों, डिप्लोमाधारियों, कारी-गरों, तथा लुहारों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया किए जा सकते हैं। वास्तव में इस योजना को सही दिशा में चलाने की आवश्यकता है। भारत सरकार, राज्य सरकार, पंचायतें, स्वायत्त संस्थाएं इस ओर अधिक ध्यान दें, तो यह योजना सफल की जा सकती है।

आवश्यकता इस बात की है कि किसानों को उचित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाय। यह कार्य सहकारी व सरकारी बैंकों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। साथ ही तकनीकी सुधार की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

गांवों को आर्थिक रूप से ऊपर लाने की दिशा में यह एक उत्तम कदम होगा।

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के ढ़ाई पृष्ठ से अधिक न हो।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने या पता बदलने या अङ्क न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-3 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी) खाद्य एवं कृषि, (सामुदायिक विकास और सहकारीता) मन्त्रालय, 467, कृषिभवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

शिक्षा का समाजवादी रूप : एक चिन्तन

जीवन मेहता

अपने अनुभव और आवश्यकता के आधार पर हमारे समाज ने अपने भावी रूप निर्माण के लिए समाजवादी समाज रचना के लक्ष्य को स्वीकार किया है। विभिन्न कारणों से इस समाजवादी समाज रचना का स्वरूप कैसा होगा, यद्यपि इस सम्बन्ध में अभी व्यापक और स्पष्ट चिन्तन का अभाव है। लेकिन एक बात इसके बारे में स्पष्ट और निश्चित है कि यह लक्ष्य जनतांत्रिक साधनों का प्रयोग करके ही प्राप्त किया जाएगा। अर्थात् इसे क्रान्तिकारी और हिंसक साधनों से समाज पर लादा नहीं जाएगा वरन् जनमत पर आधारित जनतांत्रिक साधनों के प्रयोग के माध्यम से ही उसे शनैः शनैः स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाएगा। अतः हमारे समाजवादी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति में जनतांत्रिक साधनों का एक विशेष महत्व है। साधनों का यह विशेष महत्व ही भारत में समाजवादी प्रयोग की एक प्रमुख विशेषता का निर्माण करता है और उसे अभिनवता प्रदान करता है। जनतांत्रिक साधनों की सफलता शिक्षा पर निर्भर करती है, क्योंकि शिक्षित जनसमूह ही स्वस्थ और सबल जनमत का निर्माण करने और उसके अनुसार जनतांत्रिक साधनों का सफल प्रयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का समाजवादी स्वरूप ही समाजवादी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित जनतांत्रिक साधनों के सफल प्रयोग की भूमिका तैयार कर उन्हें सामाजिक परिवर्तन के कारगर साधन बना सकता है।

इस दृष्टि से अगर हम चिन्तन करें तो हमें शिक्षा के समाजवादी रूप के निम्नलिखित चार प्रमुख स्तम्भ दृष्टिगोचर होते हैं, जिन पर वह अनिवार्य रूप से आधारित होनी चाहिए। ये चार स्तम्भ हैं :—

1. सांस्कृतिक दृष्टि से उसका समन्वयवादी रूप।

2. धार्मिक दृष्टि से उसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र।

3. श्रम की दृष्टि से उसकी श्रम की सर्वोच्चता में आस्था, और

4. हित की दृष्टि से उसका व्यक्तिहित पर सामाजिकहित की प्रधानता को स्थापित करने का लक्ष्य।

समन्वयवादी रूप

सांस्कृतिक दृष्टि से समाजवादी शिक्षा का उद्देश्य समाज में विद्यमान विभिन्न सांस्कृतिक घटकों में समन्वय स्थापित करने का तथा उन्हें अविच्छिन्न रूप में एक दूसरे से जोड़ कर एक दूसरे का पूरक बनाने का होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही वह उस समाजिक एकता का निर्माण कर सकती है, जिसका आधार स्वाभाविक रूप से भावात्मक होता है और जो समाजवादी समाज निर्माण के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करने में सक्षम होती है। भावात्मक सामाजिक एकता के अभाव में समाजवादी समाज निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि समाजवादी समाज निर्माण किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग के प्रयत्नों से ही सम्भव नहीं है, वह एक सहकारी प्रयास है, जिसकी सफलता के लिए समाज के सभी घटकों का पूर्ण सहयोग तभी उपलब्ध हो सकता है जबकि वे एक दूसरे को अपना समझने और आपस में सहयोग करने की मनोदशा से प्रेरित हों। भावात्मक एकता न सिर्फ इस मनोदशा को प्रेरित करती है वरन् इसे सुदृढ़ भी बनाती है।

लेकिन प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस एकता के उद्देश्य को किस तरह प्राप्त किया जाए और उसका स्वरूप कैसा हो ? क्या समाज इस दृष्टि से एकता स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति-सामर्थ्य का प्रयोग कर अपने में विद्यमान सभी सांस्कृतिक विभिन्नताओं का उन्मूलन कर दे और किसी एक घटक की संस्कृति को अपना कर उसके अनुसार अपने आपको एकताबद्ध करने का प्रयास करे। जनतांत्रिक साधनों में समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के इच्छुक और प्रयत्नशील समाज के लिए ऐसा करना न तो उचित है और न सम्भव। क्योंकि यह जनतन्त्र और समाजवाद दोनों के ही सिद्धान्तों के विरुद्ध है और अपेक्षित सफलता प्रदान करने में असमर्थ होगा। अतः आवश्यक रूप से यह एकता समाज में विद्यमान विभिन्न सांस्कृतिक विविधताओं को जीवित रखने और फलने-फूलने का औचित्यपूर्ण अवसर और अधिकार प्रदान करके ही प्राप्त की जा सकती है। भावात्मक सामाजिक एकता की स्थापना और सुदृढ़ता की दृष्टि से समाजवादी शिक्षा इसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होनी चाहिए और विविधताओं में एकता की उपलब्धि ही उसका एक मात्र निर्देशक सिद्धान्त और इष्ट होना चाहिए।

धर्मनिरपेक्ष चरित्र

समाजवादी शिक्षा का दूसरा आधार उसका धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। धर्मनिरपेक्षता अपने सच्चे अर्थ में बहुधर्मवादिता नहीं है, जैसा कि अक्सर हमारे देश में उसके अर्थ और व्यवहार के सम्बन्ध में समझ लिया जाता है और जिसके कारण सभी धर्मों को अपनी मनमानी करने का अवसर मिल जाता है। धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ है, समाज की सभी धर्मों से पूर्ण असम्बद्धता। इस तरह के समाज में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म एक सामाजिक शक्ति नहीं होता। वह न सामाजिक नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है और न समाज संचालन में किसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह करता है। अर्थात, एक धर्मनिरपेक्ष समाज में धर्म का सामाजिक

महत्व बिल्कुल समाप्त कर दिया जाता है और उसे विशुद्ध रूप से व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास का एक विषय बना दिया जाता है। इस तरह धर्म व्यक्ति से ही सम्बन्धित होता है, समाज से नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर धर्म व्यक्ति पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर उसके माध्यम से सामाजिक मामलों में किसी तरह से हस्तक्षेप करने का या सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों को अपने हितों के अनुसार प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो समाज अपनी पूर्ण शक्ति-सामर्थ्य के साथ उसे नियन्त्रित कर अपनी सीमाओं में रखने का तथा समाज को उसके अहितकारी प्रभावों से बचाने का पूर्ण उपक्रम करता है और तब तक शान्त नहीं होता जब तक कि वह अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो जाता।

समाजवादी शिक्षा इस तरह धर्म-निरपेक्ष समाज की स्थापना में एक सबल साधन के रूप में कार्य करती है। वह मनुष्य को धर्म के सच्चे रूप और महत्व से अवगत कराती है, उसे विभिन्न धार्मिक अन्धविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त करती है और उसकी धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता का विनाश कर उसे न सिर्फ उदार बनाती है वरन् प्रगतिशील दृष्टिकोण को ग्रहण करने और उसके अनुसार जीवन यापन करने के योग्य भी बनाती है।

श्रम की सर्वोच्चता

समाजवादी शिक्षा व्यक्ति में हर प्रकार के श्रम को आदर की दृष्टि से देखने, उसे अपनाने और सर्वोच्चता तथा श्रेष्ठता को स्वीकार करने का प्रशिक्षण देने वाली एक सबल प्रेरक शक्ति होती है। 'श्रम नहीं तो रोटी नहीं' का सिद्धान्त समाजवादी विचारधारा का एक बुनियादी सिद्धान्त है, जिसका अर्थ है समाजवादी समाज न तो किसी तरह की परजीविता में विश्वास रखता है और न उसे पनपने का कोई अवसर प्रदान करता है, क्योंकि ऐसा करके ही वह मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले मनुष्य के हर प्रकार के शोषण का अन्त कर एक शोषण विहीन समाज की रचना के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। अतः शोषण के उन्मूलन के लिए यह आवश्यक है कि अपनी जीविका के लिए समाज का हर वर्ग और उसका हर सदस्य श्रम करे। यह श्रम शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। लेकिन जहां तक सम्भव होता है दोनों का महत्व और मूल्यांकन समान रूप से आंका जाता है और उन्हें समान आदर की दृष्टि से देखा जाता है। अतः दूसरों के श्रम पर जीने की प्रवृत्ति को सम्माननीय समझने या विशेष प्रकार के श्रम को उच्च या निम्न समझने की पूंजीवादी मनोवृत्ति को समूल नष्ट करके और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हर प्रकार के श्रम के प्रति आदर भाव जाग्रत करने तथा उसे सर्वोच्च और श्रेष्ठ महत्व का तत्व सिद्ध करने की दृष्टि से समाजवादी समाज में शिक्षा का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह व्यक्ति के श्रम सम्बन्धी रूढ़िवादी संस्कारों का उन्मूलन करती है और उसे समाजवादी संस्कारों से संस्कारित कर श्रम के सम्बन्ध में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे प्रेरित होकर वह समाजवादी समाज के निर्माण में एक श्रमिक के रूप में उपयोगी भूमिका का निर्वाह करता हुआ अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति अपने आप को पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित कर देने में समर्थ होता है।

सामाजिक हित

समाजवादी शिक्षा की एक अन्य मुख्य विशेषता उसका व्यक्ति—हित पर सामाजिक हित की प्रधानता का प्रशिक्षण है, जिसके अनुसार वह व्यक्ति में निरन्तर इस भावना को जाग्रत करती है कि उसके व्यक्तिगत हित की तुलना में सामाजिक हित अधिक महत्वपूर्ण और प्रधान हैं और इसलिए जब भी उसके सम्मुख उसके व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में संघर्ष की स्थिति उपस्थित हो तो उसे आवश्यक रूप से अपने व्यक्तिगत हित के बजाय सामाजिक हित के पक्ष में निर्णय कर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। सामाजिक हित की पूर्ति के लिए अपने व्यक्तिगत हित का बलिदान करने के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित करना समाजवादी शिक्षा का एक प्रमुख लक्षण है, जिससे व्यक्ति में समाज के हितार्थ स्वहित की पूर्ति की संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति दूर होती है और वह सही रूप में अपने आपको समाजवादी समाज का एक योग्य नागरिक बना पाने में समर्थ होता है। इस तरह समाजवादी शिक्षा व्यक्ति को दुर्गुणों से मुक्त कर उसके चरित्र में समाजवादी गुणों का समावेश करती है और उसे सच्चे रूप में समाजवादी बनाती है।

ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी हमारी शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति हमें मुख्य रूप से एक समाजवादी समाज की रचना के सन्दर्भ में, उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित ही नहीं, बाध्य भी करती है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सही दृष्टि से एक जनतांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना में शिक्षा के उचित महत्व को पहचानें और उसके अनुरूप उसके स्वरूप में आवश्यक समाजवादी परिवर्तनों के क्रम को प्रारम्भ कर उसे समाजवादी समाज के लक्ष्य की प्राप्ति में एक सबल और समर्थ साधन के रूप में विकसित करें, क्योंकि ऐसा करके ही हम न सिर्फ अपने देश में कार्यरत जनतांत्रिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में समर्थ हो सकते हैं अपितु उसके माध्यम से समाजवादी समाज रचना के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

राजकीय महाविद्यालय
भीलवाड़ा, राजस्थान

□

बढ़ते हुए मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में सहकारी संस्थाओं का महत्व

मदन लाल शर्मा

भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था में मूल्यों की वृद्धि एक सामान्य लक्षण के रूप में परिलक्षित होती है किन्तु जब यह मूल्य वृद्धि अत्यधिक तीव्र रूप धारण कर लेती है और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें आकाश को स्पर्श करने लगती हैं तो इससे उपभोक्ता वर्ग की परेशानी बढ़ जाती है। पिछले दो तीन वर्षों में (मुख्यतः सन् 1971 के पश्चात्) हमारे देश में लगभग इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए कई समाजवादी कदम भी उठाए जिनमें गेहूं के थोक व्यापार को सरकारी अधिकार में लेना, अभाव वाली वस्तुओं का राशन कार्डों के आधार पर वितरण करना, जमाखोरों एवं मुनाफा कमाने वालों के विरुद्ध भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करना आदि मुख्य हैं। किन्तु इन सबका व्यावहारिक प्रभाव नहीं के बराबर रहा और फलस्वरूप स्थिति और अधिक विषम होती चली जा रही है।

इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता आन्दालन का "उपभोक्ता सहकारिता" स्वरूप अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वस्तुतः सहकारिता आन्दोलन 'जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, आन्दोलन तभी कहा जा सकता है जब ऐसी विषम स्थिति में वह जनता की सहायता कर सकें।

जिस प्रकार आपत्ति काल आने पर ईश्वर में आस्था जग्रत होती है ठीक उसी प्रकार मूल्यों की अत्यधिक वृद्धि की स्थिति में उपभोक्ता सहकारिता के विकास की ओर ध्यान जाता है। हमारे देश में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के विकास अध्ययन से इसी तथ्य की पुष्टि होती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध काल में जब मूल्य वृद्धि की समस्या ने गम्भीर रूप लिया तब हमारे देश में कुछ उपभोक्ता सहकारी संस्थानों का जन्म हुआ किन्तु ये युद्धोत्तर काल में "बरसाती मैंढक" के समान लुप्त होने लगे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय याजनावधि में मूल्य वृद्धि की कोई विशेष गम्भीर समस्या नहीं थी। अतएव उपभोक्ता सहकारिता की प्रगति भी धीमी रही। किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में कुछ तो उत्पादन में गतिरोध उत्पन्न हो जाने से तथा कुछ हमारे पड़ौसी देश चीन द्वारा हमारे देश पर आक्रमण कर दिए जाने के फलस्वरूप युद्ध की परिस्थिति पैदा हो जाने से मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। फल स्वरूप देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सन् 1962-63 में भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाओं को सम्मिलित करते हुए एक केन्द्र समर्थित कार्यक्रम बनाया गया जिसमें हमारे देश के उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन में नव चेतना का सञ्चार हुआ। इसी प्रकार सन् 1965 में पाकिस्तान आक्रमण के समय उपभोग्य वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो गया तथा मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि दृष्टिगोचर हुई तो जून 1966 में भारत सरकार ने अपने एक विस्तृत कार्यक्रम के द्वारा उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। फिर भी अकालों, युद्ध एवं बंगलादेश के स्वतन्त्रता संघर्ष के परिणाम स्वरूप मूल्य निरन्तर चढ़ते गए तथा भारतीय जनता का जीवन यापन अत्यन्त दूभर होता चला गया। भारत सरकार ने अपने समाजवादी उत्तरदायित्व का वहन करने हेतु फरवरी 1973 में गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय कर लिया किन्तु परिणाम वही 'ढ़ाक के तीन पात'। इस वर्ष अप्रैल में सभी वस्तुओं का मूल्य सूचक अंक अप्रैल सन् 1962 के अंक से 15.2 प्रतिशत अधिक था। यही नही, अप्रैल 1973 के बाद के छह महीनों में तो मूल्यों में चौंका देने वाली वृद्धि हुई है। हमारे देश के कृषि मंत्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद के अनुसार :—"वर्तमान सन्दर्भ में जब कि मूल्यों में वृद्धि की समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर खतरा बनी हुई है, उपभोक्ता सहकारिता उपभोक्ता वस्तुओं के सस्ते एवं उचित मूल्यों पर वितरण तथा व्यापार पर स्वस्थ प्रभाव डालने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।"

प्रगति

वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आन्दोलन का सम्पूर्ण विकास ही दुर्बल एवं दोष पूर्ण रहा है किन्तु उपभोक्ता सहकारिता का विकास तो और भी मन्द एवं निराशाजनक रहा है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है भारत में उपभोक्ता सहकारिता का जन्म लगभग एक शताब्दि पुराना ही है किन्तु इस शताब्दि में भी उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं की प्रगति विशेष सन्तोषजनक नहीं रही है जिसका पता इस बात से चलता है कि आज भी हमारे देश के कुल फुटकर व्यापार का केवल 20% भाग ही सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा किया जाता है। यद्यपि हमारे देश में गुजरात की अमुल डेरी, तमिलनाडु में कोयम्बटूर का चिन्तामणि सुपर बाजार तथा कोल्हापुर का सेतकरी सहकारी संघ आदि कुछ ऐसी सहकारी संस्थाएं भी हैं जिन्होंने उपभोक्ता सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है किन्तु इन की संख्या बहुत कम है। 'चिन्तामणि सुपर बाजार'

की वार्षिक बिक्री जो सन् 1967-68 में 77 लाख रु० की थी वह सन् 1970-71 में बढ़कर 4,64 करोड़ रुपए की हो गई है अर्थात् तीन वर्ष में लगभग 6 गुनी हो गई है। वस्तुतः यह प्रगति अन्य उपभोक्ता भण्डारों एवं सुपर बाजारों के लिए अनुकरणीय है।

वर्तमान स्थिति

हमारे देश में उपभोक्ता सहकारियों से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान समय में हमारे देश के शहरी क्षेत्रों में लगभग 400 थोक सहकारी उपभोक्ता भण्डार कार्य कर रहे हैं जिनकी 2,300 शाखाएं हैं तथा जिनके अधीन 14,000 प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार भी हैं। उन्होंने जून 1972 को समाप्त हुए सहकारी वर्ष में शहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 175 करोड़ रुपए की उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण किया। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल एक लाख 62 हजार प्राथमिक साख सेवा समितियां तथा 3,300 प्राथमिक विपणन समितियां (मण्डी स्तर पर) हैं जिनमें से लगभग 40,000 लाख सेवा समितियां तथा 1,6000 विपणन सहकारी प्राथमिक समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक उपभोक्ता सामान के वितरण में लगी हुई हैं। इन सभी समितियों द्वारा जून 1972 में समाप्त सहकारी वर्ष में कुल 225 करोड़ रुपए की उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण किया गया। इन समितियों एवं भण्डारों के ऊपर प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ तथा सभी राज्य संघों पर एक राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ है।

उपर्युक्त विवेचन से इस बात का तो पता चलता है कि हमारे देश में सहकारी उपभोक्ता भण्डार समितियों का विस्तार हुआ है किन्तु यदि इनके वास्तविक कार्य परिचालन पर दृष्टि डाली जाए तो अत्यन्त धूमिल चित्र सामने आएगा। उदाहरणार्थ उपरोक्त 14,000 प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में से लगभग 40% सहकारी वर्ष 1969 के अन्त तक निष्क्रिय थे तथा उसी अवधि में 212 थोक सहकारी उपभोक्ता भण्डार हानि में चल रहे थे। यद्यपि सभी 14 राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लाभ पर चल रहे बताए गए किन्तु उन सबका कुल विक्रय नगण्य था। उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन में थोक सहकारी भण्डार एक प्रमुख स्थान रखते हैं। किन्तु उनके कार्य के विश्लेषण से पता चलता है कि वे अपनी स्थापना के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे हैं।

हानियों के कारण

प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि उपभोक्ता सहकारी संस्थान (भण्डार) हानि में क्यों चल रहे हैं? इसके कारणों में से प्रमुख कारण समुचित प्रबन्ध का अभाव अविवेकपूर्ण क्रय, लेखे रखने तथा स्कन्ध का सत्यापन करने की त्रुटियों, यथोचित सामग्री-नियन्त्रण का अभाव, सौहार्दपूर्ण एवं दक्ष विक्रय कला का अभाव है। कई परिस्थितियों में यह देखा गया है कि हानि को रोकने के कदम नहीं उठाए जाते और व्यय में कमी, क्रय के आवश्यकतानुसार समायोजन व्यवसाय के विविधीकरण तथा वित्तीय सहायता की उपलब्धि के लिए प्रयास नहीं किए जाते। आवश्यकता इस बात की है कि सहकारिता आन्दोलन के कर्णधार, भण्डारों के कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारिणी के सदस्य अपने प्राप्त अनुभवों के आधार पर उचित कदम उठाए तथा भण्डारों का कार्य व्यावसायिक दक्षता एवं मितव्ययिता के आधार पर संचालित करें। वस्तुओं के क्रय की ऐसी व्यवस्था की जाए कि क्रय सही स्रोत से, सही मात्रा में, सही समय पर तथा अनुकूलतम कीमतों पर हो सके।

सुझाव

नई दिल्ली में 24 एवं 25 जनवरी 1973 को राज्यों के सहकारी मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह स्वीकार किया गया कि उपभोक्ता वस्तुओं के समुचित वितरण में उपभोक्ता सहकारियां अपनी प्रमुख भूमिका रखती हैं। उपभोक्ताओं के हितों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिए उपभोक्ता सहकारियों के वर्तमान संरचनात्मक कलेवर में आवश्यक सुदृढ़ता लाई जानी चाहिए तथा इनसे फुटकर व्यापार का विस्तार किया जाना चाहिए। इन संस्थाओं का सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के एक आवश्यक अङ्ग के रूप में विकास किया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अपनी वस्तुओं के वितरण के लिए एक प्रमुख अभिकरण के रूप में इनका उपयोग किया चाहिए। निर्धारित कीमतों पर नियन्त्रित वस्त्र के वितरण हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ सुपर बाजार तथा सहकारी भण्डारों को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है और यह ध्यान देने योग्य है कि इस कार्य को कुशलतापूर्वक चलाया जाए तथा उपभोक्ताओं को नियन्त्रित वस्त्र उपलब्ध होता रहे।

उपभोक्ता सहकारियों को एक दक्ष तथा सुदृढ़ व्यावसायिक संगठनों के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें अनुकल शर्तों पर संस्थागत खरीद करनी चाहिए तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से इस बारे में आवश्यकतानुसार परामर्श लेना चाहिए। सहकारी भण्डारों के कार्यों में सुधार हेतु प्रभावपूर्ण कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिसमें दुर्बल इकाइयों के पुनरुद्धार की भी व्यवस्था हो। इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को अपनी वार्षिक योजनाओं एवं बजटों में व्यवस्था करके उन भण्डारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए जो क्षमतावान् न हों और जिनमें सुधार की गुंजाइश हो।

दिनांक 27-28 मार्च 1973 को नई दिल्ली में सहकारी नीति निर्माताओं का सम्मेलन हुआ जिसमें उपभोक्ता सहकारियों के माध्यम से उपभोक्ता वर्ग को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित मूल्यों पर किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा इस सम्बन्ध में उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं के कार्य को अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नांकित सिफारिशें की गई :—

1. कुछ राज्य सरकारों ने आवश्यक

वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, शक्कर आदि के वितरण हेतु आवश्यक वस्तु आयोग स्थापित किए हैं। भारत सरकार को नीति निर्देश जारी करके यह विश्वास दिलाना होगा कि जहाँ आवश्यक हो वहां सहकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाए किन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्य किसी अभिकरण की स्थापना नहीं की जाए।

2. भारत सरकार को चाहिए कि वह देश में आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, चावल, शक्कर, वस्त्र आदि के वितरण हेतु उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग थोक एवं फुटकर दोनों ही स्तरों पर करे। लेवी शक्कर के वितरण में भी खाद्य निगम के स्थान पर उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं का उपयोग अपेक्षाकृत कम खर्चीला प्रमाणित होगा।

3. अनेक उपभोग्य वस्तुओं का आयात जो अब तक राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है वह राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के द्वारा किया जाए जो उनका वितरण नीचे वाली सहकारी संस्थाओं के माध्यम से करे।

4. उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन में थोक क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु तत्काल कदम उठाए जाएं क्योंकि इनके बिना फुटकर स्तर की इकाइयां कुशलता पूर्वक कार्य नहीं कर सकेगी।

5. थोक एवं फुटकर दोनों स्तरों पर कार्य को अधिक दक्ष बनाने हेतु यह आवश्यक है कि थोक एवं फुटकर संगठनों का कार्यक्षेत्र विभक्त कर दिया जाए। अन्य देशों के अनुभावों के आधार पर थोक संगठनों को वसूली, भण्डारण, मूल्य निर्धारण एवं फुटकर संगठनों की वस्तुओं के वितरण का कार्य करना चाहिए और फुटकर संगठनों को उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने हेतु विक्रय कार्य करना चाहिए।

6. व्यवसाय की बढ़ती जटिलता एवं प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं में भी व्यावसायिक प्रबन्धकों की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा संचालक मण्डल को अपना कार्य नीति निर्धारण, नियन्त्रण एवं प्रबन्धकों के कार्य की देखरेख तक ही सीमित रखना चाहिए।

7. उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन में समुदाय का विश्वास तभी उत्पन्न हो सकेगा जब कि इन सहकारी संगठनों में जन समुदाय की अधिक से अधिक रुचि उत्पन्न की जाए। अतः सदस्य शिक्षा, उपभोक्ता सूचना तथा अध्ययन मंचों की स्थापना की अविलम्ब व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उपभोक्ता एवं उपभोक्ता सहकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित हो सके तथा राज्य स्तर पर परामर्श देने वाले कक्ष भी स्थापित किए जाने चाहिए।

8. अभी तक उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं अपने रिक्त पदों की पूर्ति के लिए सरकार से निकले हुए अधिकारियों पर ही निर्भर रहती हैं। इससे इनके दीर्घकालीन विकास में बाधा पहुंचती है। अतः अविलम्ब व्यावसायिक प्रबन्धक वर्ग का निर्माण किया जाना चाहिए।

9. सरकार एवं स्थानीय निगमों को चाहिए कि वे उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं को व्यावसायिक स्थान के लिए भूमि प्रदान करने में प्राथमिकता दें। भारत सरकार को चाहिए कि वह इन संस्थाओं के व्यावसायिक भवनों के निर्माण हेतु अलग रकम निर्धारित करदे तथा उसका उपयोग गृह विकास मण्डलों अथवा जीवन बीमा निगम के माध्यम से करे जिससे इनकी भवन सम्बन्धी कठिनाइयां शीघ्र दुर हों।

10. सरकार को चाहिए कि वह दालों, खाद्य तेलों एवं सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की वसूली एवं वितरण का एकाधिकार सहकारी संस्थानों को दे। जहां एक ओर विपणन सहकारियां इन्हें प्राप्त करने का कार्य कर सकेंगी वहां दूसरी ओर उपभोक्ता सहकारियां इनके वितरण का कार्य कर सकेंगी।

11. सम्मेलन में सहमति व्यक्त की गई कि आन्दोलन की वर्तमान संरचना इसके विकास के अनुकूल नहीं है, अतः बदलते हुए आर्थिक पर्यावरण, बाजार की दिशा एवं प्रतिस्पर्धा के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए जिससे कि अधिक संगठित एवं प्रभावपूर्ण रूप में इसका विकास हो सके।

दिनांक 7 जुलाई 1973 को भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा नई दिल्ली में 'खाद्यानों की वसूली एवं वितरण में कृषि सहकारी विपणन समितियों की भूमिका' विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें थोक व्यापार एवं वितरण व्यापार में सहकारी संस्थाओं की बढ़ती हुई भूमियों को मध्येनजर रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। ये सुझाव दो भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में खाद्यान्नों की वसूली से सम्बन्धित सुझावों को सम्मिलित किया गया है तथा द्वितीय भाग में उनके वितरण सम्बन्धी सुझाव दिए गए हैं। उन सभी सुझावों का सार यही है कि खाद्यान्नों के वितरण एवं वसूली का एकाधिकार सहकारी संस्थाओं को दिया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में उनकी उपलब्धियों से जनता को अवगत कराया जाना चाहिए।

जिस प्रकार भारत ने इंगलैंड के सहकारिता आन्दोलन एवं वहां की उपभोक्ता सहकारी समितियों से प्रेरणा ली है उसी प्रकार भारत के उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को इंगलैंड के उपभोकता सहकारी आन्दोलन के समान मध्यस्थों को समाप्त कर उपभोक्ता एवं उत्पादकों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने का उद्देश्य पूरा करना होगा। तभी यह आन्दोलन सफलता के सोपान पर पहुंच सकेगा। अन्त में केन्द्रीय कृषि राज्य मन्त्री श्री अन्ना साहब पी० शिन्दे के शब्दों में·····सहकारियों में चाहे बुराइयां हों पर जन साधारण के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अतः इनका विकास और सुधार किया ही जाना चाहिए। □

सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास अभिकरण-भीलवाड़ा

महावीर सिंहल

राजस्थान का एक छोटा सा गांव गुरलां। भीलवाड़ा-उदयपुर बस मार्ग पर करीब 20 किलोमीटर दूर सड़क के बाईं ओर घने आम के वृक्ष। इनकी छाया में बैठे हुए सैकड़ों कृषक, दूर खेत के पास एक बूढ़े पेड़ की बढ़ती हुई परछाई में बैठा एक अधेड़ गठा हुआ बदन, उम्र 30-35 के आसपास, चेहरे पर दुःख-सुख के उभरते-मिटते हुए भाव, नाम जीतमल, गांव पुर। मेरे पूछने पर बताता है ; "जमीन पर कुआं नहीं है, कुआं खुदवाने के लिए ऋण लेना है। आज के पहले भी कई बार प्रार्थना-पत्र दिए पर काम नहीं बना। सुना है यहां आज पैसा मिलेगा इसलिए आया हूं, शायद अब काम हो जाएगा ....."

इसके पास ही बैठा है मागू, 40-45 साल का बूढ़ा झुर्रीदार चेहरा, श्याम वर्ण, सिर पर पगड़ी, टखनों तक चढ़ी हुई धोती, गांव-गुरलां, कहता है....."वैसे तो हमारी सुने कौन ? गांव से सरकारी दफ्तर और फिर वापिस गांव का भटकाव। छः-छः महीने तक परेशानी, काम में रुकावटें, लेकिन यहां इस केम्प में काम हो जाएगा, यहां सब ही लोग हैं, साथी जी, पटवारी जी, सरपंच साहब, तहसीलदार साहब और बैंकों के अफसर। बिजली की मोटर लगाने के लिए ऋण लेना है, मिल गया तो एक साल में तीन फसलें लूंगा और सारा पैसा जल्दी ही चुका दूंगा ...' बोलते-बोलते आंखों में आशा और चेहरे पर विश्वास की आभा दिखाई देने लगती है।

ये कहानियां हैं उन किसानों की जिन्होंने भीलवाड़ा जिले के सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक विकास अभिकरण द्वारा पिछले दिनों आयोजित सघन अभियान में भाग लिया है।

और अब मैं मिलता हूं पुर गांव के पटवारी बद्रीलाल से। कहते हैं ..."इस अभियान की यह विशेषता रही है कि इस दौरान समस्त एजेन्सियां यहां हैं, अगर किसी किसान के फार्म में गलती रह जाती है तो वह यहीं दुरुस्त करली जाती है, किसान को उसके लिए भटकना नहीं पड़ता.....।"

इन शब्दों की सत्यता आंकने के लिए मैं जब अपने सामने नजर उठाता हूं तो बैठे हुए पाता हूं जिलाधीश श्री जगदीश राम शर्मा को। बातचीत के दौरान मुझे लगता है, अनुभवी, सिद्धहस्त, मुस्तैदी, लगन, कार्य के प्रति सजगता और उलझी गुत्थी सुलझाने का चातुर्य। इन सब का मिलाजुला रूप। मेरे प्रश्न के उत्तर में बताते हैं... "यह अभिकरण भारत सरकार ने सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों के लिए पिछले दो-ढाई वर्ष पहले आरम्भ किया है। देश में 41 जिलों में ऐसी एजेन्सियां हैं, राजस्थान में केवल दो ही हैं। अजमेर और भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जिले में यह योजना 27 जून 1971 को शुरू की गई थी। यहां ग्यारह में से सात तहसीलों में यह लागू है। यह तहसीलें हैं, मांडलगढ़, कोटड़ी, सुवाणा, मांडल, महाड़ा, गयपुर और बेनडा, वैसे तो इनमें साठ हजार सीमान्त कृषक हैं पर पैंतीस हजार किसान ही इससे लाभ उठा सकते हैं। सीमान्त कृषक वे हैं जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित अथवा सवा छः एकड़ असिंचित जमीन होती है और जिनका मुख्य धन्धा खेती है, कृषि श्रमिक वे हैं जिन्हें खेती की मजदूरी से कम से कम पचास प्रतिशत आमदनी होती है, लेकिन जो एक वर्ष में 1200/- रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जिनके पास गांव में खुद का मकान भी हो। इसके साथ ही इस योजना के अन्तर्गत ऐसे बेरोजगार नवयुवक भी आते हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है लेकिन जो ग्रामीण उद्योगों में लगे हैं या इच्छुक हैं। ऐसे पढ़े लिखे ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को भीलवाड़ा में छः माह की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद उद्योग लगाने के लिए बैंकों से ऋण दिलाने के लिए यह एजेन्सी उनकी सहायता भी करती है।"

मैंने फिर आपसे इस सघन अभियान के बारे में जानकारी चाही। आपने बात आगे सरकाई ....."इस अभियान के दौरान प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में तीन-तीन दिन के शिविर लगे

वैसे हमने एक करोड़ अट्ठारह लाख रुपये के ऋण आवेदन पत्र भरने का लक्ष्य निर्धारित किया था, पर अभियान के अन्तिम दिन तक एक करोड़ 7 लाख 94 हजार 980 रुपये के 8240 आवेदन-पत्र भरे जा चुके हैं। ये नए कुएं बनाने, पुराने कुओं को गहरा करने, पम्पिंग सेट, बैलगाड़ी, बैलजोड़ी की खरीद, गाय-भैंस और भेड़ों की खरीद, के लिए भरे गए हैं, एक माह के इस अभियान में वैसे तो बहुत सी खास बातें हैं, पर उनमें से कुछेक प्रमुख हैं। पहला, समस्त जिला एजेन्सियों का एक साथ मिलकर कार्य करना (जो शायद देश में पहली बार ही हुआ है और एक अनुकरणीय उदाहरण है) दूसरा जिन किसानों ने इस अभियान के प्रथम पखवाड़े में मवेशियों की खरीद के आवेदन-पत्र भरे हैं, उनके दरवाजे पर अभियान की समाप्ति के पहले ही गाय-भैंस बंध गई हैं। तीसरा, फसल एवं मवेशियों के लिए एक बीमा योजना भी रखी गई है और चौथा, कार्यकर्ताओं के उत्साह एवं साहस को निरंतर बढ़ाने के लिए पुरस्कार योजना ...।"

तभी हृष्ट-पुष्ट, उन्नत ललाट और मज्जी हुई आंखों वाले एक व्यक्ति हमारे पास आकर बैठ गए। अपरिचित का परिचय प्राप्त हुआ। श्री प्रेमकृष्ण गर्ग, इस अभिकरण के परियोजना अधिकारी। मैं इनकी ओर मुखातिब होता हूं और परियोजना के कार्यों एवं गतिविधियों के बारे में पूछता हूं। नपे-तुले शब्द सुनाई पड़ते हैं .. "अभिकरण के पास ग्रामीण कार्यों में चरागाह विकसित करने, तालाब खुदवाने, छोटे-छोटे बांध बनवाने, गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बनाने, कृषि उपज मण्डी उन्नत करने, इन सबकी योजनाएं भी हैं जिनसे खेतिहर मजदूरों और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया होता है। इन पर तीन करोड़ रुपये का ऋण बैंकों द्वारा तथा एक करोड़ रुपया अभिकरण द्वारा अनुदान देने का प्रावधान है। विभिन्न योजनाओं पर पच्चीस प्रतिशत से तैंतीस प्रतिशत तक किसानों को अनुदान दिया जाता है जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम होते हैं। लेकिन सामूहिक कार्यों पर पचास प्रतिशत रुपये तक अनुदान दिया जाता है। किसानों को उन्नत कृषि यंत्र, उन्नत बीज और उन्नत नस्ल के पशु भी दिलवाए जाते हैं और दूध, अण्डे, ऊन तथा उपज की बिक्री की भी व्यवस्था की जाती है जो उनको शोषण से मुक्ति दिलाती है। अब तक करीब छः हजार किसानों का खाद-बीज और दवाइयां दिलाई गई हैं, करीब 800 से अधिक नए कुएं बनवाए गए हैं और लगभग 130 पुराने कुओं को गहरा भी करवाया गया है। 475 गीर नस्ल की गायें और मुर्रा नस्ल का भैंसें किसानों को दिलाई गई हैं और करीब 460 बैलजोड़ी खरीदी गई हैं.....।"

तभी भेंट होती है एक किसान से, नाम रामनाथ, गांव पारोली, उम्र 40 वर्ष के आसपास, मंझला कद, चेहरा कुछ छोटा, पिचके हुए गाल, किसी को ढूंढ़ती हुई आंखें, कहता है .. " ऐसे अभियान तो घर बैठे गंगा हैं। न दफ्तरों के चक्कर, न कार्यकर्ताओं की खुशामद, बस की भीड़ से बचाव और चायपानी के खर्चे से बचत, न अपने बच्चों के बिछोह का गम और न धर्मशाला में पड़ाव की चिन्ता। सबसे दूर—कितना अच्छा हो अगर यह समाजवादी दृष्टिकोण वर्ष में कम से कम दो बार तो अपनाया जाए .....।"

मैं रामनाथ के शब्दों को तोलता हूं—दफ्तरों के चक्कर किसे नहीं लगाने पड़ते ? भीड़ आजकल कहां नहीं है ? यह बढ़ता हुआ जनसंख्या का सैलाब। चायपानी आजकल कौन नहीं करता ? और..... बच्चों पर भला क्या भरोसा.....

तभी एक अंगड़ाई लेकर मैं उठ खड़ा होता हूं, आखिर बैठे-बैठे थक जो गया हूं..... लेकिन फिर भी ऐसे कार्यों से देश के अधिकांश व्यक्तियों के उज्ज्वल भविष्य का आभास लगा लेता हू। उनके चेहरे पर सुख और शान्ति की किरण देखता हूं।

सम्पादक, आकाशवाणी केन्द्र
349, भूपाल पुरा, उदयपुर
(राजस्थान)

पांचवी योजना में कृषि

एस० एस० पुरी

कृषि के क्षेत्र में योजना के दो प्रमुख उद्देश्य हैं : पहला कृषि उत्पादन में कुल 4.7 प्रतिशत की वृद्धि और दूसरा कृषि मजदूरों और लघु तथा सीमान्त किसानों के विकास के जरिए गांव की जनसंख्या के उन 30 प्रतिशत लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना जो बहुत ही गरीब हैं। पांचवीं योजना की नीतियां और कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं कि वे इन दों लक्ष्यों की पूर्ति अवश्य करें।

ऐसा सोचा गया है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रतिवर्ष 4.2 प्रतिशत की वृद्धि होगी और व्यापारिक फसलों की उपज में 5.2 प्र० श० वार्षिक की वृद्धि होगी। वृद्धि की इन दरों का अनुमान मांग और पूर्ति के तत्वों को ध्यान में रखकर लगाया गया है। यह भी समझा जाता है कि इन लक्ष्यों की पूर्ति से देश खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर तो हो ही जाएगा, उसके पास कुछ अन्न संग्रह के लिए भी बचेगा। व्यापारिक फसलों से औद्योगिक कच्चे माल की देश की आवश्यकताएं पूरी होने के अलावा निर्यात की सम्भावनाएं भी बनेंगी।

उत्पादन लक्ष्य

अब की बार पांचवीं योजना में कृषि उत्पादनों का लक्ष्य पूरे पांच वर्ष की अवधि के लिए समग्र रूप से निर्धारित किया गया है। कार्य-संचालन की सुविधा के लिए निम्नतम और अधिकतम उत्पादन लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। इस तरह के दृष्टिकोण का आधार यह है कि मौसम की तब्दीलियों के कारण अनुमान के सही निकलने में जो हेर-फेर हो सकते हैं, उनका ध्यान में रखकर सम्पूर्ण योजना अवधि के अन्दर ही योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार की जा सके। देश भर के लिए योजना लक्ष्य निर्धारित करने के राज्यवार पंचवर्षीय लक्ष्य भी नियत किए गए हैं। योजना के अंतिम वर्ष तक मौसम की अनियमितता के बावजूद कितना कार्य पूरा कर लिया जाता है, उसको देखकर योजना की सफलता आंकी जाएगी।

उपज में वृद्धि मुख्य रूप से उत्पादकता और बोए जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि पर निर्भर करती है। जहां तक बोए जाने वाले कुल क्षेत्र का सम्बन्ध है, देश में बुआई के सम्पूर्ण क्षेत्र में बुआई होती है। बल्कि जो भूमि खेती के काबिल नहीं है उसमें भी खेती करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी भूमि धीरे-धीरे वन या चरागाह भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी। इस प्रकार, पांचवीं योजना में बुआई वाले क्षेत्र में वृद्धि होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः सिंचित भूमि और पांचवीं योजना के दौरान सिंचाई की सुविधा दी जाने वाली भूमि में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की चेष्टा की जाएगी। अभी तक, कुल फसल क्षेत्र में प्रतिवर्ष 12 लाख हैक्टेयर की दर से वृद्धि होती रही है। पांचवीं योजना में इस वृद्धि दर को दुगुनी करने के प्रस्ताव है ताकि योजना के अन्तिम वर्ष तक कुल फसल क्षेत्र में 1 करोड़ 10 लाख हैक्टेयर की वृद्धि हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहु-फसली कार्यक्रम को गहन बनाया जाएगा। चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में समन्वित भूमि विकास कार्यक्रम में इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जहां क्षेत्र में वृद्धि से उपज में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है, फसलों की उपज में सम्मिलित वृद्धि होने से ही होगी। अधिकांश फसलों में उपज में 3 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि होगी। उपज में यह वृद्धि प्राप्त करने के लिए पांचवीं योजना में बहुमुखी कार्यक्रम और नीतियां निर्धारित की गई हैं। इनमें कृषि शोध और शिक्षा, कृषि प्रसार व प्रशासन, कृषि उत्पादन व ऋण भूमि, जल विकास, मूल्य निर्धारण और विपणन सहित फसल कटने के बाद के कार्य आदि शामिल हैं। बहुत से कार्यक्रम तो वही हैं जो चौथी योजना के दौरान आरम्भ किए गए थे सिर्फ उनका क्षेत्र इस योजना के दौरान विस्तृत होगा। लेकिन पांचवीं योजना में इन्हीं कार्यक्रमों में चौथी योजना की अपेक्षा कुछ नवीनताएं हैं : पहली, बेहतर फसल प्रबन्ध पर इस योजना में विशेष बल दिया गया है। बेहतर प्रबन्ध और उर्वरक आदि बहुमूल्य उपादानों के अधिक सक्षम उपयोग पर बल दिया जाएगा। दूसरी, जल स्रोत स्थिति और समरूप भूमि में समन्वित क्षेत्र विकास का कार्यक्रम आरम्भ करने का लक्ष्य है। तीसरी, पांचवीं योजना में सूर्यमुखी जैसी नई फसलों की उपज क्षमता को पहचाना गया है और इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर आरम्भ करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मूल्य नीति

उपज की नीति और कार्यक्रम के साथ-साथ पांचवीं योजना में कृषि मूल्य निर्धारक नीति भी सावधानीपूर्वक बनाने का प्रस्ताव है। इस नीति निर्धारण में दो बातें विशेषकर ध्यान में रखी जाएंगी। पहली, एक ओर जहां मूल्य नीति लगातार उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देगी, वहीं दूसरी ओर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य कार्यक्रमों के पूरक के रूप में भी यह महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। दूसरी, उपज और मूल्य के सम्बन्ध को स्पष्ट कर देने से किसान को अनुमानित मांग के अनुसार फसल उगाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। जिन फसलों

के उत्पादन की सप्लाई घटती बढ़ती रहती है, उनके लिए मूल्य नीति विशेष सावधानी से तय की जाएगी।

पांचवीं योजना में उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य यदि पूरे हो गए तो हर फसल की मांग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा, उपभोक्ताओं तथा कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अनेक कृषि उत्पादनों की खरीद और बिक्री का कार्य सार्वजनिक तथा सहकारी संस्थाओं द्वारा कराने की व्यवस्था रहेगी। समय-समय पर कृषि मूल्य निर्धारित करते समय इस महत्वपूर्ण पहलू को भी ध्यान में रखना होगा।

यह भी विचार है कि पांचवीं योजना में खाद्यान्नों के मामलों में निम्नतम समर्थन और खरीद मूल्य में अन्तर बनाए रखा जाएगा। उत्पादन लागत और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान में रखकर निम्नतम समर्थन मूल्य सभी जिलों के लिए बुआई शुरू होने के पहले घोषित कर दिया जाया करेगा। खरीद का मूल्य बाद में घोषित किया जाया करेगा। यह मूल्य निम्नतम समर्थन मल्य से कुछ अधिक हुआ करेगा। बफर स्टाक, सार्वजनिक वितरण आदि की आवश्यकताओं का हिसाब लगाने के अतिरिक्त अनुमानित उपज की मात्रा को ध्यान में रख कर खरीद मूल्य निर्धारित किया जाया करेगा।

पशु पालन

पशुपालन उद्योग अभी तक देश में एक सहायक उत्पादक उद्योग ही रहा है। अब यह देखा गया है कि यदि उत्पादन, विपणन, विधायन और पशु-स्वास्थ्य कार्यक्रम को अच्छी तरह चलाया गया तो पशु पालन उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में छोटे किसानों, सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों की वैकल्पिक आय का एक अच्छा स्रोत बन सकता है। इसलिए इस वर्ग के लोगों को इस उद्योग में लगाने की पांचवीं योजना में भरपूर चेष्टा की जाएगी।

मछली पकड़ने के कार्यक्रम से समुद्री स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा और उन मछुओं की आमदनी खूब बढ़ाई जा सकेगी जो देश के समुद्र तटवर्ती भागों में रहते हैं तथा अपनी जीविका के लिए इसी स्रोत पर विशेषकर निर्भर करते हैं। साथ ही, साफ और खारे पानी में मछली पालने की तकनीक में हाल की प्रगति का लाभ उठाकर देश के तटवर्ती तथा दूरस्थ भागों में शिक्षित मछुओं को लाभदायक व्यवसाय में लगाने की कोशिश की जाएगी। समुद्री मछली की देश में विपणन की भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी।

बहुपक्षीय प्रयास

पांचवीं योजना में कृषि विकास के लिए बहुपक्षीय प्रयास किया जाएगा। कृषि विकास के सामान्य कार्यक्रम को फिर से एक नया रूप दिया जाएगा ताकि इसके लाभ लघु व सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों और जनसाधारण को अधिकाधिक मिल सकें। छोटे और सीमान्त किसानों के जरिए दुग्ध उत्पादन का भारी कार्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य है। पशुपालन, मत्स्य पालन विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार से नया रूप दिया जाएगा कि उनसे सम्पूर्ण उत्पादन वृद्धि में सहायता मिलने के साथ-साथ कृषि मजदूरों व लघु तथा सीमान्त किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिले। लघु सिंचाई और भूमि संरक्षण आदि कृषि विकास के अन्य कार्यक्रमों को भी ऐसा ही मोड़ दिया जाएगा। लघु और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं की नीतियों और संगठनों को भी नया रूप दिया जाएगा।

क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में लघु कृषकों की विशेष सहायता के लिए तैयार करने का प्रयास भी किया जाएगा। इसके लिए पांचवीं योजना में दो तरह के प्रमुख कार्यक्रम होंगे : चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं के लिए कमान क्षेत्र का विकास और निर्दिष्ट सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास। हालांकि ये कार्यक्रम सम्बद्ध क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम के अंग हैं फिर भी यह प्रस्ताव है कि लघु कृषक को विकास की मुख्य धारा में रखकर उसे उनका लाभ दिलाया जाए।

कृषि अर्थव्यवस्था में कमजोर क्षेत्रों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाएं तथा उन्हें गहन भी बनाया जाएगा।

वन-रोपण

अभी तक इस क्षेत्र में वन संरशण पर ही विशेष ध्यान दिया गया है और नए वृक्ष लगाने पर बहुत कम पैसा व्यय किया गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग के परामर्श के अनुसार अब वनों से ज्यादा व्यापारिक लाभ लेने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, समाज के, हित के लिए वन-रोपण विशेषकर ईंधन के लिए वन-रोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगले दो वर्षों में वनों से प्रति हैक्टेयर लाभ बढ़ाने का लक्ष्य है। अभी वनों से मिलने वाला लाभ नगण्य है और दो दशकों में भारी लाभ लेने का लक्ष्य है।

पांचवीं योजना में सहकारिता विकास के चार विशिष्ट लक्ष्य रखे जाएंगे। प्रथम उद्देश्य कृषि सहकारी समितियों (ऋण, पूर्ति, विपणन और विधायन) के संगठन को सशक्त बनाना है ताकि निरन्तर कृषि विकास में ये संस्थाएं महत्वपूर्ण योग दे सकें। दूसरा उद्देश्य उपभोक्ता अभियान को प्रबल बनाना है ताकि वितरण व्यवस्था में यह अभियान एक महत्वपूर्ण तत्व की तरह काम कर सके। तीसरा उद्देश्य कृषि ऋण के क्षेत्र में

शेष पृष्ठ 25 पर]

गांवों में जन-सम्पर्क की नई चुनौतियां

भारत में 1260 लाख हैक्टेयर भूमि में खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। इनमें से केवल 250 लाख हैक्टेयर भूमि में ही अधिक उत्पादन वाले बीजों की खेती होती है। परन्तु खाद्यान्नों के उत्पादन पर तथा किसानों द्वारा उर्वरक, कीटाणुनाशक औषधियों के इस्तेमाल और पानी के प्रबन्ध आदि पर इसका प्रभाव इतना है कि हरित-क्रान्ति की भूमिका में इसका योगदान उल्लेखनीय रहा। हरित-क्रान्ति का श्रेय डा० नारमैन बोर्लोग के अनुसंधान कार्य को है। उनको इसके लिए 1970 का नोबल शान्ति पुरस्कार भी मिल चुका है।

छोटे किसान प्राय: उन्नत किस्म के बीजों का लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इसके लिए पूंजी लगानी पड़ती है या कर्ज लेना पड़ता है। पिछले छः वर्षों में भारत में गेहूं का उत्पादन प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत अधिक बढ़ा है और हरित-क्रान्ति का पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के जीवन और आजीविका पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

गेहूं में उत्पादन की वृद्धि के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के परिवर्तन हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। उन्होंने इसका उपयोग अपनी भंडारण व्यवस्था सुधारने और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने में किया है। इसके अलावा, कृषि के प्रति ही नहीं, व्यक्तिगत और सामाजिक आचार-विचार के प्रति भी उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। 'उदाहरणार्थ, परिवार नियोजन के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। अधिक उत्पादन को ढोने के लिए सड़कों की हालत सुधरी है और इन सब के कारण दुर्घटनाएं और अपराध भी बढ़े हैं। आय बढ़ने से सिनेमा, शराब और यात्रा का शौक भी बढ़ा है।

दिगेद परियोजना

मध्य प्रदेश के चम्बल परियोजना क्षेत्र में प्रतिवर्ष 22 हजार हैक्टेयर की दर से 6 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचित क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की योजना है। भूमि की बेहतर देखभाल करके इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने का प्रयोग भी किया जा रहा है।

चम्बल घाटी में सिंचाई योजना शुरू होने के प्रारम्भिक दिनों में उचित निकासी के अभाव में निचले क्षेत्रों में पानी इकट्ठा हो जाता था तथा खारेपन के कारण मिट्टी जहरीली हो जाती थी। ऊपरी भाग सूखे ही रह जाते थे। जिनके खेत नहर के निकट पड़ते थे, वे पानी का इस्तेमाल करने के साथ-साथ बहुत-सा पानी यों ही बह जाने देते थे।

निकासी के उचित प्रबन्ध के अभाव में कृषि को बड़ी क्षति होती थी। इसके लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढना ही था। कृषि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने वह रास्ता कोटा जिले के दिगेद के

श्री एम० वी० देसाई

किसानों को निकासी नालियां खोदने तथा वैज्ञानिक तरीके से पानी का उपयोग करने की विधि बता कर दिखाया।

भूमि के समन्वित विकास और जल साधनों का उचित उपयोग करने के लिए इस परियोजना में मुख्य रूप से भूमि की चकबन्दी, जमीन को समतल बनाने, निकासी का प्रबन्ध करने, जल की धाराओं को जोड़ने तथा धान की खेती पर ध्यान दिया जाएगा।

निश्चित सफलता

सरकार की वित्तीय सहायता तथा संयुक्त विकास कार्यक्रमों के कारण इस योजना के सफल होने की पूरी आशा है।

इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र के किसान छोटे-छोटे बिखरे हुए खेतों की चकबन्दी कराएं ताकि उन खेतों को समतल करने, पानी देने, निकासी करने और मेड़ बनाने जैसे कार्यों में सहूलियत हो।

ऐसा करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया गया जिसके अन्तर्गत खेती की चकबन्दी, मूल्य-निर्धारण, सिंचाई, निकासी आदि का प्रबन्ध करने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है।

दिगेद की सफलता देखकर निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को भी काफी प्रेरणा मिली है। सुनवासा गांव के 19 किसानों ने इकट्ठे होकर अपनी भूमि के लिए बैंकों से ऋण लिया है। इनकी 30 हैक्टेयर भूमि सिंचाई के नाले के पास पड़ती थी।

उनके खेतों में बिक्री योग्य खाद्यान्नों आदि की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वे दस साल के अन्दर ही ऋणों का भुगतान कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खेतों की सीमा, सड़क, पानी के बहाव-नालियों आदि के पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप फसलों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त भूमि प्राप्त की गई है।

इस आन्दोलन का प्रभाव बड़ा ही व्यापक रहा है। चम्बल घाटी के क्षेत्रों के पुनर्गठन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ोसी राज्य राजस्थान पर पड़ा है। राजस्थान ने छह बैंकों से 720 लाख रु० ऋण का समझौता किया है। इस राशि से राजस्थान की 20,000 हैक्टेयर भूमि में भूमि और जल के समन्वित विकास का कार्य किया जाएगा।

इस क्षेत्र के विकास कार्य में किसानों को शरीक कर पाना कतई आसान कार्य नहीं है। काम को शुरू करने में आमतौर पर एक साल लग जाता है। दो सप्ताह तो स्थान का चुनाव करने में ही लग जाता है। इसके अलावा, किसानों को चकबन्दी तथा विकास कार्यक्रम के बारे में समझाने में और दो महीने लग जाते हैं।

किसानों की स्वीकृति मिलने के बाद सर्वे और डिजाइन के काम में और छह सप्ताह लगते हैं। काश्तकारी तथा स्वामित्व की समस्याएं भी कम कठिन नहीं थीं। उनके समाधान के लिए जमीन के कागजात का दुरुस्त होना, भूमि के विकास के लिए किसानों की आम सहमति होना तथा बैंकों और अन्य माध्यमों से धन प्राप्त करना भी जरूरी होता है।

इन सब कामों में लगभग चार महीने लग जाते हैं। एक बार वास्तविक काम शुरू हो जाने पर भूमि को समतल करने, नालियां बनाने, सड़कें आदि बनाने में छह सप्ताह और लग जाते हैं। कोटा के निकट चालू किए गए इस प्रयोग में लोगों की इतनी दिलचस्पी बढ़ी कि विश्व बैंक को भी इधर ध्यान देना पड़ा।

ग्राम शिक्षण मोहिम

शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र में एक नवीन चेतना आई। स्थानीय भाषा में इसे 'ग्राम शिक्षण मोहिम' (ग्राम साक्षरता अभियान) कहा गया। इसमें एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को पढ़ाता तो है ही, इस काम के लिए गांव का समर्थन भी प्राप्त करना होता है।

जब तक गांव का हर व्यक्ति साक्षर नहीं हो जाता, यह कार्यक्रम सुसंगठित रूप में चलाया जाना है। पूरे गांव से निरक्षरता और अज्ञान का अन्धकार दूर होने पर हर घर में दीप जलाकर ग्रामोत्सव मनाया जाता है।

इस कार्यक्रम की सफलता सामुदायिक संगठन और सहयोग पर निर्भर है। ऐसा माना जाता है कि निरक्षरता को हटाने की जिम्मेदारी सब की है। विद्यालयों के अध्यापक, पोस्टमास्टर, बीमा के एजेन्ट आदि सभी को इस सेवामें सम्मिलित कर लिया गया है।

निरक्षरता मिटाने के कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने लिखाई पढ़ाई की सामग्री, खड़िया और श्यामपट, मिट्टी का तेल और लालटेन आदि की सुविधाएं दी हैं। उनके लिए पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कराई गई हैं। इन पाठ्यपुस्तकों में दिन-प्रतिदिन के अनुभव, ग्रामीणों की रुचि के विषय शामिल होते हैं।

पाठकों की सहूलियत के अनुसार कक्षाएं चलायी जाती हैं। गृहिणियों और अन्य काम न करने वाली स्त्रियों के लिए दोपहर के बाद तथा पुरुषों के लिए रात का समय अधिक उपयुक्त होता है।

यह अभियान तब तक चलाया जाता है जब तक हर व्यक्ति साक्षार न हो जाय। गांव में ज्ञान का दीप जलाने का सभी ने निश्चय कर लिया है। उनका संकल्प है कि कोई भी निरक्षर नहीं रहने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के कई गांवों में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका श्रेय ग्रामवासियों के खुद अपने सुसंगठित प्रयासों को है।

गत पच्चीस वर्षों से प्रगतिशील किसानों की

प्रिय पत्रिका

: खेती :

हर महीने खेती-बाड़ी, बागवानी, पशुपालन, और डेरी विज्ञान की नयी से नयी खोजों को स्वयं विशेषज्ञों की लेखनी से पहुंचाने वाली प्रसिद्ध अनुसंधान पत्रिका।

एक प्रति केवल साठ पैसे

वार्षिक चन्दा : सात रुपए

मिलने का पता :

व्यवसाय प्रबन्धक

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

कृषि भवन, नई दिल्ली।

ग्रामीण दस्तकारी योजना

सीमान्त कृषकों एवम् कृषि श्रमिकों को खाली समय में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एवम् ग्रामीण दस्तकारी को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण दस्तकारी योजना अभिकरण द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के दो मुख्य भाग हैं— (1) दस्तकारी में प्रशिक्षण, (2) कार्यशालाएं खोलने के लिए ऋण और अनुदान वितरण।

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक प्रगति आशानुकूल नहीं रही हैं। इसके मुख्य कारण—समय पर योजना स्वीकृत नहीं होना, सहकारी व व्यावसायिक बैंकों द्वारा इसके ऋण उपलब्ध नहीं कराना और प्रशिक्षण हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में सुविधा उपलब्ध नहीं होना, रहे हैं। अब इन कठिनाइयों का निराकरण हो चुका है एवम् दोनों ही कार्यक्रम गतिशील हो गए हैं।

(के० एस० गतुण्डिया)

इसके अन्तर्गत इस वर्ष 49 प्रशिक्षार्थियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों से किया गया। उन्हें गत सितम्बर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में डीजल मकैनिक रेडिओ मकैनिक, बढ़ईगिरी, लुहारी, फिटर और टर्नर, वायर मैन व कृषि उपकरण बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 6 माह की अवधि का है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को 75/- रुपये प्रति माह छात्र-वृत्ति प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् इनकी स्वयम् की कार्यशालाएं खुलवाने के लिए इन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण तथा अभिकरण कोष से अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष फरवरी में 100 प्रशिक्षार्थियों का दूसरा बैच प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। योजना काल में कुल 206 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

ऋण और अनुदान

अभी तक हाथकरघा उद्योग, कंघा उद्योग एवम् चमड़ा रंगाई उद्योग के लिए ग्रामीण दस्तकारों को अभिकरण द्वारा ऋण व अनुदान की सुविधा दिलवाई गई हैं। ऋण की सुविधा व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से ही दिलवाई जा सकी है जिनमें बैंक आफ बड़ौदा की अजमेर शाखा ने प्रशंसनीय कार्य किया है। ग्राम लोड़ी, पंचायत समिति पीसांगन में 25 व्यक्तियों को हाथ करघा उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। कंघी उद्योग के लिए ग्राम कोटड़ा, पंचायत समिति श्रीनगर के 8 व्यक्तियों को पिछले वर्ष ऋण उपलब्ध कराया गया था, जिन्होंने पूर्ण ऋण की राशि वापस जमा करवा दी। उन्हें फिर से कार्यकारी पूंजी के लिए बैंक आफ बड़ोदा के माध्यम से ऋण दिलवाया गया है। ग्राम कोटड़ा, बौराज व आस पास के अन्य गांवों में कंघी उद्योग हेतु और भी लोगों को इस वर्ष ऋण वितरित किया जा रहा है। चमड़ा रंगाई हेतु ग्राम माखुपुरा तथा बनायचा के अन्दर ऋण प्रार्थना पत्र स्वीकृत करवाए गए हैं। उनकी कर्मशालाएं तुरन्त ही खुलवाई जाएंगी।

इस योजना का पूर्ण लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए कच्चा माल आदि की व्यवस्था की जाती है। साथ ही तैयार माल की बिक्री हेतु भी साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। यह प्रयास किया जा रहा है कि जहां पर भी ग्रामीण दस्तकारों की संख्या काफी है वहां उनकी सहकारी समितियां बनवाई जाएं जो कच्चा माल उपलब्ध करवाने व तैयार माल की बिक्री की व्यवस्था कर सके। इन सहकारी समितियों के व्यवस्था व्यय हेतु अभिकरण कोष से अनुदान दिया जाएगा।

लहराता श्रमराज

शिवनाथ राघव

जब उठे मनुज के चरण,
धरा ने धारण किए सहर्ष--
तभी इक राह निकल आई,
सदा जिस पर चलता संसार।
राह नित रूप बदलती है,
पसीने से यह पलती है,
अंक में श्रम को ढलती है,
तभी तो उन्नत लोग सहर्ष
भोगते जीवन का आनन्द।
हमारा जीवन भारी बोझ,
उठाते टूट चुकी है कमर—
न चलने को पग भर भी चाह,
न आगे बढ़ने का उत्साह।
हमें तो दुनिया के आराम—
मगर है प्रबल हमारी चाह।
भूलते हैं पर जग का नियम,
बहा करता कल-कल कर नाद—
सकल आरामों का मृदु स्रोत,
परिश्रम के पौधों के बीच,
धरापर लाता है श्रमराज।
नहीं आती खुद कोई चीज,
खींच कर लाना पड़ता है;
बदल देता जब जग को मनुज
तभी इतिहास बदलता है।
धरा की धड़कन में धृतिवान्,
नई गति-प्राण भरा करते।
यह इतनी बहती धार,
यहां रुक एक नहीं पाया—
सभी को चलना पड़ता है,
धार से लड़ना पड़ता है,
तभी तो मञ्जिल मिलती है,
विपिन में कलियां खिलती हैं।
धरा को हरियाली का ताज,
सदा से पहनाता श्रमराज।

नई दिल्ली-1, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय क्षेत्र, वाराणसी-5

गांवों में चिकित्सा सुविधाएं

डा० बी० लाल

देहाती इलाकों में स्वास्थ्य सविधाओं के बारे में कुछ समय से सरकार और जनता दोनों ही रुचि ले रही हैं। अनेक गोष्ठियों, सम्मेलनों, चिकित्सा सम्बन्धी पत्रिकाओं आदि में इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। अनेक सुझाव सामने आए हैं। कोई कहता है कि प्रत्येक गांव में चिकित्सा कार्यों में लगे हकीमां, होमियोपैथ, एलोपैथ आदि को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तो किसी का मत है कि गांवों में चलते-फिरते अस्पतालों की व्यवस्था की जाए तथा ये अस्पताल देश के कोने-कोने तक पहुंचे। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस समस्या की व्यापकता को उपलब्ध साधनों के सन्दर्भ में समझने की चेष्टा की है। चीन और रूस के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और कहा जाता है कि इन दोनों देशों ने इस समस्या का सफलता पूर्वक समाधान किया है। गांवों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए चीन तथा रूस के डाक्टरों की विशेष रूप स चर्चा की जाती है। कुछ विशेषज्ञों ने तो यहां तक कहा है कि हकीमों आदि को डाक्टरी का पेशा चलाने के लिए लाइसेंस देने की प्रणाली पुनः आरम्भ की जाए। उन्हें आशा है कि ये लोग गांवों में, जहां चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता अधिक है, अपना कारोवार शुरू करने के लिए स्नातक डाक्टरों की अपेक्षा अधिक आगे आएंगे।

ये सभी सुझाव और सरकारी और गैरसरकारी लोगों की यह रुचि एक बात साफ करती है और वह है— ग्रामीण क्षत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव तथा वर्तमान स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता।

चौथी योजनावधि जल्दी ही पूरी हो जाएगी। हम अब पांचवीं के कगार पर हैं। इस अवसर पर देश में चिकित्सा सुविधाओं के इतिहास और हमारे भावी प्रयत्नों की समीक्षा करना गलत न होगा।

स्वाधीनता मिलने से पूर्व स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान कोई महामारी फैलने पर ही जाता था। नियमित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्कालीन सरकार की कोई योजना न थीं। चिकित्सा सेवाएं समाज कल्याण का अंग नहीं थी। रेल आदि जन-सेवाएं बनाए रखने के लिए या सरकारी तंत्र चलाने वाले कर्मचारियों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए ही इनकी व्यवस्था की जाती थी। इसके परिणाम स्वरूप छूत की बीमारियों के कारण लाखों लोगों की मृत्यु होती थी।

स्वतंत्रता मिलने पर लोगों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है—इस समय प्राप्त आंकड़ों से ही यह स्पष्ट हो जाता है। 1941-50 के दौरान मृत्यु दर 27·5 प्रतिशत हजार से घटकर 15·9 प्रतिहजार रह गयी। छूत की बीमारियों से छुटकारा पाने में भी हम काफी सीमा तक सफल रहे हैं। कभी कहीं मलेरिया फैल जाए तो और बात लेकिन मलेरिया के कारण अब मृत्यु के मामले बहुत ही कम हो गए हैं। चेचक उन्मूलन उपाय भी अत्यन्त प्रभावशाली रहे हैं तथा हैजा के बारे में अब यह कहा जा सकता है कि इस महामारी पर नियन्त्रण पा लिया गया है।

'कमियां

इन सभी सफलताओं के बावजूद अभी ऐसी बहुत सी कमियां हैं, जिन को पूरा किया जाना शेष है। हमारे देश की जनता रहती कहां है? हर पांच में से लगभग चार व्यक्ति देश के देहाती इलाकों में रहते हैं। गांवों में रहने वाले देश के 80 प्रतिशत लोगों के लिए न्यूनतम आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। गांवों और शहरों में प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं में कितना अन्तर है। हर पांच मान्यता प्राप्त डाक्टरों में से केवल एक ही गांव में नौकरी या अपना कारोबार करता है। बीमारों के लिए केवल 30 प्रतिशत बिस्तरे ही गांवों में हैं। इसी प्रकार गांवों में उपलब्ध चिकित्सा सेवा का स्तर भी नगरों की अपेक्षा निम्न कोटि का है। स्पष्ट है कि जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए सुविधाओं का यह अनुपात उल्टा होना चाहिए—लेकिन ऐसा है नहीं। जहां एक ओर शहरों और कस्बों में आम जनता चिकित्सा सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकती है, वहां गांवों में स्थिति ऐसी नहीं है। अनेक गांवों में तो आज भी आरम्भिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है।

गरीबी इस समय भी एक बड़ी समस्या है। कुल जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग गरीबी के स्तर से नीचे है। इसके अतिरिक्त 1/5 भाग पिछड़े वर्ग के लोगों का है। लाखों लोग तब तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते, जब तक उन्हें ये सेवाएं मुफ्त प्राप्त न हों। यदि रोजगार के अवसरों का विस्तार हो भी जाए, तो ये लोग न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए खर्च करने की स्थिति में नहीं होंगे। इनके आर्थिक उत्थान के लिए स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार तथा शिक्षा जैसी सेवाओं में पैसा लगभग अनिवार्य है। अतः पांचवीं योजना में हमारी चेष्टा यह रहेगी कि विभिन्न वर्गों के बीच अन्तर समाप्त किया जाए तथा ऐसे वर्ग के लोगों को, जो इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, इस स्थिति में लाया जाय कि वे इन से लाभ उठाने लगें।

किसी भी विकासशील देश की ग्रामीण जनता की आवश्यकताएं पूरी करने के मार्ग में उसकी जनसंख्या एक बड़ी रुकावट है। इसके अतिरिक्त, दूर-दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के अभाव के कारण वहां के निवासी संगठित सामुदायिक सेवाओं से कटे से रहते हैं।

मूल आवश्यकताएं

फिर भी, स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अब उन्हें पता है कि शहरों में रहने वाले उनके भाई को क्या-क्या लाभ मिल रहे हैं। वे भी अब आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का फायदा उठाना चाहते हैं। अतः पांचवीं योजना का उद्देश्य ग्रामीण जनता की मूल आवश्यकताएं पूरी करना है।

मूल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तीन प्रमुख आधार हैं :— प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोला जाए तथा इसके साथ-साथ हर 10,000 लोगों के लिए एक उप-केन्द्र हो।

परामर्शदात्री सेवाएं आरम्भ की जाएं तथा इनके अन्तर्गत 30-30 बिस्तरे वाले अस्पताल खोले जाएं।

चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की मदद से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएं।

उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का आधार जनसंख्या नहीं, ब्लाक निर्धारित किया गया है। इससे दूर-दूर के क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ठीक प्रकार से कार्य कर सकें, इसके लिए सड़कों का विकास किया जाएगा तथा पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था की जाएगी। नए केन्द्र खोलते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इन स्थानों पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

ग्रामीण अस्पतालों से आशा की जाती है कि इनमें विशेष चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, ये केन्द्र पास के क्षेत्रों से भेजे गए बीमार रोगियों का भी इलाज करेंगे।

चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त, इन केन्द्रों में परिवार नियोजन, पौष्टिक आहार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अलग से चलाए जाते हैं। एक संस्था जनता में परिवार नियोजन का काम करती है तो दूसरी उसके स्वास्थ्य की देखभाल करती है और एक अन्य लोगों को पौष्टिक आहार या सफाई के बारे में बताती है। इन संस्थाओं को कुछ प्रशासकीय हथकण्डों का सामना करना पड़ता है। स्वयं ग्रामीण भी इससे परेशान होता है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ठीक प्रकार से समन्वय किया जाय। इससे हमारे सीमित वित्तीयसाधनों का भी प्रभावशाली ढंग से उपयोग हो पाएगा।

नई पद्धति

स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की नई पद्धति पुरानी से बिलकुल भिन्न होगी। नई पद्धति के अन्तर्गत नई तरह के चिकित्सा कार्यकर्ता (नर्स कम्पाउन्डर आदि) काम पर लगाए जाएंगे। इन लोगों को छूत की बीमारियों की रोकथाम, छोटे और गम्भीर रोगों में भेद करने तथा जनता को शिक्षित करने आदि का काम सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त, ये लोग बच्चों, माताओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की भी देखभाल करेंगे। स्वाभाविक है कि इस श्रेणी के कार्यकर्ता तैयार करने के लिए काफी काम करना होगा। इनके प्रशिक्षण, वेतन तथा काम के बारे में कई समस्याएं सामने आएंगी। इस सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर अध्ययन कार्य किया जा रहा है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का लाभ पिछड़े और और कबायली इलाकों के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। चिकित्सकों को देहाती इलाकों में बसाने के लिए योजनाएं भी तैयार की गई हैं। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भत्ते, कम ब्याज पर ऋण तथा अन्य सुविधाएं देने का भी प्रस्ताव है।

किसी भी समाज के लिए स्वस्थ जनता सबसे बड़ी नियामत है। अच्छा स्वास्थ्य मानव-जाति का मूल अधिकार है। ग्रामीण जनता को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता।

हमारे साधन सीमित हैं। अतः प्रभावी स्वास्थ्य योजना के लिए समझदारी से पैसा खर्च करने की आवश्यकता है।

गांव वालों की सुविधा के लिए देवनागरी में तार

[गांवों में अंग्रेजी पढ़े-लिखों की संख्या बहुत कम होती है। अतः अंग्रेजी में तार देना उनके लिए कठिन होता है। जब कोई तार गांव में आता है तो तार प्राप्त करने वाला अंग्रेजी पढ़े-लिखे की ढूंढ़ खोज में बहुत सा समय गंवा देता है। देवनागरी में तार देने से पैसा भी कम खर्च होता है और तार देने वाले और प्राप्त करने वाले को तार का कागज भरने और पढ़ने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। चूंकि अधिकांश लोग हिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी पढ़े-लिखे होते ही हैं, अतः गांव वालों की सुविधा के लिए देवनागरी में तार देने की कुछ जानकारी नीचे दी जा रही है।]

श्री जगन्नाथ

तार देने वालों के सामने प्रायः यह समस्या रहती है कि व्यापार, चुनाव, प्रसन्नता आदि के अवसरों और सगाई व विवाह सम्बन्धी तार किस भाषा में दिए जाएं, जिससे कि जिनको तार भेजा जा रहा है वे तार देने वाले के भाव को आसानी से और ठीक-ठीक समझ सकें और तार इतने थोड़े शब्दों में जा सके, जिससे कि कम से कम पैसा व्यय करना पड़े। उनकी यह समस्या देवनागरी में तार भेजने से सुलझ सकती है।

देवनागरी तार सस्ते : हिन्दी में यदि ठीक ढंग से तार लिखा जाए तो वह अंग्रेजी में दिए गए तार की अपेक्षा सस्ता बैठेगा। इस प्रसंग में कुछ नियम नीचे दिए जा रहे हैं :—

1. दस अक्षरों तक के शब्द पर एक शब्द का तार चार्ज लिया जाता है। यदि एक शब्द में दस से अधिक अक्षर बचें तो उनका भी एक शब्द माना जाएगा।

2. मात्राओं को अलग अक्षर के रूप में नहीं गिना जाता—ज+ी=जी एक अक्षर माना जाएगा।

3. अधिक से अधिक दस अक्षरों वाला संयुक्त क्रियावाचक वाक्यांश भी यदि इनको मिला कर एक शब्द के रूप में लिखें तो तार चार्ज के लिए एक ही शब्द गिना जाता है। जैसे—आरहाहूं, भेजदियागया, पहुंचादिया जाएगा, इनको एक ही शब्द माना जाएगा। (अंग्रेजी तार के हिसाब से **has been sent** आदि तीन शब्द माने जाएंगे।)

4. विभक्तियों के चिह्न अथवा सम्बन्ध सूचक शब्द (जैसे ने, को, के, लिए, का, की, के, में, पे, पर, से आदि) को पहले शब्द के साथ मिला कर लिखने से जैसे—मोहनको, दिल्लीमें, रामकेलिए, स्टेशनपर विभक्ति मिला हुआ शब्द एक ही गिना जाएगा।

5. सन्धि और समासयुक्त शब्द भी एक ही गिने जाते हैं, जैसे— उत्तराभिलाषी, पराधीन, सन्तोषजनक, अत्यावश्यक आदि एक ही शब्द माने जाते हैं।

6. क्रियावाचक वाक्यांश जैसे—तारदो, जल्दीकरो, प्रबन्धकरो इत्यादि को जो अंग्रेजी में wire, expedite, arrange etc. के समानार्थक हैं, यदि मिलाकर एक शब्द के रूप में लिखा जाए और अक्षरों की संख्या दस से अधिक न हो तो उन्हें भी एक शब्द माना जाएगा।

7. संयुक्त व्यंजनों में प्रत्येक अक्षर को अलग-अलग गिना जाएगा, जैसे—क्व, श्र, क्ष, त्र आदि दो दो अक्षर तथा स्थ्य तीन अक्षर गिने जाएंगे।

8. यदि बीच में स्थान न छोड़ दिया जाए और दस से अधिक अक्षर न हों तो प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधानसम्पादक, सहायकसम्पादक आदि एक ही शब्द गिने जाएंगे।

परिषद द्वारा प्रकाशित 'देवनागरी में तार' नामक तीस पैसे की पुस्तक में इन नियमों के आधार पर व्यापार, विवाह, भोज, उत्सव आदि सभी अवसरों पर दिए जाने वाले तारों के 350 नमूने दिए गए हैं।

लोकप्रियता : सन् 1961-62 में कुल 1,76,747 तार देवनागरी लिपि में बुक कराए गए थे, जबकि 1971-72 में ऐसे 9,51,798 तार बुक कराए गए। इस तरह पिछले दस वर्षों में देवनागरी तारों की संख्या में चार सौ अड़तीस प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में रोमन के तारों में केवल अट्ठावन प्रतिशत वृद्धि हुई। यद्यपि 1971-72 में रोमन तारों की संख्या को देखते हुए देवनागरी तारों की संख्या पर्याप्त कम थी तथापि रोमन लिपि तारों की अट्ठावन प्रतिसत वृद्धि की अपेक्षा देवनागरी में चार सौ अड़तीस प्रतिशत की वृद्धि यह प्रकट करती है कि अब देवनागरी के तार अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं।

विशेष सुविधाएं : (1) देवनागरी लिपि में किसी भी भारतीय भाषा का तार स्वीकार किया जाता है। (2) डाक तार विभाग ने देवनागरी तारों के शीघ्र निपटाने के लिए 1-8-73 से प्रोत्साहन धन राशि को बढ़ा दिया है। इनकी दरें रोमन लिपि के तारों पर लागू होने वाली दरों से अधिक हैं। (3) सभी डाक-तार सर्कलों में, विशेषतः हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अधिकांशतः सभी विभागीय तार घरों में, देवनागरी टेलीप्रिन्टरों की व्यवस्था कर दी गई है (4) सभी हिन्दी भाषी क्षेत्रों के तार घरों में अब यह सेवा व्यावहारिक रूप से उपलब्ध है। अन्य राज्यों में भी काफी बड़ी तादाद में यह सेवा उपलब्ध है। (5) जिन व्यक्तियों, संस्थाओं और फर्मों के संक्षिप्त पते अंग्रेजी में रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, उनको देवनागरी में भी रजिस्ट्रेशन की फीस केवल 5 रु० जमा करानी होगी, जबकि पहले ही अंग्रेजी में रजिस्टर्ड किए गए संक्षिप्त तार पते की

शेष पृष्ठ 33 पर]

हर्र लगे न फिटकरी रंग चोखो आवे

बटुकेश्वर दत्त सिंह 'बटुक'

अधिकांश लोग पौष्टिक आहार व्यवस्था की बात सोचते ही दूध-मलाई, हलुआ-पूड़ी, मुर्गमुसल्लम, अण्डा-मछली, फल-मेवे आदि को ही सब कुछ मान लेते हैं, जिन तक एक साधारण आदमी की पहुंच आसानी से नहीं हो पाती। हम अपनी जेब के अनुसार भोजन पर जितना व्यय करते हैं वही करें और मिलने वाली पौष्टिकता पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाए, इस ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। यही कारण है कि अनेक लोग अकारण ही आहार में पोषक तत्वों की कमी के दुष्परिणाम भोगते हैं। ऐसे अनेक तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर हम 'हर्र लगे न फिटकरी रंग चोखो आवे' की कहावत को अपनी आहार व्यवस्था के सम्बन्ध में चरितार्थ कर सकते हैं। अनाजों और दालों को अंकुरित करके भोजन में प्रयोग करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

अंकुरण से लाभ

जब अनाजों और दालों के साबुत दानों को अंकुरित कर लिया जाता है, तो उनके पोषण मूल्यों में अधोलिखित गुणकारी परिवर्तन हो जाते हैं।

1. उनकी पाचकता बढ़ जाती है, क्योंकि दानों के ऊपर का कड़ा कवच मुलायम हो जाता है और उनमें पाई जाने वाली स्टार्च का कुछ भाग सुपाच्य शक्कर में बदल जाता है। इससे उनकी मिठास भी बढ़ जाती है।

2. इनमें पाए जाने वाले बी-समूह के विटामिन, विशेषतया रायबोफ्लेविन और नायसिन, जो शरीर में कार्बोज का उचित उपयोग करने और उसकी अन्य अनेक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, अंकुरित किए जाने में ड्योढ़े से दूने तक बढ़ जाते हैं। ये वह मूल्यवान विटामिन हैं, जिनकी कमी डाक्टर अधिकांश बीमार व्यक्तियों में बताते हैं, चाहे वे जिस किसी भी आयु के हों।

3. अनाजों और दालों के साबुत दानों में जब वे सूखी अवस्था में होते हैं, तो विटामिन-सी बिल्कुल नहीं होती, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता स्वस्थ मसूड़ों, दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायता करने और शरीर की बीमारियों का मुकाबला करने की शक्ति देने के लिए होती है। अंकुरित करने से इनमें यह विटामिन-सी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। विटामिन-सी आहार में ताजे फलों और सब्जियों तथा हरे पत्तेदार सागों के प्रयोग से ही प्राप्त होती है, जो अंकुरण से बिना मूल्य मिलती है।

4. इनमें पाए जाने वाले खनिज तत्वों-केलशियम, लोहा आदि की शरीर के लिए उपलब्धि बढ़ जाती है, क्योंकि अंकुरण की क्रिया में फाइटेट्स, आक्जेलेट्स आदि अलाभकर पदार्थ नष्ट हो जाते हैं।

5. अधिक पाचक, पौष्टिक तथा उपयोगी होने के अतिरिक्त अंकुरित किए हुए खाद्यान्न कम समय में और कम ईंधन में आसानी से पक जाते हैं, अतः आर्थिक दृष्टिकोण से भी ऐसा करना लाभकर होता है।

विशेष : अंकुरित अनाजों और दालों से पूरा लाभ पाने के लिए उन्हें कच्चा ही खाने के काम में लाया जाए। यदि पकाना आवश्यक ही हो तो उन्हें भाप में पकाकर प्रयोग किया जाए।

अंकुरित करने का ढंग

अनाजों अथवा दालों जैसे गेहूं, ज्वार, चना, मूंग, मसूर आदि में से जिसे आप चाहें रात भर पानी में भिगो दें। पानी इतना ही प्रयोग करें कि उसमें दाने ठीक से फूल जाएं। सुबह भीगे दानों को किसी गीले साफ मोटे कपड़े या बोरे के टुकड़े में लपेटकर बालू के ऊपर अथवा टोकरी में रख दें। आवश्यकता समझने पर दिन में दो-एक बार ऊपर से पानी के छींटे दे सकते हैं। गर्मी के दिनों में 24 घण्टों तथा जाड़े के दिनों में 36 से 48 घण्टों के बाद अंकुर निकल आएंगे। प्रयोग करने के लिए पौष्टिकता की दृष्टि से आधा इंच के

अंकुर निकल आना, सबसे अच्छी अवस्था होगी।

उपयोग

अंकुरण के उपरान्त खाद्यान्नों में अच्छे भोजन के सभी आवश्यक गुण आ जाते हैं और ऐसा करने में न तो अधिक परिश्रम या समय ही लगाना पड़ता है और कोई अतिरिक्त खर्च तो करना ही नहीं होता। तो क्यों न हम ऐसा करके अपनी पौष्टिक आहार व्यवस्था को आसान बनाएं। अंकुरण का विशेष लाभ अधोलिखित रूपों में उठाएं।

(1) अनाजों और दालों को आटा के लिए पिसाने के पहले उन्हें अंकुरित करके सुखा लें। इन्हें केवल 24 घण्टे भिगोने से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि भिगोने में चूने का पानी भी प्रयोग कर लें तो अच्छा रहता है।

(2) अंकुरित अनाजों और दालों को सिल-बट्टे से या खरल में पीस लें और उसमें खमीर उठा कर इडली, दोशा, खण्डवी, खमन ढोकला आदि बनाने के प्रयोग में लाएं या इस प्रकार दालों की मनचाही बड़ियां बनाकर प्रयोग करें। केवल खमीर ही उठा लेने से भी वही सब लाभ मिलते हैं, जो अंकुरित करने से, केवल विटामिन-सी उत्पन्न नहीं होती।

(3) गर्मी के दिनों में जब हरे पत्तों वाले साग कम सुलभ होते हैं या बरसात के दिनों में जब हरे पत्तों वाले सागों पर कीड़े अधिक लग जाते हैं, तब अंकुरित अनाजों और दालों का उपयोग बढ़ा कर उनकी कमी को बहुत कुछ पूरा किया जा सकता है।

(4) अंकुरित जौ, ज्वार या मडुआ (रागी) को सुखा कर और पीस करके थाड़ा गुड़ मिलाकर टिकिया बनाइए तथा उन्हें भाप में पकाइए। ये आपके बच्चे के लिए दस्त रोकने, रुकी हुई शरीर की बाढ़ ठीक करके उसे पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कराने में दवा का काम करती हैं।

(5) अंकुरित दालों व अनाजों को हरा धनिया, प्याज, नमक-मसाला, नींबू, अदरख आदि डालकर कच्चा ही खाना सर्वोत्तम होता है। इन्हें चाट के समान बना कर प्रयोग करें।

उदाहरण के लिए अंकुरित मूंग की दाल की चाट बनाने के लिए 50 ग्राम साबुत मूंग को अंकुरित कर लें। जब अंकुर लगभग आधा इंच लम्बे हो जाएं तो उसे भाप में पकाइए। ऐसा करने के लिए एक बड़े भगोने के अन्दर पानी भर के उसके अन्दर एक दूसरे छोटे भगोने में अंकुरित मूंग रखें और ऊपर से ढक्कन लगा दें, जिस पर कुछ वजन रख दिया जाए। मूंग के गल जाने पर तेल या घी में तोड़ा जीरा या प्याज लाल करके उसे कल्हार लें। फिर उतार कर 10 ग्राम हरी मिर्च और 10 ग्राम ही अदरख काट कर मिला दें। थोड़ा ठण्डा होने पर उसे हरा धनिया 10 ग्राम कसी हुई मूली 20 ग्राम तथा 30 ग्राम कसी हुई गाजर डाल कर सजा दें। सबसे ऊपर नींबुओं को चार-चार टुकड़ों में काट कर मध्य में रखें। खाते समय इन नींबुओं का रस चाट में मिला लिया जाए।

(6) बढ़ते हुए छोटे बच्चों को अंकुरित अनाज और दालों का सेवन कराना विशेष गुणकारी होता है। उन्हें आवश्यक, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा शक्ति प्रदान के साथ इनका इस्तेमाल करने से कब्जियत भी नहीं हाती।

(7) साधारण तथा कम आमदनी वाले वर्ग के लोगों के लिए अंकुरित अनाज और दालें इस मंहगाई के समय वरदान के रूप में हैं। वस्तुतः इनके उपयोग से जीवन स्वस्थ और सफल बना कर रखा जा सकता है।

प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी,
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र,
अफीम की कोठी,
प्रतापगढ़ (उ० प्र०)

पांचवी योजना में कृषि ..... [पृष्ठ 17 का शेषांश]

क्षेत्रीय असन्तुलन ठीक करने का है। अन्त में, सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा ताकि वे लघु व सीमान्त किसानों तथा जनता के कमजोर वर्गों की अधिक से अधिक सेवा कर सकें।

पांचवीं योजना के प्रमुख लक्ष्यों में एक लक्ष्य ग्रामीण जनता के निम्नतम स्तर के 30 प्रतिशत लोगों के, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के स्तर को काफी ऊंचा उठाना है। इसका मतलब यह है कि गांवों के 2 करोड़ 60 लाख अत्यधिक गरीब लोगों की आमदनी बढ़नी चाहिए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जहां ग्रामोद्योग, निर्माण और आवास आदि क्षेत्रों का कुछ न कुछ योग रहेगा, वहां कृषि क्षेत्र का योगदान आवश्यक रूप से सर्वाधिक रहेगा। पांचवीं योजना में लघु कृषक विकास संस्था सीमान्त किसान व कृषि मजदूर सहायता योजना में सुधार किए जाएंगे और इस योजना के अन्तर्गत 160 परियोजना स्थापित की जाएंगी। पांचवीं योजना में आदिवासी विकास संस्थाओं के कार्यक्रम के चलाते रहने और विस्तार करने का प्रस्ताव है। पांचवीं योजना में सूखाग्रस्त इलाकों के प्राकृतिक समन्वित विकास पर भी ध्यान दिया जायगा। ●

बगिनगेरे गांव का कायाकल्प

बंगलौर से 40 मील की दूरी पर स्थित बगिनगेरे गांव के लोगों के जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन आने वाला है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ होते ही इस गांव के तालाब का जल-स्तर काफी नीचा हो जाता है और इसके जल पर निर्भर रहने वाले 526 परिवारों का जीवन संकटापन्न हो जाता है।

गत मार्च महीने में इस तालाब में केवल एक माह का काम चलाने लायक पानी था। इस पर निर्भर रहने वाले 200 किसानों की परम्परागत धानकी खेती करने की आशा धूमिल होती जान पड़ी। किसानों ने बहुत हिचकिचाते हुए संकर मक्का की फसल बोने का निश्चय किया। बगिनगेरे सहकारी समिति के अध्यक्ष ने सभी किसानों को काफी समझाया और उन्हें बीज तथा उर्वरक ऋण पर दिलाया। फलस्वरूप तालाब के 200 एकड़ क्षेत्र में से 125 एकड़ में पहली बार संकर मक्का बोई गई। शुरू में हल्की वर्षा हुई तथा अंकुर निकलने में काफी सहूलियत हुई। बाद में तालाब के जल का इस्तेमाल आवश्यक हो गया। सभी किसानों ने आपस में तय किया कि जिसके खेत में पानी की अधिक आवश्यकता हो उसे प्राथमिकता के आधार पर पानी दिया जाए। किसानों के नेता पानी के इस्तेमाल का प्रतिदिन ध्यान रखते थे।

आकर्षण केन्द्र

120 दिन तक निगरानी करके उगाई गई यह फसल अब सब के लिए आकर्षण का केन्द्र बन गई। अब मक्का की फसल तैयार हो चुकी तथा कटाई के लिए तैयार। इस प्रयोग ने इस क्षेत्र के लोगों के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। जो भूमि कभी अनुत्पादक समझी जाती थी अब उसी में कई किस्म की धान की फसलें भी उगाई जाने लगी हैं। पहले एक एकड़ में औसतन 6 क्विण्टल धान पैदा होता था तथा सब तरह के खर्चे निकालकर कुल 400 रु० के लगभग आय होती थी। परन्तु अब कम समय में ही प्रति एकड़ लगभग 15 क्विण्टल मक्का का उत्पादन होने लगा है, जो लगभग 1,500 रु० मूल्य की है। मक्का की फसल काटने के बाद अब किसान संकर किस्म का धान (एम० आर० 126) बोने की तैयारी कर रहे हैं। इसका उत्पादन प्रति एकड़ 15 से 18 क्विण्टल तक होने का अनुमान है। फसलों के इस प्रकार के उत्पादन से प्रति वर्ष दो हजार रु० से अधिक आय होने की सम्भावना है।

इस समृद्धि के पीछे स्थानीय सहकारी समिति का अविस्मरणीय हाथ रहा है। लोग समिति के योगदान को कुछ दिनों बाद भूल सकते थे, परन्तु सौभाग्य से इस समिति को निष्ठावान गांधीवादी सर्वोदय कार्यकर्त्ता श्री बी० नरनाप्पा का सहयोग प्राप्त है। श्री नरनाप्पा इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा 1947 में उन्होंने सहायक अभियन्ता पद को त्यागकर ग्रामोत्थान के लिए गांधीवादी आन्दोलन में भाग लेना शुरू किया था। उन्होंने प्रारम्भ से ही इन गांवों को अपना प्रमुख कार्यक्षेत्र बनाया। यही कारण है कि आज युवक और वृद्ध सभी लोगों के वे 'अन्ना' (बड़े भाई) बन चुके हैं।

उनके नेतृत्व में इस वर्ग के गांवों के 586 परिवारों में से 387 को सहकारी समिति की सदस्यता मिल चुकी है। इनमें से 109 छोटे किसानों के परिवार हैं। इसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि सभी हरिजन परिवार (53) इसके सदस्य हैं। पहली फसल के दौरान समिति ने 125 किसानों को मक्का के प्रायोगिक उत्पादन के लिए 1 लाख 62 हजार रु० का ऋण दिया। इस समिति में केवल एक बड़ा हिस्सेदार है जिसके हिस्सों की राशि 2,000 रु० है।

समृद्धि का संरक्षक

सहकारी समिति ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करके लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया है। अब यह बहुत कम शुल्क (फीस) लेकर अपने सदस्यों के जमीन सम्बन्धी कागजातों का भी संरक्षण करती है। अब यह केवल रुपए ही नहीं अपितु अपने अनाज भण्डार से अन्न भी ऋण पर देती है। यह 100 किलोग्राम अनाज पर केवल एक किलोग्राम अनाज ब्याज के रूप में लेती है और इस प्रकार अब समिति के पास पचास क्विण्टल का अन्न-भण्डार हो गया है। समिति ने एक डीजल इंजिन भी लिया है; इसे वह अपने सदस्यों को किराए पर देती है। समिति अपने सदस्यों को महाजनों के चंगुल से मुक्त रखने के लिए छोटे-छोटे ऋण भी देती रहती है।

समिति के कार्यों की सफलता देखकर जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक ने इसी के प्रांगण में अपनी एक शाखा खोल दी है। हाल ही में बैंक ने एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए समिति को ऋण दिया है जिसका आधा खर्च बंगलौर लघु कृषक विकास एजेंसी उठाएगी। इस एजेंसी ने 15 छोटे किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए भी सहायता दी है।

यह सहकारी समिति निकट भविष्य में कई दिलचस्प कार्यक्रम शुरू करने वाली है। लघु कृषक विकास एजेंसी की सहायता से 20 एकड़ बंजर भूमि को सरसब्ज बनाने की भी इसकी योजना है। जो किसान अपनी फसल उगाने में असमर्थ हैं, उनको साझी बनाकर सहयोग देने का भी प्रस्ताव है। एक यह योजना भी है कि किसानों को जितनी चीजों की जरूरत हो, वे सब एक साथ दे दी जाएं।

हाल ही में ग्रामीणों में बड़े नोटों का चलन बन्द होने का भय व्याप्त हो गया था जिसके फलस्वरूप वे समिति के अध्यक्ष के पास अपने बड़े नोट बदलने के लिए पहुंचे। जिले की केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा से उन्होंने 100 रु० की जगह 90 रु० प्राप्त किए तथा 10 रु० बट्टे हो गए। इसके फलस्वरूप एक ही दिन में छः हजार रु० की आय हुई। □

पहला सुख निरोगी काया

दांत का दर्द

डा० युद्धवीर सिंह

दांत का दर्द ऐसा रोग है कि रोगी को बेचैन कर देता है। ऐसी चीसें सी लगती हैं कि न बैठे चैन न खड़े चैन। आमतौर से दांत का दर्द उन लोगों को ही होता है जो रोज दातुन या मंजन नहीं करते और अपने दांत साफ नहीं रखते। दांत मनुष्य के शरीर के मुख्य अंग हैं। हमारे दात ही सारा खाना पीस कर मेदे को भेजते हैं। इसलिए दांतों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। माता पिता को चाहिए कि बचपन से ही बच्चों को दांत साफ रखने की आदत डालें। सुबह उठते ही मंजन या दांतुन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा, हर खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करके दांत साफ कर लेने चाहिए। सुबह के वक्त बारीक पिसे हुए नमक में थोड़ा सा कड़वा तेल मिला कर मंजन करना दांतों को मजबूत करता है और दांत में पैदा होने वाले कीड़ों को मारता है। खाना या नाश्ता के बाद अकसर बच्चे या बड़े भी अच्छी तरह कुल्ला नहीं करते तो खाने के टुकड़े दांतों में फंस कर सड़न पैदा करते हैं और बाद में दर्द होता है। दांत में या तो जड़ में दर्द होता है या मसूड़े फूल कर दर्द होता है। कई दफा दांत निकलवाना पड़ता है तो तब दर्द जाता है। जो लोग शुरू से दांतों की हिफाजत करते हैं उनके दर्द नहीं होता। बहुत गर्म या बहुत ठण्डा खाने से भी दांत या मसूड़े खराब हो जाते हैं। कभी कभी दांतों के ऊपर जो पड़त होती है वह घिस कर निकल जाती है तो भी दांत में ठण्डा गर्म पानी लगने लगता है और चीसें पड़ने लगती हैं।

यदि दांत में दर्द हो ही जावे तो अक्सर दांत के डाक्टर दांत निकलवाने की सलाह देते हैं मगर दांत मजबूत हो तो निकलवाने के पहले अच्छी तरह देख कर निम्न दवाओं में से कोई दवा लेने से दर्द मिट जाता है और दांत उखाड़ने की जरूरत नहीं रहती।

प्लान्टेगो 30 :— मामूली दर्द हो तो पहले इस दवा की एक दो खुराक खानी चाहिए और इसका मदरटिंचर रूई में भिगोकर लगा लेना चाहिए।

कैम्फर :—कपूर का अर्क या कपूर रूई में रख कर दूखते दांत में रखने से आराम मिलता है।

पोटेशीयम परमैंगनेटः :—यह वह लाल दवा है जो प्रायः कुओं की सफाई के लिए उनमें डाली जाती है। दांतों में कीड़े आदि का ख्याल हो या वैसे भी दर्द हो तो ज़रा सी दवा गर्म पानी में डाल कर उसके कुल्ले करने चाहिए। जिन दिनों दर्द हो उन दिनों सुबह शाम कुल्ले करें। नमक गर्म पानी में डाल कर कुल्ला करने से भी दांत के दर्द में लाभ होता है।

लहसन व नमक :—कभी कोई दवा पास न हो और दांत में दर्द हो जावे तो थोड़ा सा टुकड़ा लहसन का नमक मिला कर जहां दर्द हो वहां रख कर दबा लें। दर्द बन्द हो जाएगा।

एकोनाइट 3× :—ठण्ड के कारण दांतों में दर्द हो जावे तो यह दवा दो-दो घण्टे बाद लें। दर्द सूजन जाती रहेगी।

बैलाडोना 3 × :— तेज दर्द अचानक हो जावे तो यह दवा दें।

कैमोमिला 6 :—जब गर्म चाय, काफी या गर्म पानी दांतों में लगे तो यह दवा 2-3 घण्टे के अन्तर से दें। गर्भवती स्त्रियों के दांत दर्द में यह विशेष लाभकारी है।

मर्कसोल 6 :—जब ठण्डी व गर्म चीजें दांत में लगें। मसूड़ों में मवाद पड़ गया है। दांत में कीड़ा लगने के कारण दर्द हो।

नक्सवोमिका 30 :—जब ठण्डा पानी लगे —ठण्डी हवा से दर्द बढ़े। मसूड़े सूजे हों। पेट खराब हो। कब्ज हो।

हीपर सल्फ 3 × **विचूर्ण** :—जब मसूड़े फूल गए हों, फोड़ा बनने की आशंका हो, ठण्डी हवा से दर्द बढ़े—ठण्डा पानी लगे।

साइलीसिया 6-30 :हीपर के बाद यह दें। फोड़ा बन गया हो मवाद पड़ गया हो—दांत हिल रहा हो और दर्द हो। ठण्ड से दर्द बढ़े।

क्रियाज़ोट 30 :—दांत में कुछ लग गया हो, तेज दर्द हो, दांत गलने लगे।

कार्बोवेज 6 :—मसूड़े दांतों से अलग हो रहे हों—खून निकले, ठण्डी या नमकीन चीज से दर्द बढ़े।

नेट्मम्यूर 6-30 —दांत का दर्द 10-11 बजे दिन से शाम 4-5 बजे तक रहे।

स्पाइजेलीया 6 × 30 :—बाईं ओर में दांतों में दर्द—दर्द गाल, व कान के ऊपर तक फैले। दर्द दिन में ज्यादा हो।

एन्टिमक्रूड 6-30 :—खटाई खाने से दर्द बढ़े।

सीपीया 6-30 :—शाम को 6 से रात 12 तक दर्द बढ़े और लेटने से और तेज हो।

कैलकेरीया फ्लोर 6× : दांतों के ऊपर की परत निकल रही हो। कैलशीयम की कमी से दांत कमजोर हों। मैल ज्यादा जमे।

ब्रायोनिया 6-30 :—सिगरेट पीने से दर्द बढ़ जाए, दांत लम्बे व ऊपर को उभरे हुए लगें, गर्म चीज से दर्द बढ़ जाए।

खटाई दांत को नुकसान पहुंचाती है। जिनके दांतों में पीड़ा होती हो उन्हें नींबू को छोड़ कर शेष खटाई जैसे अमचूर, इमली, टमाटर आदि नहीं खानी चाहिएं। पेट खराब होने से भी दांत दर्द होते हैं। इसलिए खाने पीने में परहेज और पेट खराब होने पर उपवास कर लेना लाभकारी है।

कहानी

समय की आवाज

जगदीश कौशिक

पण्डित राम भरोसे शहर से चार मील दूर बदरपुर गांव में पटवारी लगे हुए थे। उनका परिवार जिसमें उनकी पत्नी, पुत्र रमेश और बेटी शीला तीन प्राणी थे, शहर के अपने मकान में ही रह रहे थे। पिता-पुरखों की इस छोटी सी जायदाद को छोड़कर पटवारी जी गांव में रहना अच्छा नहीं समझते थे। गांव से वह सप्ताह में एक-दो बार शहर का चक्कर लगा जाते थे, क्योंकि तहसील का दफ्तर भी उसी शहर में था। राम भरोसे थे तो पटवारी, परन्तु उनके विभाग में रिशवत की जो वर्षा होती थी, उसके छींटों से उन्होंने अपना दामन नहीं भिगोया था, ईमानदारी, कर्तव्य/निष्ठा, उन्हें पिता-पुरखों से विरासत में मिले गुण थे। वह रिश्वत के पैसे को हराम समझते थे।

पटवारी जी के पिता एक ईश्वर भक्त प्राणी थे, भगवान का भजन, अर्चन किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे, यजमानों के यहां से जो कुछ आ जाता था, उसी में सन्तुष्ट होकर निर्वाह करते थे, अधर्म का पैसा उन्हें जीव हत्या से कम बुरा नहीं लगता था। पण्डित राम भरोसे ने मिडिल पास किया, तो उन्हें किसी यजमान ने, जो एक अच्छे अधिकारी लगे हुए थे, पटवार के स्कूल में भर्ती करवा दिया। ट्रेनिंग पूरी करके राम भरोसे पटवारी लग गए। पिता ने एक ही बात कही थी अपने पुत्र राम भरोसे को, "बेटा! भूखे रह लेना परन्तु रिश्वत का पैसा घर में न आने देना"। राम भरोसे ने पिता की इस शिक्षा को पल्ले बांध लिया था और आज तक उसी शिक्षा पर चले आ रहे थे। किसी आसामी का काम करते समय सरकारी फीस के अलावा उन्होंने कभी कोई पैसा नहीं लिया था। ऊपर के अधिकारी कई बार इशारे करते, परन्तु पण्डित जी अपनी राह से नहीं टले। कोई प्रसन्न रहे या नाराज, इसकी उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की थी। रमेश को भी उन्होंने अपने पिता से मिली शिक्षा का पाठ पक्का करवा दिया था, "बेटा! ईमानदारी का फल मीठा होता है, ईमानदारी का दामन हाथ से मत छोड़ना सदा सुखी रहोगे"।

रमेश पढ़ते-पढ़ते मैट्रिक पास कर गया, शीला भी आठवीं में हो गई थी। परिवार का दुर्भाग्य, या भाग्य की विडम्बना कह लीजिए, कि पटवारी जी दो दिन बुखार में तड़प कर परिवार को सदा के लिए तड़पता छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। समय की गति अबाध है, हर घाव अपने आप भरता रहता है। पं० जी की असामयिक मृत्यु का संताप परिवार को सहन करना ही था, सो किया। मृत्यु के बाद की सारी क्रियाएं जैसे तैसे पूरी की गई। समय चलता रहा, घर का सारा भार रमेश के कन्धों पर आ पड़ा। पटवारी जी कोई पूंजी छोड़कर तो मरे नहीं थे, इसलिए दाल रोटी की समस्या मुंह खोले सामने खड़ी थी। रिश्तेदार शोक सम्वेदना प्रकट करके अपने-अपने घर बैठ गए थे। किसी को किसी की क्या चिन्ता, आज के संसार में सब मुंह दिखावा करते हैं। रमेश के किसी रिश्तेदार ने भी परिवार की कोई बात नहीं पूछी। मरने वाला मर गया, मुंह देखे की बात और होती है, जब वह मुंह ही नहीं रहा, तो मुंह कौन दिखाता।

रमेश ने नौकरी के लिए बड़ी दौड़-धूप की, परन्तु मैट्रिक पास के लिए नौकरी कहां रखी थी। जहां पता चलता वह अर्जी भेज देता। अपने शहर में भी वह नौकरी के लिए इधर-उधर पूछताछ करता रहता। काफी दिन इसी प्रकार निकल गए। पूर्णमासी का दिन था—पटवारी जी का एक यजमान रमेश के घर भोजन का निमन्त्रण देने आ गया। यजमान की बड़ी भारी दुकान शहर में थी, जहां पिसी मिर्च, पिसा गर्म मसाला, हल्दी और सरसों का तेल बिकते थे। लाला जी को जब रमेश की मां से रमेश के बेकार होने का पता चला, तो उसने मैलखाये दांतों को बाहर निकाल कर कहा "पण्डितायन जी! बहुत दुःख हुआ यह सुनकर। जब तुम्हें पता था कि मैं अभी जीवित हूं तो मेरे कानों में तो बात डालनी थी, खैर। कल सवेरे रमेश को भेज देना, काम मिल जाएगा। मेरे लिए जैसे पटवारी जी थे, वैसे ही रमेश है, भले ही बच्चा है, परन्तु है तो कुल पुरोहित"।

दूसरे दिन रमेश तैयार होकर लाला जी की दुकान पर पहुंच गया। लाला जी ने छोटा होते हुए भी रमेश को छोटे पुरोहित कहकर नमस्कार किया, और अपने पास ही गद्दी पर बिठाकर समझाने लगा, "छोटे पुरोहित! हमारी दुकान का असूल है ईमानदारी। तुम भी यदि ईमानदारी से काम करोगे, तो कोई कमी नहीं रहेगी। सारे काम को अपना ही समझो, अभी तुम्हें 150 रु० महीने मिलेंगे, तीन महीने के बाद पैसे और बढ़ा दिए जाएंगे"। फिर लाला ने मुनीम को कहा, "मुनीम जी! छोटे पुरोहित को गोदाम में लेजाकर काम समझा दो"। मुनीम जी रमेश को साथ लेकर गोदाम में चले गए। रमेश ने देखा बीस के लगभग आदमी और स्त्रियां कूटने, पीसने, कोल्हू सम्भालने और पैकिंग के काम पर लगे हुए हैं। इन मजदूरों की देख-भाल का काम देखना ही रमेश की ड्यूटी थी, उसने काम सम्भाल लिया।

एक सप्ताह में ही रमेश मजदूरों से घुल-मिल गया, सब मजदूर उसे छोटा बाबू कहकर बुलाते थे। गोदाम का मुख्य द्वार प्रायः बन्द ही रखा जाता था। रमेश ने देखा हल्दी, मिर्च, मसाले की वस्तुओं के साथ-साथ टूटे चावल की बोरियां,

कई प्रकार के बीज और गन्ने का खांड निकला शीरा गोदाम में पड़ा है। उसने मजदूरों से पूछा, कि क्या इन वस्तुओं का भी व्यापार चलता है ? मजदूरों के मुखिया ने हंस कर उत्तर दिया, "छोटे बाबू ! कुछ दिन आगे जान जाओगे।" रमेश ने पूछा, "आखिर जो बात कुछ दिन पीछे पता चलेगी उसका पता अब ही क्यों न लग जाए ?" मुखिया ने उसे थोड़ा एकान्त में लेजाकर बताया, "यहां जो माल तैयार होता है उसमें शुद्धता कम और मिलावट अधिक होती है। हल्दी में चावलों का आटा, मिर्च, मिसाले में कई प्रकार के सस्ते बीज और तेल में खण्ड का शीरा मिलाकर असली माल के लेबल लगाकर बाहर भेजा जाता है"। रमेश ने उससे पूछा—यह धन्धा कब से चल रहा है ? मुखिया ने बताया, "कई सालों से ऐसा हो रहा है, लाला ने इसी काले धन्धे में लाखों कमाए हैं"। रमेश ने मुखिया से प्रश्न किया, "तुम्हें पता है कि ऐसा करना पाप है, देश द्रोह है"? मुखिया ने उत्तर दिया छोटे बाबू पेट की आग में झुलस रहे हम क्या कर सकते हैं, हम कोई बात करें, तो कल मजदूरी से छुट्टी, और फिर लखपति और मजदूर का क्या मुकाबला" ? रमेश स्थिति को समझ कर चुप रह गया।

सारे दिन उसका मन काम में नहीं लगा, मिलावटी माल के पेकटों पर और टीन के डिब्बों पर लगे शुद्धता के लेबल उसे कुछ करने का इशारा करते से लगने लग गए। उसके अन्दर से आवाज आने लगी, राम का मुखौटा पहन कर कोई रावण राम नहीं बन सकता। शुद्धता के नाम पर लोगों को जहर खिलाना देश-द्रोह है। ऐसा देशद्रोही कोई भी क्यों न हो, उसे मुआफ नहीं किया जाना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए जन जीवन को मौत के मुंह में डालना, इससे बढ़कर और पाप क्या हो सकता है ? राष्ट्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो राष्ट्र कब तक जीवित रह सकेगा ? यह सोचते सोचते उसे लगा कि हस्पतालों में पड़े हजारों रोगी, गलियों में चलते फिरते नर कंकाल-यह सब लाला जैसे स्वार्थी देश द्रोहियों के कुकर्म के ही परिणाम हैं। लाला का कहा हुआ वाक्य "ईमानदारी से काम करोगे," उसे एक ढोंग मात्र लग रहा था। शाम को वह घर आ गया।

उसे भूख नहीं थी, परन्तु मां का दिल रखने के लिए उसने थोड़ा बहुत खा ही लिया, और अपनी चारपाई पर लेट गया। रात आगे सरकती रही, उसकी मां और बहन सो चुकी थीं, परन्तु नींद उससे आज कोसों दूर भागी दिखाई दे रही थी, वह सोच रहा था, स्वार्थ कितना प्यारा है मनुष्य को। दूसरा मरता है, तो मर जावे परन्तु अपने घर में चैन की बन्सी बजती रहनी चाहिए, स्वार्थ की पराकाष्ठा, खाने पीने की वस्तुओं में भी मिलावट ! रिश्वत, चोर बाजारी आदि के बारे में तो वह काफी कुछ सुनता रहता था, परन्तु मिलावट जैसा कुकर्म उसने अपनी आंखों से आज ही देखा था। वह सोच रहा था—यह नौकरी नहीं करूंगा—नौकरी—नौकरी नहीं करोगे, तो खाओगे क्या ? घर में कौनसी पूंजी रखी है—कल को बहन की शादी करनी है, कहां से लाओगे पैसा ? शून्य से निकली एक कल्पित सी आवाज उसके कानों से टकराई। नहीं, मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, मेरे नौकरी छोड़ने पर लाला कौनसा यह धन्धा बन्द कर देगा, मन के अन्दर से फिर एक आवाज सी निकली। आज का युग पैसे का युग है, ईमानदारी या बेईमानी को कौन पूछता है ? तेरे पिता जी ईमानदार थे क्या कमाया उन्होंने ? उनके साथ वाले बेईमान आज मौज उड़ा रहे हैं। तुम मूर्ख हो। ईमानदार रहकर भूखों मरने से बेईमानी से मौज का जीवन व्यतीत करना कहीं अच्छा है।

उसे झपकी सी आने लगी। घटना क्रम विचार की धारा में बहता आगे बढ़ रहा था—लड़की कम पढ़ी लिखी है, तो कोई बात नहीं, तुम दहेज में दस हजार दे सको तो हम तुम्हारी बहन का रिश्ता ले सकते हैं, नहीं तो कोई और घर देखो। बेटा ! तुम्हारे पिता के जीते गंगा स्नान की साध पूरी न हो सकी, तुम ही मुझे गंगा स्नान करवा दो—मां की आवाज। भैया ! मुझे इस तनखाह पर एक सूट सिलवा दोगे ?

पता नहीं, रमेश कब तक इस भंवर में गोते खाता रहता, कि बारह के घन्टों की आवाज ने उसे चौंका दिया, ओह ! बारह बज गए। वह उठ बैठा, समस्या का कोई समाधान अभी तक नहीं निकला था। वह चुप चाप कमरे में टंगे अपने पिता के चित्र के सामने जा बैठा और हाथ जोड़कर अपने आप बुद्बुदाया, "गहरे संकट में हूं, कुछ मार्ग दिखाओ"। मार्ग—जैसे चित्र बोलने लग गया हो, मार्ग साफ है, देशद्रोही को क्षमा करना भी देशद्रोह है। लाला के काले कृत्यों से पर्दा उठा दो, रोटी की चिन्ता न करो। जिसने जन्म दिया है, वह रोटी भी अवश्य देगा। आज राष्ट्र को तुम्हारे जैसे कर्तव्यनिष्ट जन सेवकों की आवश्यकता है, तुम उठोगे, तो तुम्हें देखकर और कई उठेंगे। मिलावट की रोकथाम के अभियान में अपना योग-दान दो, ईश्वर भला करेगा। राष्ट्र को खाने पीने की शुद्ध वस्तुएं मिलें, समय की यही आवाज है, इस आवाज को सुनो।

पता नहीं चित्र के सामने बैठे-बैठे उसे कब नींद आ गई। प्रातः वह मां और बहन के जागने से पहले ही उठ खड़ा हुआ। समस्या का समाधान मिल चुका था।

सवेरे नौ बजते-बजते "शुद्ध वस्तु भण्डार" और उसके गोदाम को मजिस्ट्रेट की देख-रेख में पुलिस ने घेर कर सभी असली और नकली माल अपने अधिकार में ले लिया। लाला और मुनीम को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नकली माल मौके पर ही पड़ा मिल गया था। लाला और मुनीम को हवालात में बन्द कर दिया गया।

रमेश की इस हिम्मत तथा देश भक्ति पर प्रसन्न होकर उसे सतर्कता विभाग के उच्च-अधिकारियों ने सीधे अपने विभाग में अच्छे पद पर नियुक्त कर दिया।

डी० ए० वी० हायर सैकंडरी स्कूल करनाल

रूपक

जाति-बिरादरी

शीतांशु भारद्वाज

पात्र परिचय :

[धरमू काका : सरपंच, उदेराम-भौनराम : ग्रामीण शिल्पकार (अछूत), पानसिंह-गंगासिंह-विरदेव: सवर्ण, गोपाल : गांव का दुकानदार, घनश्याम : प्राथमिक स्कूल का अध्यापक, सांवलिया : सफाई कर्मचारी का लड़का, पंचायत सेक्रेटरी ।]

[स्थान : गांव की दुकान : समय : दिन का तीसरा पहर । पहाड़ी गांव के दक्षिणी छोर पर चाय की दुकान । दुकान के आगे एक टूटी-फूटी बैंच है । गांव का दुकानदार गोपाल गिलासों में चम्मच चलाता हुआ चाय बना रहा है । पानसिंह और विरदेव बैंच पर बैठे हुए चाय पी रहे हैं । पृष्ठ भूमि में गांव के सफेदी से लिपे-पुते, ढलाऊ छत्तों वाले दो तल्ले मकानों की दो-तीन पंक्तियां दिखाई दे रही हैं । उत्तर की ओर क्रमशः ऊंचे होते हुए छोटे-छोटे सीढ़ीनुमा खेत हैं और उसके बाद चीड़वन दिखाई दे रहा है । उदेराम और भौनराम दो शिल्पकार भी बैंच पर आ बैठते हैं । उनके बैठते ही तीनों सवर्ण अपनी-अपनी गिलासों की चाय उडेल कर चल देते हैं ।]

उदेराम : अपमान । सरेआम हमारा अपमान किया जा रहा है ।

भौनराम : हां, सवर्णों को हमारे साथ बैठकर चाय पीने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए था ।

गोपाल : क्या हुआ ? क्या हुआ उदेराम ?

उदेराम : (क्रोध से) हुआ क्या ? देखते नहीं, हमारे बैठते ही सवर्ण बैंच से उठ खड़े हुए । आये दिन नेता लोग अपने भाषणों में छुआछूत को अपराध बतलाते आ रहे हैं किन्तु पहाड़ों में तो आज भी उल्टी गंगा बह रही है ।

गोपाल : छुआछूत ?

भौनराम : हां, तुम भी तो देखकर अनदेखी ही कर रहे हो ठाकुर । करोगे भी क्यों नहीं, आखिर तुम भी तो उसी जाति-बिरादरी के ठहरे ।

गोपाल : भौनराम ।

भौनराम : सच्ची बात कहने में बुरा मान गए ठाकुर ?

गोपाल : जाति-बिरादरी की बात कहकर तुम लोग खुद ही जातीयता को बढ़ावा दे रहे हो भौनराम ।

उदेराम : हम या तुम ?

घनश्याम : (जो अबतक अखबार पढ़ रहा था, वहां से दृष्टि हटाकर) जातीयता और छुआछूत दोनों ही कानून में अपराध हैं । भारतीय संविधान में ऊंच नीच की कोई दीवार नहीं है । हमारी मानो तो दोनों ही इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो ।

उदेराम : यहीं समाप्त करदें, क्या मतलब ?

भौनराम : नहीं, हम ठाकुरों पर मानहानि का दावा करेंगे ।

उदेराम : **इसका निर्णय न्यायालय में ही होगा ।**

(उत्तर की ओर से हाथ में छड़ी लिए हुए धरमू काका आते हुए दिखाई देते हैं । दुकान पर होती हुई तू-तू मैं-मैं वहीं समाप्त हो जाती है ।)

धरमू काका : क्यों रे उदेराम, क्या बहस हो रही है ?

उदेराम : काका, आप जैसे न्यायमूर्ति के होते हुए हम लोगों को सताया जा रहा है ।

धरमू काका : कुछ बोल तो सही पगले ।

भौनराम : अभी-अभी गांव के तीन सवर्णों ने हमारे साथ चाय पीने से मनाही करके हमें अपमानित किया है ।

धरमू काका : हां रे, छुआछूत तो अपराध है ।

उदेराम : काका, हम आपसे न्याय की भीख मांगते हैं ।

धरमू काका : न्याय के द्वार सभी के लिए खुले हुए है उदेराम, क्या सवर्ण क्या शिल्पकार सभी समान रूप से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं । मेरी पंचमण्डली अब तक दूध का दूध और पानी का पानी करती आ रही है । (पर्दा गिरता है ।)

(पर्दा उठता है)

स्थान : गांव का पंचायत घर । समय : दिन का तीसरा पहर । (प्रथम दृश्य की ही पृष्ठ भूमि के साथ गांव के पंचायत-घर का प्रांगण । प्रांगण के पूर्वी छोर पर उपलों का अलाव जल रहा है । एक बड़ी दूरी पर पंचमण्डली तथा पंचायत सेक्रेटरी बैठे हुए हैं । दरी से कुछ हटकर वादी और प्रति-वादी पक्ष वाले बैठे हैं । गांव का एक लड़का पंचों के लिए चिलम भर रहा है । हुक्का पीते हुए पंच लोग आपस में अनौपचारिक रूप से बातचीत कर रहे हैं । धरमू काका के चेहरे पर **आवश्यकता से अधिक गम्भीरता है ।)**

पंचा० सेक्रे० : मैं सरपंच महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे आसन ग्रहण करें ताकि पंचायत की कार्यवाही आरम्भ की जा सके।

(धरमू काका आसन पर आ विराजते हैं। पंच मण्डली भी ठीक से बैठ जाती है।)

धरमू काका : इससे पहले कि पंच लोग मामले पर विचार करें—मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे सदा की भांति इस पर भी निष्पक्षता पूर्वक विचार करें। (उदेराम से) उदेराम, तुमने जो मानहानि का दावा किया है, क्या वह अपने पूरे होशोहवाश में किया है ?

उदेराम : जी हां, छुआछूत और रंग भेद इस देश में।

धरमू काका : (टोक कर) उदेराम, लिक्चरबाजी की आवश्यकता नहीं है।

उदेराम : माफी दें मालिक। (गर्दन झुका लेता है।)

धरमू काका : प्रतिवादीगण सर्वश्री पानसिंह, गंगासिंह और विरदेव भी अपने बयान दें।

(तीनों सवर्ण व्यक्ति अपने बयान देते हैं।)

धरमू काका : (पंचायत सेक्रेटरी से) लिखिए, 25 जून को तीसरे पहर जब वादी पक्ष के सर्वश्री उदेराम और भौनराम शिल्पकार गांव में गोपाल की दुकान पर चाय पीने के लिए आए तो वहां बैंचों पर पहले से ही चाय पी रहे प्रतिवादी पक्ष वाले सवर्णों सर्वश्री पानसिंह, गंगासिंह और विरदेव ने अपनी अधूरी चाय की गिलासें उलट दीं और इस प्रकार शिल्पकारों का सार्वजनिक स्थान पर अपमान किया।

धरमू काका : उदेराम, साक्षी दे सकोगे ?

उदेराम : मास्टर घनश्याम यह सब देख रहे थे श्रीमन्।

धरमू काका : मास्टर घनश्याम अपना बयान दें।

घनश्याम : यह घटना मेरे रूबरू घटी है। उस समय मैं वहीं था।

धरमू काका : पंचमण्डली इस मामले पर गम्भीरता से विचार करे।

दृश्य

(पर्दा उठता है)

(पंचमण्डली एक कोने में जाकर आपस में विचार-विमर्श करने लगती है। पंचायत सेक्रेटरी फाइल उलटने लगता है। धरमू काका के माथे पर चिन्ता की रेखाएं खिंच आती हैं। उनका यह पहला अवसर है जब उन्हें कोई निर्णय नहीं सूझ पा रहा है। सहसा ही उनकी दृष्टि पास ही खड़े सांवलिया पर जा लगती है। काका की घनी मूछों के बीच हंसी का उजास फूट आता है। उन्हें निर्णय सूझ आता है।

धरमू काका : सांवलिया।

सांवलिया : जी, काका।

धरमू काका : इधर आ, मेरे पास।

(सांवलिया संकोच में पड़ जाता है। तभी काका उसके पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाते हैं।)

धरमू काका : (अपने आप से ही) ओह। पहाड़ों में ऐसी जान लेवा गरमी कभी नहीं देखी। (बाहर खड़े सांवलिया से—जिसके एक हाथ में बाल्टी और दूसरे में गिलास है) सांवलिया, जरा लोगों को पानी तो पिला दे।

(सांवलिया उदेराम के पास आकर उसे पानी का गिलास पकड़वाना चाहता है।)

उदेराम : (क्रोध से) अरे। तू हमें पानी पिलाएगा ? हम तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे।

भौनराम : हां, मेहतर के हाथ का पानी।

धरमू काका : बस करो भौनराम। लिक्चर देने की आवश्यकता नहीं है। स्वाधीन भारत में छुआछूत और रंग-भेद एक अपराध है। हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार है। पंचमण्डली अपना आसन ग्रहण करे।

(सभी पंच अपने स्थान पर आ बैठते हैं।)

धरमू काका : (पंचों को देखकर) यदि पंच-परमेश्वर मुझे आज्ञा दें तो मैं मामले पर निर्णय दे सकूं।

सभी पंच : काका, नेकी और पूछ पूछ। कृपया, अपना निर्णय दें।

धरमू काका : वादी सर्वश्री उदेराम और भौनराम ने जिस रूप में अपनी मानहानि के इस मामले को हमारी पंचायत में उठाया है, उसे देखते हुए यह सचमुच ही एक अपराध है और इसके लिए प्रतिवादी पक्ष के ऊपर भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड दिया जा सकता है किन्तु वादी पक्ष ने स्वयं ठीक वही स्थिति उत्पन्न करदी जो प्रतिवादी पक्ष ने की थी। भरी पंचायत में उन्होंने स्वयं ही छुआछूत को बढ़ावा दिया है। यदि पंचायत चाहती तो उन्हें दंडित कर सकती थी किन्तु परिस्थितियों को देखते हुए हम उन्हें दंडित नहीं करना चाहते। दावा खारिज किया जाता है। पंचायत उनसे आशा करती है कि भविष्य में वे गांव में इस प्रकार जातिवाद और वर्ण भेद को तूल नहीं देंगे। छूआ-छूत एक अपराध है और सारे समाज में इसका उन्मूलन होना चाहिए। तभी हमारा राष्ट्र एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

जी—66
म्युनिस्पल कालोनी, ढक्का, किंग्जवे,
दिल्ली-110009

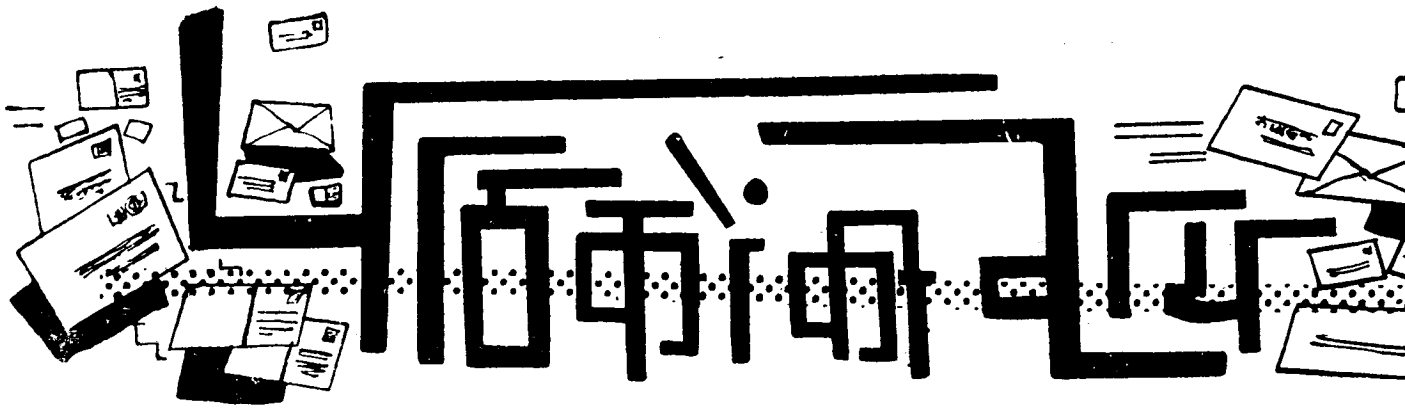

पंचायतीराज की नई दिशाएं

प्रजातन्त्र के माध्यम से ग्राम स्वराज्य की जो आदर्श कल्पना की गई है, उसका आधार केवल पंचायतीराज है। पंचायतीराज केवल शासन प्रणाली ही नहीं, बल्कि भारतीय गांवों की एक बड़ी आवश्यकता भी है, इसलिए इस व्यवस्था द्वारा ही ग्रामों का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकता है। इस दिशा में जो प्रयत्न हो रहे हैं वे पंचायतीराज की नई दिशाएं हैं।

आज ग्रामों की स्थिति और सामाजिक जीवन में जो असन्तोष और पिछड़ा पन दिखाई देता है, उसका एक कारण यह भी है कि पंचायतीराज संस्थाएं अपने अपने दायित्वों को पूरा करने में सामर्थ नहीं हो पा रही हैं। जिस समाजवादी सामाजिक व्यवस्था की रचना का प्रयत्न पिछले 25 वर्षों से हो रहा है, उस दिशा में हमें जो सफलता मिली है, उसमें पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं रही है। यही कारण है कि प्रजातन्त्र शासन पद्धति का जो लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए था वह पूरी तरह से नहीं मिला है। आज भी ग्रामों में सामाजिक और आर्थिक विषमता के दर्शन होते हैं। यद्यपि शहरों में भी इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं किन्तु उनका जो रूप हमें ग्रामों में दिखाई देता है वह एक स्वतन्त्र देश के लिए आदर्श नहीं कहा जा सकता।

गांव की बहुसंख्यक जनता स्वतन्त्रता के पच्चीस वर्षों के बाद भी परम्परागत रूढ़ियों, अन्धविश्वासों एवं धार्मिक संकीर्णताओं में फंसी हुई है। अन्धविश्वासों एवं अशिक्षा के कारण समाजसुधार और भूमि सुधार सम्बन्धी अनेक वैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी ऐसे लोगों के विश्वासों में कोई अन्तर नहीं आने पाया है। इस प्रकार के लोग 'हाथ पर हाथ धरे' अपना समय बिता देते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए सरकार अथवा पंचायत को कोसते रहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या ग्रामों में कम नहीं होती। ऐसे लोगों तथा कुछ और ऐसे ही प्रतिक्रियावादी तत्वों और स्वार्थी लोगों द्वारा इस व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ है। ऐसे मुट्ठी भर लोगों के कारण पंचायतीराज प्रणाली बदनाम भी हुई है, जिसके कारण कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का वातावरण दूषित हुआ है किन्तु वास्तव में ऐसे लोगों का प्रभाव हमेशा नहीं बना रहता और न ही झूठ और फरेब कभी लाभदायी बने हैं।

जहां तक इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रश्न है और यदि यही मान लिया जाए कि यह व्यवस्था बेकार और निरुपयोगी है और इससे ग्रामीण समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता तो इसका विकल्प क्या है? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम ग्रामीण समाज का पुनर्जागरण कर सके? सम्भवतः किसी भी आलोचक के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। इस सम्बन्ध में केवल इतना कहा जा सकता है कि पंचायती राज प्रणाली कोई जादू का डंडा नहीं, जिससे मनोवांछित लाभ उठाए जा सकें। यह तो एक व्यवस्था है, जिसका सीधा सम्बन्ध उन ग्रामीणों से है जिनका उससे नित्य का व्यवहार पड़ता है। इसकी सफलता पूर्णतया ग्रामीण जनों पर निर्भर है। नेतृत्व कर रहे पंचों के साथ ही साथ, यदि गांव के नागरिक पंचायत कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं तो ग्रामीण समस्याएं हल नहीं हो सकतीं।

जो पंचायतें स्वराज्य की आदर्श इकाई बन कर कार्य कर रही हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है और ऐसी पंचायतें अनिवार्य कर्तव्यों के साथ साथ समाजसेवा और सामुदायिक विकास से सम्बन्धित अनेक कार्य बड़ी सफलता से कर रही हैं। एक पंचायत का वाचनालय एवं पुस्तकालय देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसा वाचनालय बड़ी बड़ी नगरपालिकाएं भी नहीं चला पाती। ऐसी ग्रामीण व्यवस्था को यदि समाप्त कर देने से गांवों की स्थिति में सुधार सम्भव हो सके तो बेशक यह व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन पंचायत प्रणाली पर दोष और उनका यह पक्ष तो वह बात हुई कि रोगग्रस्त अंग का उपचार नहीं, उसे काट दिया जाए। रोगग्रस्त अंग की चिकित्सा होनी चाहिए।

पंचायतीराज व्यवस्था अथवा किन्हीं किन्हीं पंचायतों में आए दोषों को दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए। ऐसे प्रयत्न स्थानीय जनता ही अपनी पवित्र संस्था को निर्दोष और निष्कलंक बनाने के लिए कर सकती है। जहां तक राज्यों के पंचायत विधानों का प्रश्न है, उन्हें स्पष्ट करने के लिए समय समय पर विचार गोष्ठियां होनी चाहिएं।

स्थानीय व्यक्तियों का जितना अधिक सहयोग पंचायत संस्था को मिलेगा, संस्था उतनी ही सबल, सशक्त और ग्रामोपयोगी बन सकेगी और अधिक से अधिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेगी।

ग्राम का सामाजिक चरित्र भी पचायत की सफलता पर आधारित है। अतः स्थानीय लोगों को चाहिए कि वे सन्देहास्पद व्यक्तियों को पंचायत के कार्यों से दूर रखें और ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक निन्दा की जाए। आदर्श चरित्र वाले व्यक्तियों की प्रशंसा की जाए।

ग्राम स्तर पर स्थापित सभी शासकीय इकाइयां पंचायत के अधीन होने से वे इसका महत्व समझेंगी और उसे अपना सहयोग देंगी। शिक्षा, सामुदायिक विकास, विद्युत्, पशुचिकित्सा, लघु सिंचाइ योजना, कृषि उर्वरक आदि खेती शासकीय इकाइयां हैं जिनका सम्पर्क पंचायत संगठन से होना चाहिए। इसके साथ ही ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाएं निश्चित समयावधि में पूर्ण हो जानी चाहिए जिससे ग्राम के लोग शीघ्र लाभान्वित हो सकें। इसके लिए आवश्यक है कि पंचायतें अपनी विकास सम्बन्धी योजनाएं स्थानीय कर्मचारियों के सहयोग एवं समन्वय से बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयत्न करें। उत्पादन कार्यों के लिए ग्राम की सहकारी संस्था अथवा पंचायत को ऋण दिलाया जा सकता है। उत्पादक कार्यों के लिए लिया हुआ ऋण सरलता से चुकाया जा सकता है और उसका लाभ भी ग्राम को प्राप्त होने लगता है।

पंचायत संस्था एवं उससे सम्बन्धित नेतृत्व को नवीन कार्य हाथ में लेने चाहिए। बहुत सी संस्थाएं आलोचना के भय से नए नए कार्य अपने हाथों में नहीं लेतीं। जहां तक आलोचना का प्रश्न है, उसके विषय में तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आलोचना कोई बुरी वस्तु नहीं। 'निन्दक नियरे रखिए' हमारी परम्परा रही है। हां, किसी भी कार्य से पूर्व यह सोचना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है? यदि उद्देश्य अच्छा, ग्रामहितकारी और ग्रामोपयोगी है तो उसे अवश्य ही करना चाहिए। नए नए बगीचे लगवाना, देशी खाद के गड्ढे तैयार कराना, पशु आहार के लिए घास का स्टोर बनाना, क्षेत्र का खाद्यान्न सरकारी ऐजेन्सियों को बिकवाना, अभाव की स्थिति में क्षेत्र के लिए खाद्यान्न केन्द्रीय भण्डार से उपलब्ध कराना तथा उसके वितरण का प्रबन्ध करना, नियन्त्रित वस्तुओं के व्यापार की देख रेख, अनुचित मुनाफाखोरी रोकना, जमाखोरी को हतोत्साहित करना, मिलावट करने वाले पर नियन्त्रण रखने हेतु प्रबन्ध करना आदि ऐसे कार्य हैं जिन पर पंचायतों को व्यापक सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और आचरण करना चाहिए।

देश की बदलती हुई परिस्थितियों में पंचायतों को अपने नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों में भी व्यापकता लानी चाहिए। अतः पंचायतों को स्थानीय परिस्थितियों का गहन और सूक्ष्म अध्ययन कर अपने कर्तव्य क्षेत्र में वे सब काम करने चाहिए जिनका सम्बन्ध ग्राम जीवन के हितकारी पक्ष से है और साथ ही जो राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों से मेल खाते हों। अतः पंचायतें अधिक से अधिक कार्य करें। पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों के परिप्रेक्ष्य में ग्राम में नवजीवन आएगा। उत्पादन बढ़ेगा। सहयोगी उद्योग खुलेंगे। अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी।

उद्देश्य यह है कि पंचायतें ग्रामीण जन जागरण का वातारण बनाने के लिए जितने कार्य करेंगी, ग्रामीण वातावरण उतना ही स्वस्थ बनेगा। सामाजिक जीवन उतना ही खुशहाल बनेगा। यही पंचायतीराज का उद्देश्य है। □

चुन्नीलाल सलूजा
104, **सलूजाभवन**
शिवपुरी (म० प्र०)

देवनारी में तार ..... [पृष्ठ 23 का शेषांश]

फीस 50 रु० जमा कर दी गई हो। (इस प्रकार 55 रु० में रोमन तथा देवनागरीलिपि में तारों के संक्षिप्त पते रजिस्टर्ड कराए जा सकते हैं।) (6) देवनागरी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् विभागीय कर्मचारियों को स्थायी रूप से एक वेतन वृद्धि दिए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। (7) इसी प्रकार देवनागरी टेलीप्रिन्टर पर प्रशिक्षण प्राप्त विभागीय कर्मचारियों को एक और अधिक स्थायी वेतन वृद्धि दी जाती है।

इसलिए अब इस बात की आशंका नहीं रह जानी चाहिए कि देवनागरी में तार नहीं लिए जाएंगे अथवा देर से पहुंचेंगे। यदि इस विषय में कोई कठिनाई आए तो उसे दूर करने के लिए शिकायत के निदेशक, डाक-तार महानिदेशालय, संसद मार्ग नई दिल्ली को लिखकर शिकायतें भेजें, जिससे कि शिकायतों के कारणों में गहराई से जाया जा सके और उन्हें स्थायी रूप से दूर करने के लिए आवश्यक पग उठाए जा सकें। □

उन्हें हम कैसे भूलें—लेखक : विनोद 'विभाकर'; प्रकाशक : कला प्रकाशन मन्दिर दिल्ली-6; पृष्ठ संख्या : 148; मूल्य : चार रुपये।

'जननी जन्मभूमिश्च स्वगादपि गरीयसी', 'माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः', 'मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव', 'मातृमान् पितृमान् आचार्यमान् पुरुषो वेद' जैसे वाक्य सदियों से मानव संस्कृति का पथ आलोकित करते रहे हैं। लगता है कि संस्कृति के विकास की कहानी मातृत्व की भावना के विकास की कहानी के साथ अविच्छिन्न रूप से अनुस्यूत है और यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि यह भावना मानव की संस्कार-सम्पन्नता के चरमोत्कर्ष की स्थिति की द्योतक है। मनुष्य के सर्वांगीण निर्माण में मां का जो महत्वपूर्ण स्थान है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। मानव जाति में पुत्र और माता का सम्बन्ध क्षणिक नहीं है, वह जीवन यात्रा के प्रथम चरण से लेकर अन्तिम चरण तक विद्यमान रहता है, माता ही जीवन यात्रा के लिए पाथेय की व्यवस्था करती है।

श्री विभाकर जी ने इस ग्रन्थ में अपनी मां की सभी स्मृतियों को संजोकर रखा है। इसके साथ-साथ परिवार के सभी नाते-रिश्तेदारों के संस्मरण भी एकत्रित किए हैं जो उनकी मां के जीवन के विभिन्न पक्षों को भली भांति उजागर करते हैं; कथ्य में पुनरावृत्ति होते हुए भी सभी संस्मरणों में सहज आस्था है। प्रारम्भिक लेख 'अमिट रेखाएं' में श्री विभाकर ने मां के सम्पूर्ण जीवन को सुन्दर, रोचक शैली में अंकित किया है। पाठक कथा तत्व से आगे बढ़ता हुआ मां के प्रति क्रमशः श्रद्धानत होता चलता है।

पुस्तक का अन्तिम भाग भी विशेष रूप से रोचक है जिसमें महात्मा गांधी, श्री क्षितीश वेदालंकार, बनारसीदास चतुर्वेदी, पं० मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर जैसे प्रतिष्ठित विद्वान् साधकों के रोचक एवं प्रेरणादायक संस्मरण संकलित हैं। यह अंश मां कलावती से सम्बन्धित न होकर 'मां' से सम्बन्धित है, वह मां जिसने हम सबको जन्म दिया है, पालन पोषण किया है।

'उन्हें हम कैसे भूलें' जैसे स्मृति ग्रन्थ के लिए श्री विभाकर बधाई के पात्र हैं। काश, मां के प्रति ऐसी भावनाएं प्रत्येक में हों और वे भावनाएं कुछ और व्यापक होकर 'भारत मां' के लिए हो जाएं—तो मैं सुन्दर, सम्पन्न और शक्तिशाली भारत की सहज कल्पना कर सकता हूं।

देवेन्द्र आर्य

सच्ची जासूसी कहानियां भाग 2 : प्रकाशन विभाग, 1973, पृष्ठ संख्या : 128; मूल्य : 2.25।

अपराध की ऐसी 20 कहानियां जो समय-समय पर सामान्य जनता के बीच बहु चर्चित हुई हैं, इस संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। इन जासूसी कहानियों की सामान्य जासूसी कहानियों से भिन्नता यह है कि जहां सामान्य जासूसी कथाएं कल्पना प्रसूत होती हैं और उनमें सरसता उत्पन्न करने के लिए अपराध सम्बन्धी कृत्यों का सविस्तार वर्णन किया जाता है, जो पाठकों को उनके अनजाने ही पीड़ाजन्य सुख प्रदान करते हैं और कतिपय व्यक्तियों में अपराध सम्बन्धी वृत्तियों को उभारते हैं, वहां इन कथाओं में इस पक्ष का अल्पतम विवरण दिया गया है। सामान्य जासूसी कृतियों में जासूसी को रोमांचक बनाने के लिए अपराधी के बचाव की युक्तियों का भी बहुत जटिल और विस्तृत वर्णन होता है जो प्रायः अपराध वृत्ति रखने वालों के उपयोग में आता है, पर इनमें इस पक्ष को भी सीमित रखा गया है। सामान्य जासूसी कृतियों में जहां अपराध का पता लग जाने पर ही कहानी समाप्त हो जाती है और इसलिए लोगों को इनकी परिणतियों का आभास नहीं मिलता, वहां इन कहानियों में दण्ड का, जो प्रायः फांसी है, उल्लेख करके भी अपराध वृत्ति की जघन्यता को सही रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामान्य जासूसी उपन्यासकार अपराध की घटनाओं का तटस्थ वर्णन करता है जो पाठक को रससिक्त करती हैं जबकि इन कहानियों में इन घटनाओं की भयावहता व अमानवीयता को उभारकर इनके प्रति एक जुगुप्सा भाव पैदा किया गया है।

ये भेद बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां सामान्य बाजारू कृतियां अपराधवृत्ति का विस्तार करके सामाजिक दूषण को प्रोत्साहन देती हैं और उनके पीछे एक प्रयोजन धन कमाना होता है, वहां ये कहानियां जनशिक्षा का अंग हैं। अपराधियों की खोज और उनके दण्डित होने के विवरण सामान्य नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। इन दृष्टियों से प्रकाशन विभाग का यह प्रकाशन स्तुत्य है और आशा है कि इस प्रकार के कुछ और संकलन प्रकाशित करके वह प्रचलित आपराधिक उपन्यासों और कहानियों के दूषण को भी प्रभावहीन करने का प्रयास करेगा।

ये सभी कहानियां बहुत सरल और सुबोध भाषा में लिखी गई हैं। शैली बहुत आकर्षक है। एक बार इन कहानियों को पढ़ना शुरू करने के बाद पूरी पुस्तक समाप्त किए बिना जी नहीं मानता।

भगवान सिंह

केन्द्र के समाचार

डेयरी का समन्वित विकास

राष्ट्रपति श्री वी० वी० गिरी ने कहा है कि डेयरी का विकास भूमि के नियोजित वैज्ञानिक उपयोग के समन्वित अंग के रूप किया जाना चाहिए। तब तक ऐसा नहीं किया जाएगा हम दूध उत्पादन के सम्बन्ध में अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट के स्वर्ण जयन्ती समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमने बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य उत्पदन बढ़ाने पर जोर तो दिया किन्तु पशुओं के चरने के लिए जमीन छोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया।

उन्होंने कहा कि शहरों में स्थित डेयरियों में दूध के वितरण करने की हमारी क्षमता में सुधार हुआ है किन्तु दूध के उत्पादन को बढ़ाने की हमारी क्षमता में सुधार नहीं हुआ है। यदि राष्ट्रीय कृषि आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर हमने दुध उत्पादन की अपनी क्षमता में वृद्धि नहीं की तो दूध की आपूर्ति की स्थिति और बिगड़ेगी।

उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्ष में दूध के उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई है। 1950-51 में दूध का उत्पादन 1 करोड़ 90 लाख टन था, जबकि 1973-74 में बढ़कर 2 करोड़ 33 लाख टन होने की आशा है।

प्रोफेसर शेर सिंह ने भी दूध का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। समारोह की अध्यक्षता कर्नाटक के राज्यपाल श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने की।

खाद्यान्न और चारा

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आयोजित कृषि वैज्ञानिकों के सम्मेलन में खाद्यान्नों और चारे की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया गया।

वैज्ञानिकों ने सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के संग्रह, संरक्षण और पूर्ण उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हरे चारे की खाद के उपयोग की सिफारिश की गई।

सम्मेलन में यह सिफारिश की गई कि सभी फसलों में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अक्टूबर के महीने भर विकास खण्ड स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

खाद का उत्पादन

केन्द्रीय कृषि मन्त्री श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने राज्यों के कृषि, नगर विकास और स्वायत्त शासन मन्त्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य तत्वों का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने परामर्श दिया कि शहरी और ग्रामीण कम्पोष्ट, मल-जल और कूड़ा करकट आदि सभी उपलब्ध सामग्री का खाद के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय ने आगे कहा कि शहरों और कस्बों में उपलब्ध कचड़े से हर साल डेढ़ करोड़ टन उर्वरक तैयार किए जा सकते हैं लेकिन केवल 45 लाख टन उर्वरक तैयार किए जाते हैं। इसमे पता लगता है कि देश में शहरी कम्पोष्ट तैयार करने की काफी क्षमता है।

श्री अहमद ने बताया कि कृषि मन्त्रालय ने 45 यांत्रिक कम्पोष्ट संयंत्र लगाने के लिए धन उपलब्ध कराया है। पूंजीगत लागत का 33 प्रतिशत भाग राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण कम्पोष्ट के उत्पादन में वृद्धि के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि खरीफ की फसल में उपयोग के लिए उर्वरक उपलब्ध हो सके।

उन्होंने आगे बताया कि देश भर में 7,000 गोबर गैस संयंत्र लगाए गए हैं। 1974-75 में राष्ट्रीय बैंकों की सहायता से 6,000 गोबर गैस संयंत्र और लगाए जाएंगे।

आदिवासियों को सुविधाएं

श्री काकुलम, सिंहभूम, दांतेवाड़ा, कोंटा, गंजम और कोरापुट जिलों में छह आदिवासी विकास ऐजेन्सी परियोजनाओं के अन्तर्गत 10 एकड़ से कम खेती योग्य भूमि वाले जरूरतमन्द आदिवासी किसानों को परियोजना निधि से 50 से 75 प्रतिशत तक की सहायता दी जा रही है। इससे वे सिंचाई के लिए अपने कुओं तथा पम्पिग सेटों की व्यवस्था कर सकते हैं।

आदिवासी विकास ऐजेन्सी परियोजनाएं सम्बद्ध राज्य सरकारों की अनुमति से 10 एकड़ से भी अधिक भूमि वाले किसानों को कुओं और पम्पिग सेटों के लिए सहायता दे सकती है।

ऐसे स्थानों में जहां आदिवासियों की जनसंख्या उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का आधे से भी कम है, वहां आदिवासी किसानों को कुछ विशेष सुविधाएं देने के विषय में गृह मन्त्रालय विचार कर रहा है।

आदिवासी विकास ऐजेन्सी परियोजनाओं के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत धन की पूरी तरह से कृषि मन्त्रालय द्वारा व्यवस्था की गई है। दांतेवाडा के लिए 15 लाख रु० तथा 1971-72 से अब तक मध्य प्रदेश की कोंटा आदिवासी विकास ऐजेन्सी परियोजनाओं के लिए 25 लाख रु० दिए जा चुके हैं।

1973-74 के दौरान आदिवासी तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कृषि पर 464-73 लाख रु० खर्च करने का विचार है, जो कृषि के लिए वार्षिक सीमा का लगभग 35 प्रतिशत है।

बैंकों का कार्य

वित्त मन्त्री श्री यशवन्त राव चव्हाण ने शाखाओं के विस्तार और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने की दृष्टि से उत्तरी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए गए कार्य पर सन्तोष प्रकट किया है। वे उत्तरी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्षेत्रीय सुलाहकार समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्य यन्त्री, जम्मूऔर कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के वित्त मन्त्रियों, केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली और चण्डीगढ़ के प्रतिनिधियों, रिजर्व बैंक के गर्वनर और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्षों ने भाग लिया।

श्री चव्हाण ने कहा कि पिछले साल से अब तक उत्तरी क्षेत्र में 400 से भी अधिक शाखाएं खोली गई हैं और प्रारम्भिक क्षेत्र में उधार खातों की संख्या पहले ही 1 लाख 40 हजार से अधिक हो चुकी है। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि वे जिला सलाहकार समितियों में स्थानीय गैरसरकारी प्रगतिशील व्यक्तियों का सहयोग लें, जिन्हें लघु उद्योगों, कृषि, खुदरा व्यापार आदि का अनुभव हो। उन्होंने राज्य सरकारों से भी राज्य-स्तर की समितियों को सक्रिय बनाने के लिए कहा।

वृक्ष लगाने का कार्यक्रम

सभी राज्य हर वर्ष 'वन महोत्सव' मनाते हैं और इस अवधि में जो पौधे लगाए जाते हैं उनसे बढ़ते हुए शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण जो वृक्षों की हानि होती है उनकी कुछ अंगों में क्षति-पूर्ति हो जाती है। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों और उन संस्थाओं को वनमहोत्सव शील्ड प्रदान किया जाता है, जो वनमहोत्सव के दौरान सबसे अधिक पौधे लगाती हैं।

सड़कों के किनारे, सरकारी और गैर-सरकारी अहातों और सार्वजनिक उद्यानों में वृक्ष लगाने की ओर अब पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा सरकार भी इसके लिए उचित प्रोत्साहन दे रही है। कुछ राज्य सरकारों ने आदेश भी जारी कर रखे हैं कि आवास, उद्योग, सड़क, बिजली की लाइन इत्यादि के लिए नए स्थानों का विकास किया जाए, तो जहां तक सम्भव हो, वृक्षों को न काटा जाए। □

पढ़ाई के साथ-साथ कमाई

मुहम्मद याकूब, डा० बूदन, डी० पी० ऋषि, जी० एस० पटेल और उनके कुछ अन्य साथी जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बी० एस० सी० कृषि के चौथे वर्ष में पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने गत रबी के मौसम में पढ़ाई के दौरान ही 1200 रु० से अधिक की कमाई भी की। और मजे की बात यह है कि पढ़ाई कमाई के काम आई और कमाई पढ़ाई के।

वास्तव में, फसल उत्पादन-पाठ्यक्रम का व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की गई एक नई योजना के फलस्वरूप यह कमाई हुई। विश्वविद्यालय की इस नई योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करना तथा उन्हें कृषि-विज्ञान की अपनी जानकारी को व्यावहारिक रूप देने का अवसर प्रदान करना है।

इस नई योजना में 12 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उनको विश्वविद्यालय की ओर से जमीन दी गई जिस पर उन्होंने अलग-अलग स्वतन्त्र रूप से खेती की। इसके लिए विश्वविद्यालय की तरफ से मार्गदर्शन तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई। उन्होंने डेढ़ हैक्टेयर भूमि में गेहूं, चना और अलसी की फसल उगाई। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई और मजदूरी इत्यादि के खर्चे को मिलाकर उनकी खेती पर 1516 रु० की लागत आई जबकि उसकी पैदावार के 24.41 क्विंटल गेहूं, 2.41 क्विंटल चना और 84 किलो अलसी तथा भूसा उस समय के बाजार भाव पर 2762 रु० में बिका। इस प्रकार इन प्रशिक्षार्थी किसानों को 1246 रु० का शुद्ध लाभ हुआ।

विश्वविद्यालय ने इस योजना के लिए आवर्ती राशिप्रदान की है। शुद्ध लाभ का आधा हिस्सा सुरक्षित राशि के रूप में रख लिया जाता है तथा शेष छात्रों में बराबर-बराबर बांट दिया जाता है। इस प्रकार इस योजना से छात्रों को न केवल कृषि का व्यावहारिक ज्ञान मिलता है, अपितु पढ़ाई के साथ-साथ कुछ कमाने का भी अवसर मिलता है। □

कुरुक्षेत्र

(मासिक हिन्दी और पाक्षिक अंग्रेजी पत्रिका)

विज्ञापन की नई दरें

भारत में सामुदायिक विकास, सहकारिता, पंचायती राज और ग्रामीण विकास के अन्य पहलुओं से सम्बन्धित विषयों की सचित्र पत्रिका। कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार की ओर से प्रकाशित। हिन्दी संस्करण प्रति मास पहली तारीख को और अंग्रेजी संस्करण पहली और सोलहवीं को प्रकाशित।

विज्ञापन की दर

साधारण			एक वर्ष में चार या अधिक अंकों के लिए	
	हिन्दी	अंग्रेजी	हिन्दी	अंग्रेजी
पूरा पृष्ठ	300 रु०	450 रु०	250 रु०	400 रु०
आधा पृष्ठ	175 रु०	250 रु०	150 रु०	225 रु०
		विशेष आवरण के लिए		
(i) पिछला आवरण	450 रु०	675 रु०	400 रु०	600 रु०
(ii) आवरण द्वितीय	400 रु०	465 रु०	350 रु०	425 रु०
(iii) आवरण तृतीय	375 रु०	465 रु०	325 रु०	425 रु०

रंग के लिए सरचार्ज : (प्रत्येक रंग के लिए $33\frac{1}{3}\%$ अतिरिक्त) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों के लिए विज्ञापन बुक कराने पर 10 प्रतिशत छूट दी जाती है।

कुरुक्षेत्र में विज्ञापन क्यों दिया जाए·····?

*इन पत्रिकाओं में नई कृषि नीति, सामुदायिक विकास, सहकारिता और पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण भारत के बदलते स्वरूप का जीवन्त चित्रण दिया जाता है।

*हर खण्ड और हर खण्ड के माध्यम से हर गांव में पहुंचने वाली ये एक मात्र पत्रिकाएं हैं।

*ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए घरेलू वस्तुओं के उत्पादकों और खेत और किसानों के लिए वस्तुएं बनाने वाले उत्पादकों के लिए तो ये पत्रिकाएं प्रचार का आवश्यक माध्यम हैं।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, लाइब्रेरी रोड, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

[आवरण पृष्ठ II का शेषांश]

आगे आए हैं। इन अध्यापकों को प्रौढ़-शिक्षण की विशेष तकनीक और कार्यात्मक साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना 1972 में शुरू की गई थी। इन केन्द्रों में पुस्तकें, शिक्षण-सामग्री और अन्य सहायक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई थीं। प्रत्येक अध्यापक को ऊपरी खर्चे के लिए थोड़ी-बहुत शिक्षावृत्ति भी दी जाती है। इन केन्द्रों को चलाने के लिए 75 प्रतिशत व्यय शिक्षा मन्त्रालय देता है और शेष 25 प्रतिशत स्थानीय संसाधनों से जुटाया जाता है।

कार्यात्मक साक्षरता कक्षा में प्रयत्न यह किया जाता है कि प्रौढ़ों को बाराखड़ी पढ़ाने की बजाए खास तौर पर तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों की सहायता से धन्धे से सम्बन्धित विषय पढ़ाया जाए। अध्यापक इस प्रकार प्रौढ़ों को प्रत्येक अध्याय में तीन-चार ऐसे शब्द पहचानना सिखा देता है जो उसके धन्धे से सम्बन्धित होते हैं। प्रौढ़ इसमें दिलचस्पी लेता है क्योंकि ये बातें उसके दैनिक जीवन में उपयोगी होती हैं तथा इस प्रकार उसमें पढ़ने-लिखने की इच्छा जाग्रत होती है। एक सप्ताह में ही वह अपना नाम तथा कुछ अन्य शब्द लिखना सीख जाता है। कुछ ही समय में उसकी लिखने की क्षमता बढ़ जाती है।

केरल ग्रन्थशाला संगम के अन्तर्गत 40 साक्षरता केन्द्र हैं। ये सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ग्रन्थशाला संगम की और अधिक कार्यात्मक साक्षरता केन्द्र खोलने की योजना है।

कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि के उदाहरण हैं 25 वर्षीय प्रौढ़ छात्र जो एक मछुआ है। उनसे पूछा गया था कि उन्हें इस कार्यक्रम से सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ है तो वे खड़े होकर बोले "हम एक-दूसरे को चाहना सीखे हैं।" वे ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां जातिगत दंगे होते रहते हैं और अपढ़ भोले मछुआ निहित स्वार्थियों के शिकार होते रहते हैं।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास

LIBRARY MINISTRY

गत 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1958 में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या केवल 587 थी; केन्द्रीय और राज्य सरकार की सहायता के फलस्वरूप यह संख्या बढ़ कर (1972 में) 32,843 हो गई। इसके अलावा, राज्य में कई अपंजीकृत इकाइयों की भी स्थापना हुई। केवल गत वर्ष 57,00 नई इकाइयां खोली गई। गत वर्ष लगभग 4,000 छोटे लघु उद्योगों की स्थापना हुई।

पंजीकृत इकाइयों में 44 करोड़ रु० से अधिक की पूंजी लगाई गई है तथा इनमें 1 लाख 14 हजार व्यक्ति काम कर रहे हैं। इन इकाइयों में 209 करोड़ रु० से अधिक मूल्य का उत्पादन हुआ है तथा लगभग 8 करोड़ रु० से अधिक मूल्य के उत्पादन का निर्यात हुआ है।

उत्तर प्रदेश के लघु उद्योगों में कई तरह की वस्तुओं का उत्पादन होता है। इनमें मैकेनिकल इन्जीनियरी, रसायन और चमड़े से बने माल भी सम्मिलित हैं। 50 प्रतिशत से अधिक उद्योगों में मैकेनिकल इन्जीनियरी उद्योग के सामान जैसे—साइकिल, आटो-पुर्जे, सिलाई की मशीनें, खेती के उपकरण, मशीन टूल्स, डीजल-तेल-चालित इन्जन और बिजली के सामान आदि बनते हैं। रसायन उद्योगों में फार्मेस्यूटिकल, रंग, वार्निश, प्लास्टिक और रबर के माल तथा कागज से बने सामान आदि बनते हैं। चमड़ा उद्योग में कमाया हुआ चमड़ा, जूते, यात्रा में प्रयुक्त होने वाले सामान तथा चमड़े से बने हुए अन्य अनेक सामानों का उत्पादन होता है।

आगरा, कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, मिर्जापुर, कन्नौज, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद सहित राज्य के कई शहर प्रमुख औद्योगिक केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं।

□